

प्रथम FIRST

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

2017-2018

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपित की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है) (Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

जुलाई, July, 2017

परिचायक टिप्पणी

विषय: अनुदानों की पूरक मांगों का पहला बैच 2017-2018.

वर्ष 2017-18 की पूरक अनुदान मांगों के तीसरे बैच में 61 अनुदान मांगें तथा 3 विनियोग हैं। ₹11,166.18 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹10,647.45 करोड़ है और सकल अतिरिक्त व्यय, जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों से समतुल्य किया जाएगा ₹517.72 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोग के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए के साथ ₹101 लाख का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

2. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं:-

INTRODUCTORY NOTE

Subject : First Batch of Supplementary Demands for Grants, 2017-2018.

The First Batch of Supplementary Demands for Grants for 2017-18 includes 61 Grants and 3 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹11,166.18 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹10,647.45 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregate to ₹517.72 crore. Besides, token provision of ₹101 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(₹करोड में In ₹ Crore)

				(₹ करोड़ में I	n ₹ Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	M	INISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
6. रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	6	Department of Chemicals and Petrochemicals			
निम्नलिखित हेतु मैं. हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि. को सेतु ऋण के लिए (i) अगस्त एवं सितंबर, 2017 को देय सरकारी गारंटीकृत बांड की अदायगी (₹250 करोड़) और (ii) कर्मचारियों/आपूर्तिकर्ताओं आदि को देनदारी का भुगतान (₹110.26 करोड़)।		For Bridge Loan to M/s Hindustan Organic Chemicals Ltd. (HOCL) towards (i) repayment of the Government Guaranteed Bonds due in August & September 2017 (₹250 crore) and (ii) payment of dues to employees/suppliers etc. (₹110.26 crore).		360.26	360.26
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	M	INISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11. वाणिज्य विभाग जेम एसपीवी कंपनी के कार्यचालन खर्च के लिए		Department of Commerce For meeting additional requirement as			
सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। 12. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग		Grants-in-aid General for operational expenses of GeM SPV company. Department of Industrial Policy	40.00		40.00
(क) वस्तु और सेवा कर क्षेत्र के अंतर्गत जम्मू व कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित यूनिटों को बजटीय सहायता देने के लिए।		and Promotion (a) For providing budgetary support to the units located in State of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim under			
(ख) निम्नलिखित प्रदान करने हेतु (i) वस्तु और सेवा कर क्षेत्र के अंतर्गत जम्मू व कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित यूनिटों को बजटीय सहायता देने के लिए (₹1800 करोड़)। (ii) राष्ट्रीय औद्योगिक कोरीडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास के अंतर्गत		Goods & Services Tax Regime. (b) For providing (i) budgetary support to the units located in State of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim (₹1800 crore) under Goods & Services Tax regime and (ii) Grants for creation of Capital	200.00		200.00

			(₹करोड़ में	In ₹ Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹10 करोड़)।	Assets under National Industrial Corridors Development and Implementation Trust (NICDIT) (₹10 crore).	1,800.00		1,800.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,			
मंत्रालय —	FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
15. उपभोक्ता मामले विभाग मूल्य स्थिरीकरण निधि स्कीम के अंतर्गत दालों की खरीद के लिए सामान्य सहायता अनुदान	15 Department of Consumer Affairs For providing Grants-in-aid General for procurement of pulses under the scheme			
प्रदान करना।	Price Stabilisation Fund.	500.00		500.00
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS			
17 कारपोरेट कार्य मंत्रालय	17 Ministry of Corporate Affairs			
निम्नलिखित के लिए (i) स्वच्छता कार्य योजना	For (i) Swachhta Action Plan (ii) Investors'			
(ii) अन्य प्रभार के अंतर्गत निवेशक शिक्षा एवं	Education and Protection Fund under Other			
संरक्षण निधि।	Charges.	40.00		40.00
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
19 रक्षा मंत्रालय	19 Ministry of Defence (Misc.)			
फुलवारिया मार्ग के निर्माण/चौड़ीकरण के लिए	For providing additional Grants for creation			
रक्षा सम्पदा संगठन के अंतर्गत छावनी बोर्ड को	of Capital Assets to Cantonment Boards			
पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए।	under Defence Estates Organisation towards construction/widening of Phulwaria Marg.	36.82		36.82
प्रदान करन क ।लए।	construction/widening of Phulwaria Marg.	30.82	•••	30.82
इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF ELECTRONICS AND			
22	INFORMATION TECHNOLOGY			
26. इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	26 Ministry of Electronics and Information Technology			
निम्नलिखित का व्यय पूरा करना के लिए (i)	For meeting expenditure towards			
भीम के जरिए डिजीटल भुगतान का संवर्धन (₹50 करोड़) (ii) प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजीटल	(i) promotion of digital payment through BHIM (₹50 crore) (ii) Pradhan Mantri			
साक्षरता अभियान (₹50 करोड़)।	Gramin Digital Saksharta Abhiyan			
	(PMGDISHA) (₹50 crore).	100.00		100.00
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT,			
	FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
27 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	27 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
मध्यस्थता पंचाट के कारण राष्ट्रीय प्राणी उद्यान	For meeting expenditure on Major Works			
हेतु मुख्य निर्माण कार्य पर व्यय पूरा करने के	for National Zoological Park arising out of			
लिए।	Arbitration award.		0.67	0.67
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
30. व्यय विभाग	30 Department of Expenditure			
व्यय विभाग के सम्मेलन भवन की मरम्मत और	For repair and renovation of Conference			
रखरखाव के लिए।	Halls of Department of Expenditure.	2.00	•••	2.00
35. अप्रत्यक्ष कर	35 Indirect Taxes (a) For effective publicity for CST			
(क) वस्तु एवं सेवा कर के लिए जागरूकता हेतु प्रभावी प्रचार के लिए (₹250 करोड़)। जीएसटीएन	(a) For effective publicity for GST awareness (₹250 crore), DG Systems for			

अनुदानों की पूरक मार्ग,	2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FO	R GRANTS		(iii)
			(₹करोड़ में	In ₹ Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
को अग्रिम प्रयोक्ता प्रभार के भुगतान (₹99.34 करोड़) तथा जीएसटीएन के लेखाकरण पोर्टल हेतु (₹37.9 करोड़)। (ख) खरगर मुंबई में सीआईजीसीओ से तैयार	payment of advance user charges to GSTN (₹99.34 crore) and accounting portal for GST (₹37.09 crore). (b) For purchase of ready built residential	386.43		386.43
रिहायशी क्वार्टरों की खरीद।	quarters at Kharghar, Mumbai.		163.57	163.57
संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल रहित) 55. पुदुचेरी को अंतरण 2016-17 में सूखा के कारण पुदुचेरी के लिए अन्तर मंत्रालयी केन्द्रीय टीम द्वारा अनुशंसित क्षतिपूर्ति के कारण व्यय पूरा करना।	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE) 55 Transfers to Puducherry To meet expenditure on account of compenstation recommended by Inter-Ministrial Central Team for Puducherry in wake of drought 2016-17.	17.70		17.70
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 72. Ministry of Petroleum and Natural Gas			
राज्य सरकारों को विभेदक रायल्टी के भुगतान के लिए।	For providing additional Grants-in-aid General for payment of differential royalty to State Governments.	7,000.00		7,000.00
कुल नकद व्यय	Total Cash Outgo	10,122.95	524.50	10,647.45
3. अनुदान की पूरक मांगों के इस बैच में ₹517.72 करोड़ हेतु तकनीकी पूरक अनुदान/विनियोग हेतु प्रस्ताव शामिल हैं, जिन्हें मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/ वसूलियों अथवा तदनुरूपी बचतों से संतुलित किया जाना है। ये मदें निम्नानुसार हैं:	3. This batch of Supplementary Demands for Grasupplementary grants/appropriations for ₹517 additional receipts/recoveries or corresponding say. The items are as follows:	7.72 crore w	hich are m	natched by
तकनीकी अनुदानों की पूरक मांगें	Technical Supplementary Demands for			
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	grants MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE			
 कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग अतिरिक्त राशि प्रदान करने हेतु (i) पौध संरक्षण और पादप संगरोध उप-मिशन के अंतर्गत मशीनरी और उपस्कर के तहत निधि (₹12.85 करोड़) (ii) पौध संरक्षण और पादप संगरोध उप-मिशन के अंतर्गत मोटर यान के लिए आवश्यकता (₹2.02 करोड़)। 			12.85	12.85
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11. वाणिज्य विभाग सीपीडब्ल्यूडी कोलकाता के लिए मुख्य निर्माण	11 Department of Commerce For meeting the additional requirement of			

Directorate General of Commercial

Intelligence and Statistics under Major

Works towards payment of CPWD, Kolkata.

1.39

1.39

कार्य के अंतर्गत वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी

महानिदेशालय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने

के लिए।

			(₹करोड़ में II	ı ₹ Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
16. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (क) सब्सिडी प्रदान करने के लिए (i) चीनी मिलों को कम ब्याज पर ऋण देने की स्कीम, 2015 के अंतर्गत ब्याज माफी के लंबित दावों का निपटान करना (₹6.36 करोड़) (ii) गन्ने की लागत प्रतिसंतुलित करने और किसानों को देय गन्ने की कीमत का समय पर भुगतान के लिए चीनी मिलों	16 Department of Food and Public Distribution (a) For providing subsidy to (i) clear the pending claims of interest subvention under the scheme for extending Soft Loan to Sugar Mills, 2015 (₹6.36 crore) (ii) Sugar Mills to offset cost of cane			
को (₹23.10 करोड़)। (ख) खाद्य भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान देने के लिए।	 and facilitate timely payment of cane price dues of farmers (₹23.10 crore). (b) For providing Grants for creation of Capital Assets for construction of food 	29.46		29.46
	storage godowns.	22.65		22.65
रक्षा मंत्रालय 21. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय लोक अदालत, कोलर की वजह से भूमि अधिग्रहण के लिए भुगतान हेतु।	MINISTRY OF DEFENCE 21 Capital Outlay on Defence Services For payment towards land acquisition arising out of Lok Adalat, Kolar.		80.00	80.00
वित्त मंत्रालय 29. आर्थिक कार्य विभाग (क) वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि को अतिरिक्त राशि	MINISTRY OF FINANCE 29 Department of Economic Affairs a) for transferring additional amount to			
अंतरण के लिए। (ख) अफ्रीकी विकास निधि में अभिदान के लिए।	Senior Citizen Welfare Fund. (b) Required towards Subscription to African Development Fund (AfDF).	64.43 34.00		64.43 34.00
वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY	31.00		31.00
42 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	WELFARE 42 Department of Health and Family Welfare			
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना - एम्स की तरह सुपर स्पेशियलिटी सह शिक्षण संस्थानों की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन।	For meeting additional expenditure towards Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) - Establishment of All India Institute Of Medical Science (AIIMS) type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and Upgrading of State Government Hospitals.		132.90	132.90
संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
51. दादरा और नगर हवेली (क) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यान्वयन के लिए संघ राज्य के हिस्से के रूप में सिलवासा नगर परिषद हेतु पूंजी आस्ति के सृजन के लिए	 51 Dadra and Nagar Haveli (a) For meeting additional expenditure for release of Grants for creation of capital assets for Silvassa Municipal Council 			
अनुदान जारी करने हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। (ख) एकीकृत बाल विकास स्कीम कार्यकर्ताओं के अंतर्गत अनुपूरक पोषण स्कीम के लिए पंचायत को सामान्य	as UT share for implementation of Pradhan Mantri Awas Yojna (Urban).(b) For releasing Grants-in-Aid General to Panchayat for supplementary nutrition	5.00		5.00

				(₹ करोड़ में Ir	t ₹ Crore)
अनुद	इान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ग)	सहायता अनुदान जारी करने के लिए। निवेश प्रोत्साहन स्कीम, 2015 के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी की सहायता जारी करने के लिए।	scheme and for additional honorarium under Integrated Child Development Scheme functionaries. (c) For release of assistance of interest subsidy under Investment Promotion	2.00		2.00
	सालाना कारा करने के लिए	Scheme-2015.	1.40		1.40
श्रम	और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND			
60	श्रम और रोजगार मंत्रालय बेहतर समाधान, बचावकारी मध्यस्थता, श्रम कानून को कारगर रूप से लागू करने, मुख्य श्रम आयुक्त के लिए मशीनरी हेतु अतिरिक्त आवश्यकताएं पूरी करने के लिए।	EMPLOYMENT 60 Ministry of Labour and Employment For meeting the additional requirement towards Machinery for Better Conciliation, Preventive mediation, Effective Enforcement of Labour Laws, Chief Labour Commissioner.		19.00	19.00
कारि	र्मेक एवं लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
70	कार्मिक एवं लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	70 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
	कर्मचारी चयन आयोग के लिए कार्यालय आवास की खरीद।	For purchase of office accommodation for Staff Selection Commission.		0.08	0.08
	ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
94.	वस्त्र मंत्रालय माननीय इलाहबाद उच्च न्यायालय के आदेश की वजह से अपने कामगारों की संशोधित मजदूरी के भुगतान करने के कारण ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड को ऋण के रूप में संस्वीकृत आकस्मिकता अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए।	94 Ministry of Textiles For recoupment of Contingency Advance sanctioned as loan to British India Corporation Limited on account of payment of revised wages to its workers arising out of the Hon'ble Allahbad High Court order.		12.00	12.00
जन	जातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
96.	जनजातीय कार्य मंत्रालय निम्नलिखित प्रदान करने के लिए (1) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) विशेषरूप से असुरक्षित जनजातीय समूहों का विकास (₹2.04 करोड़) (ii) मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (₹0.10 करोड़) और (iii) मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति (₹0.50 करोड़) और (2) विशेषरूप से असुरक्षित जनजातीय समूहों का विकास स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.50 करोड़)।	96 Ministry of Tribal Affairs For providing (1) Grants-aid-General under the schemes (i) Development of Particularly Vulnerable Tribal Groups (₹2.04 crore) (ii) Pre Matric Scholarship (₹0.10 crore) and (iii) Post Matric Scholarship (₹0.50 crore) and (2) Grants for creation of Capital Assets under the scheme Development of Particularly Vulnerable Tribal Groups (₹0.50 crore).	3.14		3.14
	री विकास मंत्रालय शहरी विकास मंत्रालय सभागार में विशेषीकृत प्रणालियों के रखरखाव और एमएसीपी, महंगाई भत्ता और कार्य प्रभारित कर्मचारियों की वेतनवृद्धि के बकाया का भुगतान।	 MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 97 Ministry of Urban Development For maintenance of specialized systems in Auditorium and payment of arrears of Modified Assured Career Progression, Dearness Allowances and increment of 			
		Seminos information and informit of			

			(₹करोड़ में 1	n ₹ Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION			
98 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण	98 Ministry of Water Resources, River			
मंत्रालय	Development and Ganga Rejuvenation			
(क) राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना के अंतर्गत सामान्य	(a) For providing Grants-in-aid General			
सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	under National Hydrology Project.	8.00		8.00
(ख) निम्न प्रदान करने हेतु (i) सामान्य सहायता अनुदान	(b) For providing (i) Grants-in-aid General			
(₹6 करोड़) और पूंजी आस्ति के सृजन हेतु	(₹6 crore) and Grants for creation of			
अनुदान (₹36.71 करोड़) राष्ट्रीय जल विज्ञान	Capital Assets(₹36.71 crore) under			
परियोजना के अंतर्गत (ईएपी घटक) और (ii)	National Hydrology Project (EAP			
सामान्य सहायता अनुदान (₹6 करोड़) और राष्ट्रीय	Component) and (ii) Grants-in-aid			
जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत पूंजी आस्ति	General (₹6 crore) and Grants for			
के सृजन हेत् अनुदान (₹36.71 करोड़) (कार्यक्रम	creation of Capital Assets (₹36.71 crore)			
घटक)।	under National Hydrology Project			
,	(Programme Component).	85.42		85.42
कुल तकनीकी	Total Technical	259.50	258.22	517.72

नीचे दी गई मदों के संबंध में 1 लाख प्रत्येक का पुरक अनुदान का भी प्रस्ताव है, जिनके तहत दर्शाए गए व्यय को संगत अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी भाग, जो भी मामला हो, की बचतों के विनियोग से पूरा किया जाना है।

Supplementary grants of ₹ 1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

सांकेतिक अनुदानों की पूरक मांगें

कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय 1

- (क) अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए (1) हरित (a) क्रांति-कृषोन्नति योजना के अंतर्गत कपास विकास निदेशालय को लघु निर्माण कार्य के तहत निधि (₹0.43 करोड़) (2) निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदान (i) हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना (₹7.90 करोड़) (ii) हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना (₹16 करोड़) (iii) हरित क्रांति-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत स्वच्छता कार्य योजना (₹11.50 करोड़)।
- (ख) सामान्य घटक के लिए सामान्य अतिरिक्त सहायता (b) For providing additional Grants-in-aid अनुदान देने के लिए (₹22 करोड़), अनुस्रचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (₹5 करोड़) और जनजाति क्षेत्र उप-योजना (₹3 करोड़) हरित क्रांति - कृषोन्नति योजना के तहत।

Token Supplementary Demands for grants

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare

- For providing additional (1) funds under Minor Works to Directorate of Cotton Development under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹0.43 crore) (2) Grantsin-aid General towards (i) National Project on Management of Soil Health and Fertility under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹7.90 crore) (ii) Parampragat Krishi Vikas Yojna under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹16 crore) (iii) Swachhta Action Plan under Green Revolution-Rashtriya Vikas Yojna (₹11.50 crore).
- General for General Component (₹22 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (₹5 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹3 crore) under Swachhta Action Plan of Green Revolution-Krishonnati Yojna.

35.83 35.83

30.00 30.00

					(₹करोड़ में Ii	n ₹ Crore)
अनुद	ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gra	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ग)	जनजाति क्षेत्र उप-योजना के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (i) हरित क्रांति-कृषोन्नित योजना के तहत एकीकृत बागवानी विकास मिशन (₹100 करोड़) (ii) हरित क्रांति -कृषोन्नित योजना गे तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (₹15 करोड़) (iii) हरित क्रांति -कृषोन्नित योजना के तहत राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन (₹28.22 करोड़) (iv) हरित क्रांति -कृषोन्नित योजना के तहत तिलहन और ऑयल पाम प्रौद्योगिकी मिशन (₹9.05 करोड़) और (v) हरित क्रांति -कृषोन्नित योजना के तहत तिलहन कृषि विस्तार उप-मिशन (₹30 करोड़)।	(c)	For providing additional Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under (i) Mission for Integrated Development of Horticulture under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹100 crore) (ii) National Food Security Mission under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹15 crore) (iii) National Mission for Sustainable Agriculture under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹28.22 crore) (iv) Technology Mission of Oilseeds and Oil Palm under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹9.05 crore) and (v) Sub-Mission on Agriculture Extension under; Green			
(ঘ)	सामान्य सहायता अनुदान देने के लिए (i) डीजल सब्सिडी (₹21.35 करोड़) (ii) हरित क्रांति - कृषोन्नित योजना के तहत एकीकृत कृषि जनगणना और सांख्यिकी स्कीम के कार्यान्वयन हेतु (₹125.60 करोड़) (iii) हरित क्रांति - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्वच्छता कार्य योजना के लिए (₹36 करोड़)।	(d)	Revolution-Krishonnati Yojna (₹30 crore). For providing Grants-in-aid General (i) under Diesel Subsidy (₹21.35 crore) (ii) for implementation of Integrated scheme on Agriculture Census and Statistics under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹125.60 crore) (iii) for Swachhta Action Plan under Green Revolution-Rashtriya	182.27		182.27
(ঙ)	हरित क्रांति-कृषोन्नित योजना के तहत एकीकृत कृषि जनगणना और सांख्यिकी मिशन के कार्यान्वयन के लिए सामान्य सहायता अनुदान देना।	(e)	Krishi Vikas Yojna (₹36 crore). For providing Grants-in-aid General towards implementation of Integrated Scheme on Agriculture Census and Statistics under Green Revolution	182.95		182.95
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग स्वच्छता कार्य योजना के लिए आईसीएआर	2	Krishonnati Yojna. Department of Agricultural Research and Education For providing additional Grants-in-aid	0.90	-	0.90
3	मुख्यालय प्रशासन स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान देना (₹0.01 करोड़)। पशु पालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग	3	General under the scheme ICAR Headquarter Administration for Swachhta Action Plan (₹0.01 crore). Department of Animal Husbandry,	0.01		0.01
	(क) डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता		Dairying and Fisheries (a) For providing Grants-in-aid General under the scheme Dairy Processing and Infrastructure Development Funds.	37.00		37.00
	अनुदान प्रदान करना। (ख) स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय माल्स्यिकी विकास बोर्ड को सामान्य सहायता		(b) For providing Grants-in-aid General to National Fishery Development Board under Swachhta Action Plan.	1.00		1.00
	अनुदान प्रदान करना। (ग) सामान्य सहायता अनुदान देना (₹21 करोड़) पशुधन गणना और एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण स्कीम के अंतर्गत एससीएसपी के तहत अनुदान (₹5.50 करोड़)।		(c) For providing Grants-in-aid General (₹21 crore) and Grants under SCSP (₹5.50 crore) under the scheme Livestock Census and Integrated Sample Survey.	26.50		26.50
	(घ) पशुधन गणना और एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान देना।		(d) For providing Grants-in-aid General under the scheme Livestock Census and Integrated Sample Survey.	1.00		1.00

				(₹करोड़ में II	ı ₹ Crore,
अनु	दान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	(ङ) निम्नलिखित हेतु मुख्य निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त निधियां देना (i) लघु पशुधन संस्थान (₹1.50 करोड़) और (ii) स्वच्छता कार्य योजना के लिए नस्ल सुधार संस्थान (₹2.40 करोड़)।	(e) For providing additional funds under Major Works towards (i) Small Livestock Institutes (₹1.50 crore) and (ii) Breed Improvement Institutes (₹2.40 crore) for Swachhta Action Plan.		3.90	3.90
आर्	युर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)			
5	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	5 Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani Siddha and Homoeopathy (AYUSH)			
	निम्नलिखित के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान देने के लिए (i) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता (₹28 करोड़) (ii) राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान, बेंगलुरू (₹28 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर (₹24 करोड़)।	For providing Grants for creation of Capital Assets under (i) National Institute of Homoeopathy, Kolkata (₹28 crore) (ii) National Institute of Unani Medicine, Bengaluru (₹28 crore) and (iii) National Institute of Ayurveda, Jaipur (₹24 crore).	80.00		80.00
रस	ायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
6	रसायन और उर्वरक विभाग	6 Department of Chemicals and Petrochemicals	0.16		0.16
7	स्वच्छता कार्य योजना के लिए। उर्वरक विभाग उर्वरक में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के लिए (i) पेशेवर सेवाओं के लिए (₹4.10 करोड़) और आईटी संबंधी व्यय हेतु (₹22.20 करोड़)।	For Swachhta Action Plan. 7 Department of Fertilisers For implementing Direct Benefit Transfer (DBT) in fertilisers Subsidy (i) for Professional Services (₹4.10 crore) and (ii) for IT related expenditure (₹22.20 crore).	0.16 26.30		26.30
311 7	ार विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION	20.50	•••	20.30
9.	नागर विमानन मंत्रालय (क) विशेष प्रचालन के लिए सब्सिडी के अंतर्गत प्रावधान हेतु।	 Ministry of Civil Aviation (a) For provision under Subsidy for Special Operation. 	200.00		200.00
	(ख) क्षेत्रीय सम्पर्कता स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान देना।	(b) For providing Grants for creation of Capital Assets under Regional Connectivity Scheme.	200.00		200.00
का 17	रपोरेट कार्य मंत्रालय कारपोरेट कार्य मंत्रालय स्वच्छता कार्य योजना के लिए।	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS 17 Ministry of Corporate Affairs For Swachhta Action Plan.	0.10		0.10
	कृति मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय (क) स्वच्छता कार्य योजना पर व्यय पूरा करने के	MINISTRY OF CULTURE 18 Ministry of Culture (a) For meeting expenditure on Swachhta			
	लिए (i) सचिवालय (₹0.10 करोड़) और (ii) केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय (₹0.02 करोड़)। (ख) अतिरिक्त निधि देने के लिए (1) निम्नलिखित हेतु सामान्य सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय	Action Plan of (i) Secretariat (₹0.10 crore) and (ii) Central Secretariat Library (₹0.02 crore). (b) For providing additional (1) Grants-inaid General towards (i) National	0.12		0.12

(₹करोड़ में In ₹ Crore)

				(1 47 (19 11 11	i Ciorej
अनुद	ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
<u>अनुद</u>	विज्ञान संग्रहालय परिषद (₹27.97 करोड़) और विभिन्न संग्रहालयों को स्वच्छता कार्य योजना (₹0.25 करोड़) (ii) थिएटर ओलंपिक 2018 के लिए अकादमी को सहायता और विभिन्न कार्यशालाएं, थिएटर, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा सार्क देशों में आयोजित किए जाने वाले उत्सव (₹23 करोड़) और विभिन्न अकादमी और क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों को स्वच्छता कार्य योजना के लिए (₹0.75 करोड़) (iii) बौद्ध तिब्बत संस्थाओं और स्मारकों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न संगठनों को स्वच्छता कार्य योजना (₹0.75 करोड़) (iv) पुस्तकालयों को सहायता स्कीम के अंतर्गत विभिन्न पुस्तकालयों को सहायता कार्य योजना (₹0.50 करोड़) (v) राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण और रूपरेखा मिशन नामक नई अनुमोदित परियोजना के लिए कला-संस्कृति विकास योजना ((₹150 करोड़) (2) पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) अकादिमयों को सहायता (₹32.92 करोड़) और (ii) संग्रहालयों को सहायता (₹20.81 करोड़) (3) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और प्रदर्शनी संबंधी चालू दौरा के लिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के अंतर्गत विदेश यात्रा खर्च के तहत व्यय (₹0.15 करोड़) (4) विभिन्न स्कीमों के लिए स्वच्छता कार्य योजना	Council of Science Museums (₹27.97 crore) and Swachhta Action Plan to various Museums (₹0.25 crore) (ii) Support to Academies for Theatre Olympics, 2018 and various workshops, theatres, festivals to be organized in SAARC Countries by National School of Drama (₹23 crore) and for Swachhta Action Plan to various Academies and Zonal Cultural Centres (₹0.75 crore) (iii) for Swachhta Action Plan to various organisations falling under Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹0.75 crore) (iv) for Swachhta Action Plan to various Libraries under the scheme support to libraries (₹0.50 crore) (v) Kala Sanskriti Vikas Yojana for newly approved project National Mission on Cultural Mapping & Roadmap (₹150 crore) (2) Grants for creation of Capital Assets to (i) Support to Academies (₹32.92 crore) and (ii) Support to Museums (₹20.81 crore) (3) expenditure under Foreign Travel Expenses under National Archives of			=
	के तहत व्यय (₹0.63 करोड़)।	India for ongoing visit on Cultural Exchange Programme and exhibitions (₹0.15 crore) (4) expenditure under Swachhta Action Plan towards various schemes (₹0.63 crore).	257.73		257.73
	 (ग) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्रदर्शनी/सेमिनार आयोजित करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु। (घ) कला संस्कृति विकास योजना स्कीम के अंतर्गत उंडी स्मारक के निर्माण के लिए मुख्य निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने हेतु। 	 (c) For providing Grants-in-aid General under the scheme National Archives of India for holding exhibitions/seminars in North Eastern Region. (d) For providing additional funds under Major Works under the scheme Kala Sanskriti Vikas Yojana for construction of Dandi Memorial. 	2.00	20.00	2.00
	मंत्रालय रक्षा सेवाएं (राजस्व) नेशनल मारीटाइम फाउंडेशन को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	MINISTRY OF DEFENCE 20 Defence Services (Revenue) For providing Grants-in-aid to National Maritime Foundation.	1.50		1.50
पूर्वोत्त	तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT AND NORTH EASTERN REGION			
23	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	23 Ministry of Development and North Eastern Region			
	(क) क्षमता निर्माण और प्रचार स्कीम के अंतर्गत	(a) For meeting expenditure on account of			

			(₹करोड़ में I	n ₹ Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
स्वच्छता कार्य योजना के कारण व्यय पूरा करने के लिए। (ख) निम्नलिखित के अंतर्गत स्वच्छता कार्य योजना के लिए निधियां देने हेतु (i) पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना (₹5 करोड़) (ii) पूर्वोत्तर सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना (₹5 करोड़) और (iii) पूर्वोत्तर परिषद (₹8.66	Swachhta Action Plan under the scheme Capacity Building & Publicity. (b) For providing funds for Swachhta Action Plan under (i) North East Rural Livelihood Project (₹5 crore) (ii) North Eastern Community Resource	7.00		7.00
करोड़)। (ग) अव्ययगत केन्द्रीय संसाधन पूल-राज्य के अंतर्गत स्वच्छता कार्य योजना के लिए निधियां प्रदान करने हेतु।	Management Project (₹5 crore) and (iii) North Eastern Council (₹8.66 crore). (c) For providing funds for Swachhta Action Plan under Non-Lapsable Central Pool of Resources - State (NLCPR -State).	18.66 80.00		18.66 80.00
पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT,			
	FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
27 पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	27 Ministry of Environment, Forests and			
3	Climate Change			
(क) व्यय पूरा करने के लिए (1) निम्नलिखित	(a) For meeting expenditure towards (1)			
को सहायता अनुदान वेतन (i) भारतीय वानिकी	Grants-in-aid Salaries to (i) Indian			
अनुसंधान और शिक्षा परिषद (₹15 करोड़)	Council of Forestry Research and			
(ii) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन	Education (₹15 crore) (ii) Andaman &			
रोपण विकास निगम (₹125.72 करोड़) और	Nicobar Islands Forests Plantation			
(iii) भारतीय वन्य जीवन संस्थान को पूंजी	Development Corporation (₹125.72			
आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹1.70 करोड़)।	crore) and (iii) Grants for creation of Capital Assets to Wildlife Institute of	142.42		1.42.42
(ख) जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान	India (₹1.70 crore).(b) For meeting expenditure towards Grants for creation of Capital Assets	142.42		142.42
हेतु व्यय पूरा करना। (ग) एकीकृत वन्य वास विकास को सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	under Climate Change Action Plan. (c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General to Integrated Development of Wildlife Habitats	5.00		5.00
	(EAP).	10.00		10.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
29 आर्थिक कार्य विभाग	29 Department of Economic Affairs			
(क) स्वच्छता कार्य योजना के कार्यान्वयन के	(a) For implementation of Swachhta			
लिए।	Action Plan.	0.25		0.25
(ख) एमडीआर प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए। (ग) भारत-जर्मनी द्विपक्षीय विकास सहयोग के	(b) For reimbursement of MDR charges.(c) For reimbursement towards Service	200.00		200.00
तहत जीआईजेड को सेवा कर के लिए प्रतिपूर्ति हेतु। (घ) सांसदों के लिए मोटर गाड़ी खरीदनी हेत्	Tax to GIZ under Indo-German Bilateral Development Co-operation. (d) Advances for purchase of Motor	8.00		8.00
अग्रिम।	Conveyance etc. for MPs.		0.24	0.24
33 राजस्व विभाग	33 Department of Revenue			
वोडाफोन, कैर्न और वेदांता द्वारा केन्द्र सरकार के विरुद्ध दायर किए गए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता	For meeting expenditure in pursuing international arbitration case instituted by Vodafone, Cairn and Vedanta against Union			
मामले के निपटान में व्यय पूरा करने के लिए।	Government.	42.00		42.00

					(₹करोड़ में	In ₹ Crore
अनुव	इान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
34	प्रत्यक्ष कर	34	Direct Taxes			
	(क) निम्नलिखित के निर्माण के लिए अतिरिक्त		(a) For meeting additional expenditure			
	व्यय पूरा करने हेतु (i) लखनऊ में कार्यालय		towards construction of (i) Office			
	भवन (₹20 करोड़) और (ii) इर्नाकुलम कोचि		Building at Lucknow (₹20 crore) and			
	में कार्यालय परिसर (₹7.30 करोड़)।		(ii) Office Complex at Ernakulam,			
			Kochi (₹7.30 crore).		27.30	27.30
	(ख) माजुरा गेट सूरत में 58 आवासीय क्वार्टर		(b) For meeting additional expenditure			
	और सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु अतिरिक्त		towards construction of 58 residential			
	व्यय पूरा करने के लिए।		quarters and Community Hall, Majura			
			Gate, Surat.		5.97	5.97
38	ऋण की अदायगी	38	Repayment of Debt			
	निम्नलिखित की अदायगी हेतु (i) नकद प्रबंधन		For repayment of (i) Cash Management Bills			
	हुंडियां (₹1,50,000 करोड़) और (ii) बाजार		(₹1,50,000 crore) and (ii) Treasury Bills/			
	स्थिरीकरण हुंडियों/बांडों के अंतर्गत राजकोषीय		Cash Management Bills under Market		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	हुंडियां/बांड (₹1,00,000 करोड़)। राज्यों को अंतरण	40	Stabilisation Bills/Bonds (₹1,00,000 crore).	•••	2,50,000.00	2,50,000.00
40	संविधान के भाग IX और भाग IXक में शामिल न	40	Transfers to States			
	किए गए क्षेत्रों को अनुदान स्कीम के अंतर्गत		For providing funds under the scheme			
	निधियां प्रदान करने के लिए।		Grants to areas not covered by Part IX and Part IX A of the Constitution.	500.00		500.00
	ानवा प्रदान करने के लिए।		Fart IX A of the Constitution.	300.00	•••	300.00
खाह	प्रसंस्करण उद्योग	MI	NISTRY OF FOOD PROCESSING			
			INDUSTRIES			
41	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	41	Ministry of Food Processing Industries			
	निम्नलिखित प्रदान करने के लिए (i) मानव संसाधन		For providing (i) additional Grants-in-aid			
	और वर्ल्ड फूड इंडिया संस्था 2017 स्कीम को अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹15.75		General to scheme for Human Resource and			
	करोड़) और (ii) स्वच्छता कार्य योजना के		Institutions for World Food India, 2017 (₹15.75 crore) and (ii) funds for			
	कार्यान्वयन के लिए निधियां विभिन्न स्कीमों के		implementation of Swachhta Action Plan			
	अंतर्गत (₹0.07 करोड़)।		various schemes (₹0.07 crore).	15.82		15.82
स्वा	स्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MI	NISTRY OF HEALTH AND FAMILY			
	4 0 0		WELFARE			
42	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	42	Department of Health and Family Welfare			
	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना-एम्स की तरह		For meeting additional expenditure under			
	सुपर स्पेशियलिटि अस्पताल सह-शिक्षण संस्थाएं		Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana			
	एवं राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन के		(PMSSY) - Establishment of All India			
	तहत मशीनरी और उपस्कर की खरीद के लिए		Institute of Medical Science (AIIMS) type			
	अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।		Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching			
			Institutions and Upgrading of State			
			Government Hospitals for procurement of			
			Machinery & Equipment.		400.00	400.00
-	मंत्रालय	MI	NISTRY OF HOME AFFAIRS			
46	गृह मंत्रालय	46	Ministry of Home Affairs			
	प्रोजेक्ट मोनिटरिंग यूनिट की स्थापना करने के		For setting up to Project Monitoring Unit.	0.50		0.50
47	लिए। मंत्रिमंडल	47	Cabinet			
••	सिनर्जी परियोजनाओं के तहत पूंजी आस्तियों के	• ,	For release of Grants for creation of Capital			
	सृजन के लिए अनुदान जारी करने के लिए।		Assets under Synergy Projects.	25.00	•••	25.00
)		•••	

					(₹करोड़ में I	n ₹ Crore)
अनुव	दान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gra	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
48	पुलिस (क) संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल रहित) के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु निधियां प्रदान करने के लिए (₹ 0.56 करोड़) और मानव तस्करी विरोधी क्रियाकलापों के लिए प्रशासनिक खर्च के लिए (₹ 0.70 करोड़)। (ख) निम्नलिखित के लिए (i) सीमा बाहरी चौकी का निर्माण (₹ 200 करोड़) (ii) सीआरपीएफ द्वारा कार्यालय भवन/रिहायशी भवन के लिए स्वच्छता कार्य योजना (₹ 146.50 करोड़) (iii) केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के लिए कार्यालय भवन (₹ 27.80 करोड़) (iv) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के लिए कार्यालय भवन (₹ 9.20 करोड़)।	48	Police (a) For providing funds to Union Territories without legislature towards Grants-in-aid General (₹0.56 crore) and for Administrative Expenses for Anti Human Trafficking Activities (₹0.70 crore). (b) For (i) Construction of Border Out Posts Works (₹200 crore) (ii) Swachhata Action Plan for office Building/Residence Building by CRPF (₹146.50 crore) (iii) office building for Central Academy for Police Training (₹27.80 crore) and (iv) office building for Bureau of Police Research and Development (₹9.20 crore).	1.26	383.50	1.26 383.50
संघ	राज्य क्षेत्र (विधान मंडल रहित)	UN	ION TERRITORIES (WITHOUT			
49 52	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पोर्टब्लेयर में रनवे के विस्तार के संबंध में मध्यस्थता पंचाट संबंधी व्यय पूरा करने के लिए। दमन और दीव दीव जिला में फिशिंग प्लेटफार्म एवं 92 मीटर लंबी पाइल जेटी के निर्माण के लिए कार्य करने हेतु मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।		Andaman and Nicobar Islands For meeting expenditure on Arbitration Awards in respect of extension of runways at Port Blair. Daman and Diu For meeting the additional requirement under Major Works to carry out works for construction of Fishing Platform & construction of 92 metres long Pile Jetty at Diu District.		7.08	7.08
मान	व संसाधन विकास मंत्रालय	MI	NISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
57	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (क) नवोदय विद्यालय समिति स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 300 करोड़) और सर्वशिक्षा अभियान (₹ 117.19 करोड़)। (ख) निम्नलिखित प्रदान करने के लिए (i) एसएसए स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 283.44 करोड़) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (₹70 करोड़) और (ii) आरएमएसए स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1.20 करोड़)।	57	Department of School Education and Literacy (a) For providing Grants-in-aid General under the scheme Navodaya Vidalaya Samiti (₹300 crore) and Sarva Shiksha Abhiyan (₹117.19 crore). (b) For providing (i) Grants-in-aid General under the scheme Sarva Shiksha Abhiyan (₹283.44 crore) and Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (₹70 crore) and (ii) Grants for creation of Capital Assets under the scheme Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (₹1.20 crore). (c) For providing (i) Grants-in-aid General	417.19 354.64		417.19 354.64
	(ग) निम्निलिखत प्रदान करने के लिए (i) सवीशक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 65 करोड़) और आरएमएसए स्कीम के अंतर्गत (₹ 14.90 करोड़) और		(c) For providing (i) Grants-in-aid General under the scheme of Sarva Shiksha Abhiyan (₹65 crore) and under the scheme Rashtriya Madhyamik Shiksha			

(ii) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रकीम के अंतर्गत पूंजी अनुदान (र 7.13 करोड़)। (घ) सर्वशिक्षा अभियान रकीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान करना। सानव संसाधन विकास मंत्रालय सानव संसाधन विकास मंत्रालय सानव संसाधन विकास विभाग (क) (1) निम्निलिखित के लिए (i) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान रही म के अंतर्गत पूंजी अत्रित्यों के सुजन हेतु अनुदान (र 183.80 करोड़) (ii) औरोविले प्रबंधन रकीम के अंतर्गत पूंजी अत्रित्यों के सुजन हेतु अनुदान (र 10 करोड़) और (2) केन्द्रीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय माषा केन्द्र स्कीम के लिए लघु निर्माण कार्य और रखस्वाय (र 2 करोड़)। अपारित्यों के सुजन हेतु अनुदान (र 10 करोड़) स्वायन स्कीम के लिए लघु निर्माण कार्य और रखस्वाय (र 2 करोड़)। अपारित्यों के सुजन हेतु अनुदान (र 10 करोड़) अतर्वर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केन्द्र स्कीम के लिए लघु निर्माण कार्य और रखस्वाय (र 2 करोड़)। अपारित्यों के सुजन हेतु अनुदान (र 10 करोड़) अतर्वर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केन्द्र स्कीम के लिए लघु निर्माण कार्य और रखस्वाय (र 2 करोड़)। अपारित्यों के सुजन हेतु अनुदान (र 10 करोड़) अतर्वर (र 2 करोड़)। अपारित्यों के सुजन हेतु अनुदान (र 10 करोड़) अतर्वर (र 2 करोड़)। अपारित्यों के सुजन हेतु अनुदान (र 10 करोड़) अतर्वर (र 2 करोड़)। अपारित्यों के सुजन हेतु अनुदान (र 10 करोड़) अतर्वर (र 2 करोड़)। अपारित्यों के सुजन हेतु अनुदान (र 10 करोड़) अत्योग साचा संस्थान अतर्वर के स्वाय माचा संस्थान अतर्वर केविय माचा अनुदान (र 10 करोड़)। अपारित्यों केविय माचा केविय केविय माचा अनुदान (र 10 करोड़)। अपारित्यों केविय माचा संस्थान अतर्वर केविय माचा अनुदान केविय केविय माचा अनुदान केविय के	जोड़ Total
क अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 7.13 करोड़)। (घ) सर्विशिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना। सानव संसाधन विकास मंत्रालय सानव संसाधन विकास मंत्रालय सानव संसाधन विकास मंत्रालय सहायता अनुदान रकीम के अंतर्गत सामान्य (क) (ा) निम्मलिखित के लिए (ा) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान रकीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 183.80 करोड़) (ii) औरोविले प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 10 करोड़) और (2) केन्द्रीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा संस्थान भैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय माषा केन्द्र स्कीम के लिए लघु निर्माण कार्य और रखरखाव (₹ 2 करोड़)। for creation of Capital Assets under the scheme Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (₹7.13 crore). 87.03 (d) For providing Grants-aid-General under the scheme of Sarva Shiksha Abhiyan. 0.10 **MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT** 58 Department of Higher Education (a) For (1) providing (i) Grants-in-aid General under the scheme Grant to Central Universities (₹183.80 crore) (ii) Grants for creation of Capital Assets under the scheme Auroville Management (₹10 crore) and (2) Minor Works, Maintenance for the scheme Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and	
(ध) सर्वशिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय क्षाण्यात अनुदान एवान करना। MINISTRY OF HUMAN RESOURCE	87.03
मानव संसाधन विकास मंत्रालय MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 58 उच्चतर शिक्षा विभाग (क) (1) निम्निलिखित के लिए (i) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 183.80 करोड़) (ii) औरोविले प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 10 करोड़) और (2) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केन्द्र स्कीम के लिए लघु निर्माण कार्य और रखरखाव (₹ 2 करोड़) MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 58 Department of Higher Education (a) For (1) providing (i) Grants-in-aid General under the scheme Grant to Central Universities (₹183.80 crore) (ii) Grants for creation of Capital Assets under the scheme Auroville Management (₹10 crore) and (2) Minor Works, Maintenance for the scheme Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and	0.10
58 उच्चतर शिक्षा विभाग (क) (1) निम्नलिखित के लिए (i) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 183.80 करोड़) (ii) औरोविले प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत पूंजी आरित्यों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 10 करोड़) और (2) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केन्द्र स्कीम के लिए लघु निर्माण कार्य और रखरखाव (₹ 2 करोड़)। 58 Department of Higher Education (a) For (1) providing (i) Grants-in-aid General under the scheme Grant to Central Universities (₹183.80 crore) (ii) Grants for creation of Capital Assets under the scheme Auroville Management (₹10 crore) and (2) Minor Works, Maintenance for the scheme Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and	
(क) (1) निम्नलिखित के लिए (i) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 183.80 करोड़) (ii) औरोविले प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 10 करोड़) और (2) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केन्द्र स्कीम के लिए लघु निर्माण कार्य और स्वरखाव (₹ 2 करोड़)। (a) For (1) providing (i) Grants-in-aid General under the scheme Grant to Central Universities (₹183.80 crore) (ii) Grants for creation of Capital Assets under the scheme Auroville Management (₹10 crore) and (2) Minor Works, Maintenance for the scheme Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and	
Regional Language Centres (₹2 crore). 195.80 (ख) निम्निलखित प्रदान करने के लिए (1) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) under the scheme (i) National Testing राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (₹ 11.45 करोड़) Agency (₹11.45 crore) (ii) Support to	195.80
(ii) भारतीय प्रबंधन संस्थान को सहायता (₹ 80 करोड़) और (iii) स्वच्छता कार्य योजना (₹ 1.40 करोड़) (2) स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (₹ 6.55 करोड़) (ii) स्वच्छता कार्य योजना (₹ 1 करोड़) (3) राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹ 7 करोड़)। Indian Institutes of Management (₹80 crore) and (iii) Swachhta Action Plan (₹1.40 crore) (2) Grants for creation of Capital Assets under the scheme (i) National Testing Agency (₹6.55 crore) and (ii) Swachhta Action Plan (₹1 crore) (3) Grants-in-aid Salaries under the scheme National Testing Agency (₹7 crore). 107.40	107.40
(ग) निम्नलिखित प्रदान करने के लिए (i) भारतीय (c) For providing (i) Grants for creation of भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान स्कीम Capital Assets under the scheme Grants के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹12.15 करोड़) और (ii) केन्द्रीय (₹12.15 crore) and (ii) Grants-in-aid Gश्विद्यालयों को अनुदान स्कीम के अंतर्गत Salaries under the scheme Grants to	
सहायता अनुदान वेतन (₹ 416.20 करोड़)। Central Universities (₹416.20 crore). 428.35	428.35
सूचना और प्रसारण मंत्रालय MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING	
59 सूचना और प्रसारण मंत्रालय 59 Ministry of Information and Broadcasting	
(क) स्वायत्तशासी निकायों के लिए स्वच्छता कार्य (a) Swachchata Action Plan for योजना। Autonomous Bodies. 0.22 (ख) प्रसार भारती के लिए स्वच्छता कार्य योजना (b) For Swachchata Action Plan for Prasar	0.22
हेतु। Bharti. 0.10	

			(₹करोड़ में II	n ₹ Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
64 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	64 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
(क) ग्रामोद्योग अनुदान के तहत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। (ख) ग्रामोद्योग अनुदान के तहत अनुसूचित जाति (₹ 16.23 करोड़) और अनुसूचित जन जाति	 (a) For meeting the additional requirement as Grants-in-aid General under Village Industries Grant. (b) For meeting the additional requirement under Village Industries Grant as 	24.75		24.75
(₹ 8.80 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	Grants-in-aid General under SC Component (₹16.23 crore) and ST Component (₹8.80 crore).	25.03		25.03
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS			
(क) स्वच्छता कार्य मंत्रालय (क) स्वच्छता कार्य योजना के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) स्वच्छता कार्य योजना हेतु मौलाना आजाद शिक्षा संस्थान स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	 66 Ministry of Minority Affairs (a) For meeting additional expendiure under Swachhta Action Plan. (b) For providing Grants-in-aid General under the scheme Maulana Azad Education Foundation for Swachhta 	0.10		0.10
(ग) मीडिया अभियान के तहत स्वच्छता कार्य योजना संबंधी व्यय को पूरा करना (₹ 0.30 करोड़) और अनुसंधान अध्ययन अनुवीक्षण	Action Plan. (c) For meeting expenditure on Swachhta Action Plan under Media Campaign (₹0.30 crore) and Research Studies	10.00		10.00
एवं मूल्यांकन योजनाएं (₹ 0.20 करोड़)।	Monitoring and Evalution of schemes (₹0.20 crore).	0.50		0.50
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
70 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	70 Ministry of Personnel, Public Grievances			
(क) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और पेशंन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग से संबंधित केन्द्रीय सरकार के कार्मिकों की ई-सेवा- पुस्तिका/अभिलेखों के तहत भुगतान करने के लिए।	and Pensions (a) For making payment under e-Service Book/Records of Central Government Employees for Department of Personnel & Training, Department of Administrative Reforms & Public Grievances and Department of	27.00		27.00
(ख) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा स्वच्छता कार्य योजना हेतु प्रावधान करने के लिए।	Pensions & Pensioners Welfare. (b) For making provision for the Swachhta Action Plan by Central Administrative	27.00	•••	27.00
(ग) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्वच्छता कार्य	Tribunal. (c) For Swachhta Action Plan by Staff	0.25		0.25
योजना के लिए। (घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो हेतु स्वच्छता कार्य	Selection Commission. (d) For Swachhta Action Plan for Central	0.30		0.30
योजना के लिए। (ड) सचिवालयी प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, केन्द्रीय सूचना, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी और सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड हेतु स्वच्छता कार्य योजना के लिए प्रावधान करने के लिए।	Bureau of Investigation. (e) For making provision for Swachhta Action for Institute of Secretariat Training & Management, Central Information Commission, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration and Public Enterprise Selection Board.	0.80		0.80

				(₹करोड़ में .	In ₹ Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
71 केन्द्रीय सतर्कता आयोग भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा शुरू की गई लोक संगठन परियोजना हेतु सत्यनिष्ठा इंडेक्स के विकास के लिए।		Central Vigilance Commission For development of Integrity Index for Public Organisation Project undertaken by Indian Institute of Management, Ahmadabad.	1.00		1.00
योजना मंत्रालय 73 योजना मंत्रालय अटल नवोन्मेष अभियान स्वरोजगार एवं प्रतित्रा उपयोग (सेतु) सिहत (₹ 20 करोड़) और (ii) यूएनडीपी द्वारा सहायता प्राप्त विकेन्द्रीकृत आयोजना हेतु समर्थ सुदृढ़ीकरण परियोजना (₹ 0.25 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान से संबंधित अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।		Ministry of Planning For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General for (i) Atal Innovation Mission (AIM) including Self Employment and Talent Utilization (SETU) (₹20 crore) and (ii) UNDP assisted project Strengthening Capacities for Decentralized Planning (₹0.25 crore).	20.25		20.25
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप- राष्ट्रपति का सचिवालय	TH	IE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF VICE PRESIDENT			
77 राज्य सभा (i) सचिवालयी सदस्यों और राज्य सभा टेलीविजन (आरएसटीवी) के लिए संघटकों से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी हेतु सूचना प्रौद्योगिकी (₹ 3.72 करोड़) (ii) सदस्यों और नेता प्रतिपक्ष का चिकित्सा उपचार (₹ 1.55 करोड़ रुपए) (iii) सचिवालयी एवं राज्य सभा टेलीविजन (आरएसटीवी) हेतु विज्ञापन एवं प्रचार (₹ 8.50 करोड़) (iv) राज्य सभा टेलीविजन (आरएसटीवी) हेतु किराया, दरें और कर संबंधी व्यय पूरा करने के लिए ₹ 28 करोड़)।	77	Rajya Sabha For meeting expenditure on (i) Information Technology for IT related components towards Members' Secretariat and Rajya Sabha Television (RSTV) (₹3.72 crore) (ii) Medical Treatment towards Members' and Leader of Opposition (₹1.55 crore) (iii) Advertisement and Publicity towards Secretariat and Rajya Sabha Television (RSTV) (₹8.50 crore) (iv) Rent, Rates & Taxes towards Rajya Sabha Television (RSTV) (₹28 crore).	41.77		41.77
रेल मंत्रालय 80 रेल मंत्रालय निम्नलिखित हेतु (i) बनसवाड़ी-मेनलाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट रेक्स हेतु वर्द्धन और रख-रखाव (₹ 5.23 करोड़) और सरकारी-निजी भागीदारी योजना (₹ 20.91 करोड़) (ii) सालरपुर-फ्राइट टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकास (₹130.83 करोड़) और (iii) वस्तु और सेवाकर मोड्यूल का कार्यान्ययन हेतु डिजाइन, विकास और कम्प्युटरीकरण (₹ 41.72 करोड़)।		Ministry of Railways For (i) Banaswadi-Enhancement of maintenance facilities for Mainline Electrical Multiple Unit rakes (₹5.23 crore) and Public Private Partnership Project (₹20.91 crore) (ii) Salarpur-Development as freight terminal station (₹130.83 crore) and (iii) design, development and computerisation towards implementation of Goods and Service Tax module (₹41.72 crore).		198.69	198.69
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		NISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS Ministry of Road Transport and			
(क) केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) को अंतर खाता अंतरण हेतु।		Highways (a) For Inter Account Transfer to Central Road Fund (CRF).	7,237.78		7,237.78
			.,	•••	. , , , , , , ,

(₹ करोड़ में In ₹ Crore)

राजस्व पूंजी जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Revenue Capital **Total** (ख) निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (b) For meeting additional expenditure on हेत् (i) प्रमुख कार्यों हेत् (i) राष्ट्रीय राजमार्ग (1) Major Works towards (i) National मूल कार्य (₹ 3000 करोड़) (ii) राष्ट्रीय Highways Original Works (₹3000 राजमार्ग अंतर-संयोजकता सुधार कार्यक्रम crore) (ii) the World Bank Externally (एनएचआईपी) की विश्व बैंक से सहायता Aided Schemes of National Highway प्राप्त स्कीम (₹ 175 करोड़) (iii) एशियाई Inter-connectivity Improvement विकास बैंक विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं Programme (NHIP) (₹175 crore) (iii) ₹145 करोड़) (iv) जापान अंतरराष्ट्रीय the Asian Development Bank सहयोग अभिकरण (₹ 250 करोड़) (v) Externally Aided Schemes (₹145 crore) राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर-संयोजकता सुधार (iv) the Japan International कार्यक्रम के विश्व बैंक हेत् काउंटर पार्ट Cooperation Agency (₹250 crore) (v) फंड (₹ 123 करोड़) (vi) एशियाई विकास the Counterpart Fund for World Bank बैंक हेत् काउंटर पार्ट फंड ₹ 147 करोड़) of National Highway Inter-connectivity (vii) जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण Improvement Programme (₹123 crore) हेतु काउंटर पार्ट फंड (₹ 83 करोड़) (2) (vi) the Counterpart Fund for Asian राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर-संयोजकता सुधार Development Bank (₹147 crore) (vii) कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक के अंतर्गत the Counterpart Fund for Japan पेशेवर सेवाएं (₹ 50 करोड़)। International Cooperation Agency (₹83 crore) (2) Professional Services for World Bank aided National Highway Inter-connectivity Improvement Programme (₹50 crore). 3,973.00 3,973.00 ग्रामीण विकास मंत्रालय MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 82 ग्रामीण विकास विभाग Department of Rural Development (क) स्वच्छता कार्य योजना और प्रधानमंत्री आवास (a) For meeting expenditure on account of योजना (पीएमएवाई) के तहत आंतरिक लेखा Swachhta Action Plan and Internal परीक्षा के कारण व्यय पूरा करने हेतू। Audit under Pradhan Mantri Awas 2.00 2.00 Yojna. (ख) स्वच्छता कार्य योजना और राष्ट्रीय सामाजिक (b) For meeting expenditure on account of सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत Swachhta Action Plan and Internal Audit व्यय को पूरा करना। under National Social Assistance 0.02 0.02 Program. (ग) निम्नलिखित हेतु (1) सामान्य सहायता अनुदान (c) For (1) providing Grants-in-aid General प्रदान करने हेत् (i) ग्रामीण स्व-रोजगार towards (i) Special Programme for प्रशिक्षण संस्थान के तहत ग्रामीण विकास Rural Development under Rural Self हेतु विशेष कार्यक्रम (₹ 42.50 करोड़) और Employment Training Institute (₹42.50 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्कीम के crore) and externally aided projects तहत विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं घटक component (₹50 crore) under the (₹ 50 करोड़) (2) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका scheme National Rural Livelihood मिशन योजना के तहत व्यय को पूरा करना Mission (2) meeting expenditure under (i) किराया, दर और कर (₹ 6.50 करोड़) the scheme National Rural Livelihood (ii) कार्यालयी व्यय (सूचना तकनीकी (₹4.80 Mission towards (i) Rent, Rate and करोड़) (iii) स्वच्छता कार्य योजना और Taxes (₹6.50 crore) (ii) Office आंतरिक लेखा परीक्षा (₹ 1.01 करोड़)। Expenses (Information Technology) (₹4.80 crore) (iii) on account of Swachhta Action Plan and Internal Audit (₹1.01 crore). 104.81 104.81 स्वच्छता कार्य योजना (सैप) और महात्मा (d) For meeting expenditure on account of गांधी राष्ट्रीय और ग्रामीण रोजगार गारंटी Swachhta Action Plan and Internal

				(₹करोड़ में I	n ₹ Crore)
अनुद	ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	कार्यक्रम के तहत आंतरिक लेखा परीक्षा व्यय को पूरा करना।	Audit under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme.	1.01		1.01
	(ङ) निम्नलिखित हेतु (i) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत राज्य ग्रामीण विकास संस्थान/विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 30 करोड़) (ii) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना (₹70 करोड़) (iii) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्य व्यय (सूचना प्रौद्योगिकी) को पूरा करना (₹ 0.01 करोड़) (iv) स्वच्छता कार्य योजना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन के तहत आंतरिक लेखा परीक्षा व्यय को पूरा करना (2 करोड़)।	(e) For (i) providing Grants-in-aid General to State Institutes of Rural Development/Extension Training Centres under Other Rural Development Programme (₹30 crore) (ii) Providing Grants for creation of Capital Assets under Other Rural Development Programme (₹70 crore) (iii) meeting Office Expenses (Information Technology) under Other Rural Development Programme (₹0.01 crore) (iv) meeting expenditure on account of Swachhta Action Plan and Internal Audit under Shyama Prasad			
	(च) स्वच्छता कार्य योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आंतरिक लेखा परीक्षा पर व्यय को पूरा करना।	 Mukherjee Rurban Mission (₹2 crore). (f) For meeting expenditure on accout of Swachhta Action Plan and Internal Audit under Pradhan Mantri Gram 	102.01		102.01
		Sadak Yojna.	0.15	•	0.15
विज्ञ	न और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
84	विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग विज्ञान और प्रौद्योगकी और मानव क्षमता निर्माण के अनुसूचित जनजाति घटक के तहत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करना।	84 Department of Science and Technology For meeting expenditure towards Grants-in- aid General under Scheduled Tribe Component of Science and Technology Institutional and Human Capacity Building.	6.00		6.00
85	जैव प्रौद्योगिकी विभाग स्वच्छता कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु।	85 Department of Biotechnology For implementation of Swachhta Action	0.00	•••	0.00
86	विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग औद्योगिक अनुसंधान और विकास स्कीम के पेंटेंट अधिग्रहण और सहयोग अनुसंधान और औद्योगिक विकास स्कीम के तहत सहायता हेतु व्यय को पूरा करना।	Plan. 86 Department of Scientific and Industrial Research For meeting expenditure towards subsidies under Patent Acquisition and collaborative Research and Technology Development of Industrial Research and Development	2.25		2.25
	परिवहन मंत्रालय पोत परिवहन मंत्रालय	Scheme. MINISTRY OF SHIPPING 87 Ministry of Shipping	0.25		0.25
-	(क) निम्नलिखित हेतु (i) जल मार्ग विकास योजना के तहत पूंजी आस्तियों का सृजन हेतु अनुदान (₹ 1 करोड़) (ii) ब्याज देयता हेतु सामान्य सहायता अनुदान और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का अन्य व्यय (₹ 28.70 करोड़) को पूरा करना।	For providing (i) Grants for creation of Capital Assets under Jal Marg Vikas Project (₹1 crore) (ii) Grants-in-aid General for interest liability and other expenses to Inland Waterway Authority of India (₹28.70 crore).	29.70		29.70

			(₹करोड़ में I	n ₹ Crore,
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AN EMPOWERMENT	ND		
89 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	89 Department of Social Justice A Empowerment	nd		
बालक छात्रवास स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त अनुदान देने के लिए।	For providing additional Grants for creation of Capital Assets under the scheme of Bornestel.			10.00
90 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	90 Department of Empowerment of Person with Disabilities		•••	10.00
स्वच्छता कार्य योजना के तहत राष्ट्रीय दृष्टिहीन, बहरे और मानसिक रूप से विकलांग और हड्डी संबंधित विकलांग संस्थान के विस्तार और सुधार योजना स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान	For providing Grants-in-aid General und the scheme expansion and improvement National Institutes for the Blind, De Mentally Retarded and the Orthopedica	t of eaf,		
प्रदान करना।	Handicapped under Swachhta Action Pl	lan. 0.90		0.90
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
91 अंतरिक्ष विभाग	91 Department of Space			
(क) एनई-सैक योजना के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना।	(a) For providing Grants for creation Capital Assets under the scheme SAC.			12.00
(ख) योजना के तहत मशीनरी और उपस्कर संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) स्कैटसैट प्रोजेक्ट (₹4.89 करोड़) (ii) रिर्सोस सैट - 2ए प्रोजेक्ट (₹0.66 करोड़) (iii) जी सैट - 19 प्रोजेक्ट (₹2.35 करोड़) और सूचना प्रौद्योगिकी के तहत अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (₹36.50 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure Machinery and Equipment under a scheme (i) Scattsat Project (₹4. crore) (ii) Resourcesat-2A Project (₹0.66 crore) (iii) GSAT-19 Project (₹2.35 crore) and (iv) Spata Applications Centre under Information Technology (₹36.50 crore).	the 89 ect ect	44.40	44.40
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AN PROGRAMME IMPLEMENTATIO			
92 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	92 Ministry of Statistics and Programs Implementation			
मंत्रालय के पेशेवर सेवाओं के तहत एमपीएलएडीएस की तीसरे पक्ष मानीटरिंग हेतु आवश्यकता को पूरा करना।	For meeting requirement for third pa monitoring of MPLAD Scheme und Professional Services.	=		5.00
वस्त्र मंत्रालय 94 वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES 94 Ministry of Textiles			
(क) स्वच्छता कार्य योजना हेतु सचिवालय स्थापना	(a) For meeting additional requirement	ent		
हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।	towards Secretariat Establishment	for		0.10
(ख) निम्नलिखित अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु (i) पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में सामान्य विद्युत करघा का इन-सिटू उन्नयन (₹1 करोड़) (ii) सामान्य सहायता अनुदान के रूप में डिजाइनकृत तकनीकी उन्नयन योजना (₹3.80 करोड़) और अन्य प्रभार (₹0.20 करोड़) (iii) विज्ञापन	Swachhta Action Plan. (b) For meeting additional requirement towards (i) In-Situ Up-gradation Plain Powerloom as Grants for create of Capital Assets (₹1 crore) (Designand Technical Up-gradati Scheme as Grants-in-aid Gene (₹3.80 crore) and Other Charges (₹0.	of ion (ii) ion ral		0.10

(₹ करोड़ में In ₹ Crore) राजस्व पूंजी जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital **Total** Grant No. & title and description of items Revenue और प्रचार के रूप में हथकरघा कला समग्र crore) (iii) Handicraft Artisans कल्याण योजना (₹0.20 करोड़) और अन्य Comprehensive Welfare Scheme as प्रभार (₹1.80 करोड़) (iv) सामान्य सहायता Advertising and Publicity (₹0.20 crore) अनुदान के रूप में बाबा साहेब अम्बेडकर and Other Charges (₹1.80 crore) (iv) हस्तशिल्प योजना (₹1.80 करोड़) और अन्य Baba Sahab Ambedkar Hastshilp Yojna प्रभार (₹0.20 करोड़) और (v) विपणन as Grants-in-aid General (₹1.80 crore) सहायता और विज्ञापन और प्रचार के रूप में and Other Charges (₹0.20 crore and (v) सेवाएं (₹0.30 करोड़), सामान्य सहायता Marketing Support and Services as अनुदान (₹9.40 करोड़) और अन्य प्रभार Advertising and Publicity (₹ 0.30 (₹0.30 करोड़) (vi) विज्ञापन और प्रचार crore), Grants-in-Aid General (₹9.40 के रूप में अनुसंधान और विकास (₹0.30 crore) and Other Charges (₹0.30 crore) करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹4.40 (vi) Research and Development as करोड़) और अन्य प्रभार (₹0.30 करोड़) Advertising and Publicity(₹0.30 crore), (vii) सामान्य सहायता अनुदान के रूप मानव Grants-in-aid General (₹4.40 crore) and अनुसंधान विकास (₹2.40 करोड़) और अन्य Other Charges (₹0.30 crore) (vii) प्रभार (₹1.60 करोड़)। Human Research Development as Grants-in-aid General (₹2.40 crore) and 28.00 Other Charges (₹1.60 crore). 28.00 (ग) निम्नलिखित हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा (c) For meeting additional requirement करना (i) सामान्य सहायता अनुदान के रूप towards (i) Integrated में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (₹25.09 Development Programme as Grants-in-करोड़), पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान aid General (₹25.09 crore), Grants for (₹3.41 करोड़) वेतन सहायता अनुदान creation of Capital Assets (₹3.41 crore), (₹3.50 करोड़) और स्वच्छता कार्य योजना Grants-in-aid Salaries (₹3.50 crore) and हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹0.20 करोड़) Grants-in-aid General for Swachhta (ii) स्वच्छता कार्य योजना हेतु सामान्य Action Plan (₹0.20 crore) (ii) सहायता अनुदान के तहत सिल्क उद्योग का Development of Silk Industry under विकास (₹0.50 करोड़) (iii) पूंजी आस्तियों Grants-in-aid General for Swachhta के सृजन हेतु अनुमानों के रूप में विद्युत Action Plan (₹0.50 crore) (iii) Integrated करघा क्षेत्र विकास हेतु एकीकृत योजना Scheme for Powerloom Sector (₹8 करोड़), लघु कार्य (₹0.85 करोड़) Development as Grants for creation of और स्वच्छता कार्य योजना (सैप) हेतु सामान्य Capital Assets (₹8 crore), Minor Works सहायता अनुदान (₹0.20 करोड़) (iv) पूंजी (₹0.85 crore) and Grants-in-aid General आस्तियों के सृजन हेत् अनुदानों के रूप में for Swachhta Action Plan (₹0.20 crore) सामान्य विद्युत करघा का इन-सिट्र उन्नयन (iv) In-situ Upgradation of Plain (₹6 करोड़), और स्वच्छता कार्य योजना Powerloom as Grants for creation of हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹0.10 करोड़) Capital Assets (₹6 crore), and Grants-(v) स्वच्छता कार्य योजना हेत् कार्यालयी in-aid General for Swachhta Action Plan व्यय के रूप में हथकरघा हेत् विकास आयुक्त (₹0.10 crore) (v) Development (₹0.15 करोड़) और (vi) स्वच्छता कार्य Commissioner for Handloom as Office योजना हेतु कार्यालयी व्यय के रूप हस्तशिल्प Expenses for Swachhta Action Plan हेत् विकास आयुक्त (₹0.10 करोड़)। (₹0.15 crore) and (vi) Development Commissioner for Handicraft as Office Expenses for Swachhta Action Plan 48.10 48.10 (₹0.10 crore). (घ) निम्नलिखित हेत् अतिरिक्त व्यय को पूरा (d) For meeting additional requirement करना (i) स्वच्छता कार्य योजना हेतु कार्यालयी towards (i) Textile Commissioner as व्यय के रूप में कपड़ा आयुक्त (₹0.10 करोड़) Office Expenses for Swachhta Action

Plan (₹0.10 crore) (ii) Jute

Commissioner as Office Expenses for

(ii) स्वच्छता कार्य योजना हेत् कार्यालयी

व्यय के रूप में जूट आयुक्त (₹0.10 करोड़)

			(₹करोड़ में I	n ₹ Crore,
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(iii) मूल्य समर्थन हेतु भारत जूट निगम को राजसहायता (₹6.78 करोड़)।	Swachhta Action Plan (₹0.10 crore) (iii Subsidy to Jute Corporation of India towards Price Support (₹6.78 crore).			6.98
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
95 पर्यटन मंत्रालय स्कीमों के तहत स्वच्छता कार्य योजना, के कार्यान्वयन हेतु निधियां प्रदान करना (i) स्वदेश दर्शन (₹18 करोड़) (ii) तीर्थाटन नवीकरण और आत्मिक साधना संचालन (प्रसाद) (₹3.60 करोड़) (iii) आतिथ्य सहित घरेलू प्रचार और संवर्धन (₹3.60 करोड़) है (iv) सेवा प्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण (₹18 करोड़)।	95 Ministry of Tourism For providing funds for implementation of Swachhta Action Plan under schemes (in Swadesh Darshan (₹18 crore) (iii) Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive (₹3.60 crore) (iii) Domestic Publicity & Promotion including Hospitality (₹3.60 crore) (iv) Capacity Building for service providers (₹18 crore).) 3 7		43.20
जनजातीय कार्य मंत्रालय 96 जनजातीय कार्य मंत्रालय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹0.01 करोड़) और पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति (₹0.01 करोड़) के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना।	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS 96 Ministry of Tribal Affairs For providing Grants-in-aid General under the scheme Pre Matric Scholarship (₹0.01 crore) and under Post Matric Scholorship (₹0.01 crore).			0.02
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
97. शहरी विकास मंत्रालय (क) भारत सरकार स्टेशनरी कार्यालय हेतु पेशेवर सेवाओं हेतु व्यय को पूरा करना।	 97 Ministry of Urban Development (a) For meeting expenditure towards Professional Services for Government 			
(ख) एविकशन इंस्पेक्टर द्वारा किराये पर लिए	of India Stationery Office.	0.01		0.01
गए श्रमिकों को भुगतान करने के लिए। (ग) रिजर्व फंड शीर्षों को अंतरण के तहत उपलब्ध निधियों वाले स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में	(b) For making payment to labourers hired by Eviction Inspector.(c) For rectification to match the Gross Budgetary Support in respect of	0.05		0.05
सकल बजटीय सहायता को मिलाने के लिए सुधार हेतु। (घ) निम्नलिखित हेतु (i) भारत के संविधान क्लब का पुननिर्माण (₹1 करोड़) (ii) भारत सरकार (मुद्राणालय का पुननिर्माण (₹5 करोड़) (iii) वित्त (राजस्व) और लेखा (₹130 करोड़) के चल रहे कार्य हेतु।	Swachh Bharat Mission with funds under the transfer to reserve funds. (d) For (i) re-development of Constitution Club of India (₹1 crore) (ii) re development of Government of India Press (₹5 crore) (iii) on-going works of Finance (Revenue) and Audit (₹130	369.40		369.40
active and egi	crore).	·	136.00	136.00
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT	•		
99 महिला और बाल विकास मंत्रालय	99 Ministry of Women and Child Development	I		
निम्नलिखित हेतु (i) आंगवाड़ी सेवाओं के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान हेतु स्वच्छता कार्य योजना (₹2 करोड़) और बाल सुरक्षा स्कीम के तहत सामान्य सहायता	(a) For (i) Swachhta Action Plan towards Grant for creation of Capital Assets under Anganwadi Services (₹2 crore and towards Grants-in-aid Genera	3		

under Child Protection Scheme (₹1.80

crore) (ii) meeting expenditure towards

अनुदान (₹1.80 करोड़) (ii) अन्य व्यय के

तहत राज्य/संघ शासित राज्यों के निलंब

					(₹करोड़ में	In ₹ Crore)
नुदान संख्या	और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant I	No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	ते को निधि के अंतरण हेतु मातृत्व लाभ र्यक्रम हेतु व्यय को पूरा करना (₹9.70		Maternity Benefit Programme for transfer of fund to Escrow account of			
	वेक्रम हतु प्ययं का पूरा करना (९७.७०) ोड़) और सामान्य सहायता अनुदान		States/UTs (₹9.70 crore) and Grants-in-			
	1,946 करोड़) (iii) एससी घटक के		aid General (₹1,946 crore) (iii) Grants-			
•	त सामान्य सहायता अनुदान (₹221.40		in-aid General under SC Component			
	ोड़) और (iv) किशोरी योजना के तहत		(₹221.40 crore) and (iv) Professional			
	वर सेवाएं (₹0.11 करोड़)।		Services under the scheme			
131	4 (1415 (10.11 4/119)1		Adolescent Girls (₹0.11 crore).	2,181.01		2181.01
(ख) स्वर	च्छता कार्य योजना हेतु (i) आंगनवाड़ी	(b)	For Swachhta Action Plan towards (i)	2,101.01	•••	2101.01
	ाओं के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन	(-)	Grants for creation of Capital Assets			
	अनुदान (₹5.92 करोड़) और बाल सुरक्षा		under Anganwadi Services (₹5.92 crore)			
	ोम के तहत सामान्य सहायता अनुदान		and Grants-in-aid General under Child			
	J.20 करोड़)।		Protection Scheme (₹1.20 crore).	7.12		7.12
•	च्छता कार्य योजना हेतु (i) आंगनवाड़ी	(c)	For Swachhta Action Plan towards (i)			
	ाओं के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन		Grants for creation of Capital Assets			
	अनुदान (₹54 करोड़) और बाल सुरक्षा		under Anganwadi Services (₹54 crore)			
-	ोम के तहत सामान्य सहायता अनुदान		and Grants-in-aid General under Child			
(₹8	3 करोड़)।		Protection Scheme (₹8 crore).	62.00		62.00
(घ) स्वन	च्छता कार्य योजना हेतु (i) आंगनवाड़ी	(d)	For Swachhta Action Plan towards (i)			
सेव	ाओं के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन		Grants for creation of Capital Assets			
हेतु	अनुदान (₹3.60 करोड़) और बाल सुरक्षा		under Anganwadi Services (₹3.60			
स्क	ोम के तहत सामान्य सहायता अनुदान		crore) and (ii) Grants-in-aid General			
(₹1	। करोड़)।		under Child Protection Scheme			
			(₹1 crore).	4.60		4.60

युवा और खेल मामले मंत्रालय

100 युवा और खेल मामले मंत्रालय

(क) (1) निम्नलिखित हेतु (i) युवा छात्रावास योजना के तहत छात्रावास प्रबंधकों और वार्डनों को मानदेय (₹0.20 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता स्कीम के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण क्षेत्रीय केंद्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतर को पाटने के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेत् अनुदान (₹80 करोड़) (iii) खेलकूद में मानव संसाधन विकास योजना के तहत अतिरिक्त छात्रवृत्ति (₹0.40 करोड़) और पूंजी घटक के तहत अवसंरचना परियोजनाओं हेतु खेलो इंडिया स्कीम चल रही पूंजी परियोजनाओं/नए परियोजनाओं को पूरा किए जाने के तहत पूंजी आस्तियों का सृजन (₹150 करोड़) (2) निम्नलिखित स्पोर्टस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) सहायता अनुदान वेतन के तहत 7वां केंद्रीय वेतन आयोग (₹74 करोड़) (ii) आस्तियों का सृजन हेतु अनुदान के तहत चल रही पूंजी परियोजनाओं/नई परियोजनाओं को पूरा करना (₹80 करोड़) और (iii) सामान्य श्रेणी के तहत सामान्य सहायता

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

100 Ministry of Youth Affairs and Sports

(a) For (1) providing (i) Honoraria to the Hostel Managers and Wardens under Youth Hostel Scheme (₹0.20 crore) and (ii) Grants for creation of Capital Assets to fill up the critical infrastructural gaps at Sports Authority of India regional Centres under the scheme Assistance to National Sports Federation (₹80 crore) (iii) additional Scholarship/ Stipend under the scheme Human Resource Development in Sports (₹0.40 crore) and (iv) Grants for creation of Capital Assets under the scheme Khelo India for Infra Projects, completion of ongoing capital projects/ new projects under capital component (₹150 crore) (2) meeting additional requirement under Sports Authority of India for (i) 7th CPC under Grants-inaid Salaries (₹74 crore) (ii) completion of ongoing capital projects/new projects under Grants for creation of

कुल जोड़

निवल नकद व्यय

तकनीकी पूरक

सांकेतिक पूरक

			(₹ करोड़ में I	n ₹ Crore,
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
अनुदान प्रदान करते हुए राष्ट्रीय स्पोर्टस अकादिमयां / प्रशिक्षण केंद्रों को चलाना (₹10 करोड़) और एससी श्रेणी के तहत (₹15 करोड़) और एसटी श्रेणी के तहत (₹10 करोड़)।	Capital Assets (₹80 crore) and (iii) to run the National Sports Academies/ training Centers providing Grants-in-aid General under General category (₹10 crore), under SC category (₹15 crore) and under ST category (₹10 crore). (b) For providing additionality for Sports Authorites (Indianalysis) Counts in	419.60		419.60
को पूरा करने के अंतर्गत (i) 7 वां केंद्रीय वेतन आयोग के खाते में वेतन सहायता अनुदान (₹5 करोड़) (ii) पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के तहत चल रही पूंजी परियोजनाओं / नई परियोजनाओं को पूरा करना (₹10 करोड़) और राष्ट्रीय खेल अकादमी/प्रशिक्षण केंद्रों को चलाने हेतु सामान्य श्रेणी हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹5 करोड़)।	Authority of India under (i) Grants-in- aid Salaries on account of the 7th CPC (₹5 crore) (ii) completion of ongoing capital projects/new projects under Grants for creation of Capital Assets (₹10 crore) and (iii) Grants-in-aid General towards General category to run the National Sports Academies training centres (₹5 crore).	20.00		20.00
कुल सांकेतिक	Total Token	0.87	0.14	1.01

GRAND TOTAL

Net Cash Outgo

Technical Supplementary

Token Supplementary

10,383.32

10,122.95

259.50

0.87

782.86 11,166.18

524.50 10,647.45

517.72

1.01

258.22

0.14

विषय सूची CONTENTS

						(₹ करे	ड़ <i>) (in ₹</i>	crores)
					राजस्व	पूंजी	जोड़	पृष्ट
मांग	। संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capital		Page
कृषि	ा, सहकारिता एवं		MINISTRY OF AGRICULTURE AND					
-	किसान कल्याण मंत्रालय		FARMERS' WELFARE					
1	कृषि, सहकारिता और किसान		1 Department of Agriculture, Cooperation					
	कल्याण विभाग	स्वीकृत	and Farmers' Welfare	Voted	0.05	12.85	12.90	1
2.	कृषि अनुसंधान और		2. Department of Agricultural Research					
	शिक्षा विभाग	स्वीकृत	and Education	Voted	0.01		0.01	3
3.	पशु पालन और डेयरी कार्य	Č	3. Department of Animal Husbandry,					
	तथा मात्स्यिकी विभाग	स्वीकृत	Dairying and Fisheries	Voted	0.04	0.01	0.05	4
आयु	विंद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्र		MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND					
	यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी		NATUROPATHY, UNANI,SIDDHA					
	मंत्रालय (आयुष)		AND HOMOEOPATHY (AYUSH)					
5.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक		5. Ministry of Ayurveda, Yoga and					
	चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा		Naturopathy, Unani, Siddha and					
	होम्योपैथी विभाग (आयुष)	स्वीकृत	Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.01		0.01	5
रसा	यन और उर्वरक	c	MINISTRY OF CHEMICALS AND					
	मंत्रालय		FERTILIZERS					
6.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	स्वीकृत	6. Department of Chemical and Petrochemicals	Voted	0.01	360.26	360.27	6
7.	उर्वरक विभाग	स्वीकृत	7. Department of Fertilisers	Voted	0.01		0.01	7
	र विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION	, otea	0.01		0.01	,
9.	नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	9. Ministry of Civil Aviation	Voted	0.02		0.02	8
	ाज्य और उद्योग	13-11-1	MINISTRY OF COMMERCE	Voicu	0.02	•••	0.02	O
-111	मंत्रालय		AND INDUSTRY					
11	वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	11. Department of Commerce	Voted	40.00	1.39	41.39	9
12.		العاميرا	12. Department of Industrial Policy	voicu	40.00	1.57	41.57	
12.	संवर्धन विभाग	स्वीकृत	and Promotion	Voted	2000.00		2000.00	10
त्रपः	भोक्ता मामले, खाद्य और	113-11-1	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,	Voicu	2000.00	•••	2000.00	10
04	सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
15	उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	15. Department of Consumer Affairs	Voted	500.00		500.00	11
16.		-	Department of Consumer Arrans Department of Food and Public Distribution		52.11	•••	52.11	12
	पोरेट कार्य मंत्रालय	गरपापट्टरा	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS	Voicu	32.11	•••	32.11	12
	कारपोरेट कार्य मंत्रालय कारपोरेट कार्य मंत्रालय	स्वीकृत		Vatad	40.01		40.01	12
	कृति मंत्रालय	स्पापरूरा	17. Ministry of Corporate Affairs	Voted	40.01	•••	40.01	13
	c	स्वीकृत	MINISTRY OF CULTURE	Vatad	0.02	0.01	0.04	1.4
	संस्कृति मंत्रालय	स्वाकृत	18. Ministry of Culture	Voted	0.03	0.01	0.04	14
	मंत्रालय	-	MINISTRY OF DEFENCE	37 . 1	26.02		26.02	1.0
19.	` '	स्वीकृत	19. Ministry of Defence (Misc)	Voted	36.82	•••	36.82	16
20.	, , ,	स्वीकृत	20. Defence Services (Revenue)	Voted	0.01		0.01	17
	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	भारित		harged	•••	80.00	80.00	18
ųai [.]	तर क्षेत्र विकास		MINISTRY OF DEVELOPMENT OF					
	मंत्रालय		NORTH EASTERN REGION					
23.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	0	23. Ministry of Development of North					
	मंत्रालय .	स्वीकृत	Eastern Region	Voted	0.03	•••	0.03	19
इलव	म्ट्रानिक्स एवं सूचना		MINISTRY OF ELECTRONICS AND					
	प्रौद्योगिकी मंत्रालय		INFORMATION TECHNOLOGY					
26.	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना	•	26. Ministry of Electronics and Information					
,	प्रौद्योगिकी मंत्रालय	स्वीकृत	Technology	Voted	100.00		100.00	20
पर्या	वरण, वन और जलवायु		MINISTRY OF ENVIRONMENT,					
	परिवर्तन मंत्रालय		FORESTS AND CLIMATE CHANGE					
27.	पर्यावरण, वन और जलवायु		27. Ministry of Environment, Forests and					
	परिवर्तन मंत्रालय	भारित	Climate Change C	harged		0.67	0.67	21
		स्वीकृत		Voted	0.03		0.03	

								ोड़) (in ₹	
मांग	संख्या और शीर्षक			No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital		पृष्ठ Page
	मंत्रालय					Revenue	Сарпа	1 Otal	1 age
ιαπ 29.	2, , ,	स्वीकृत		NISTRY OF FINANCE Department of Economic Affairs	Voted	98.46	0.01	98.47	22
_	व्यय विभाग	स्वीकृत		Department of Expenditure	Voted	2.00		2.00	23
	राजस्व विभाग	स्वीकृत		Department of Revenue	Voted	0.01		0.01	24
	प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत		Direct Taxes	Voted		0.02	0.02	25
35.	अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत		Indirect Taxes	Voted	386.43	163.57	550.00	26
38	विनियोग-ऋण अदायगी	भारित		Appropriation - Repayment of Debt	Charged		0.01	0.01	27
	राज्य को अंतरण	स्वीकृत		Transfers to States	Voted	0.01		0.01	28
खाद्य	प्रसंस्करण	C		NISTRY OF FOOD PROCESSING		****			
	उद्योग मंत्रालय			INDUSTRIES					
41.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	41.	Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.01		0.01	29
स्वार	थ्य एवं परिवार कल्याण	C		NISTRY OF HEALTH AND					
	मंत्रालय			FAMILY WELFARE					
42.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	ा स्वीकृत	42.	Department of Health and Family Welfa	re Voted		132.91	132.91	30
गृह	मंत्रालय			NISTRY OF HOME AFFAIRS					
46.	गृह मंत्रालय	स्वीकृत	46.	Ministry of Home Affairs	Voted	0.01	•••	0.01	31
47.	मंत्रिमंडल	स्वीकृत	47.	Cabinet	Voted	0.01	•••	0.01	32
48.	पुलिस	स्वीकृत	48.	Police	Voted	0.01	0.01	0.02	33
संघ	शासित क्षेत्र		UN	ION TERRITORIES					
	(विधानमंडल रहित)			(WITHOUT LEGISLATURE)					
49.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमू	ह स्वीकृत	49.	Andaman and Nicobar Islands	Voted		0.01	0.01	34
51.	दादरा एवं नगर हवेली	स्वीकृत	51.	Dadra and Nagar Haveli	Voted	8.40		8.40	35
52.	दमन और दीव	स्वीकृत	52.	Daman and Diu	Voted		0.01	0.01	36
55.	पुडुचेरी को अंतरण	स्वीकृत	55.	Transfers to Puducherry	Voted	17.70		17.70	37
मानव	व संसाधन विकास		MI	NISTRY OF HUMAN RESOURCE					
	मंत्रालय			DEVELOPMENT					
57.	स्कूली शिक्षा और		57.	Department of School Education					
	साक्षरता विभाग	स्वीकृत		and Literacy	Voted	0.04		0.04	38
	उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	58.	Department of Higher Education	Voted	0.03	•••	0.03	39
सूचन	ना और प्रसारण		MI	NISTRY OF INFORMATION					
	मंत्रालय			AND BROADCASTING					
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत	59.	Ministry of Information and Broadcastin	g Voted	0.02		0.02	40
	और रोजगार मंत्रालय	_	MI	NISTRY OF LABOUR AND EMPLOY	MENT				
	श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	60.	Ministry of Labour and Employment	Voted		19.00	19.00	41
सूक्ष्म	, लघु और मध्यम		MI	NISTRY OF MICRO, SMALL AND					
	उद्यम मंत्रालय			MEDIUM ENTERPRISES					
64.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम		64.	Ministry of Micro, Small and Medium					
	उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत		Enterprises	Voted	0.02		0.02	42
	संख्यक मामले मंत्रालय	0		NISTRY OF MINORITY AFFAIRS					
	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	स्वीकृत		Ministry of Minority Affairs	Voted	0.03		0.03	43
कााम	र्कि और लोक शिकायत,		MI	NISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC					
	पेंशन मंत्रालय			GRIEVANCES AND PENSIONS					
70.	कार्मिक और लोक शिकायत,		70.	Ministry of Personnel, Public					
	पेंशन मंत्रालय	स्वीकृत		Grievances and Pensions	Voted	0.05	0.08	0.13	44
<i>/</i> 1.	विनियोग - केंद्रीय सतर्कता	a	71.	Appropriation - Central Vigilance	a			0.01	
2-26	आयोग	भारित		Commission	Charged	0.01		0.01	45
чट्राा	लेयम और प्राकृतिक		MI	NISTRY OF PETROLEUM AND					
70	गैस मंत्रालय			NATURAL GAS					
72.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक	-	72.	Ministry of Petroleum and				=000000	
11)	गैस मंत्रालय ना मंत्रालय	स्वीकृत	3.50	Natural Gas	Voted	7000.00		7000.00	46
		111-1		NISTRY OF PLANNING	X7 . 4	0.01		0.01	
	योजना मंत्रालय पति, संसद, संघ	स्वीकृत		Ministry of Planning	Voted	0.01		0.01	47
राष्ट्र	पात, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और		TH	TE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNIC					
				PUBLIC SERVICE COMMISSION A	AND				
	उपराष्ट्रपति का सचिवालय			THE SECRETARIAT OF THE					
77		تحاكمت		VICE PRESIDENT	3 7 1	0.01		0.01	40
11.	राज्य सभा	स्वीकृत	//.	Rajya Sabha	Voted	0.01	•••	0.01	48

					(₹ क	रोड़) (in ₹	crores)
				राजस्व	[`] पूंर्ज		पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capita		Page
रेलवे मंत्रालय		MINISTRY OF RAILWAYS					
80. रेलवे मंत्रालय	स्वीकृत	80. Ministry of Railways	Voted		0.01	0.01	49
सड़क परिवहन और राजमार्ग		MINISTRY OF ROAD TRANSPORT	rotea	•••	0.01	0.01	.,
मंत्रालय		AND HIGHWAYS					
81. सड़क परिवहन और राजमार्ग		81. Ministry of Road Transport and					
मंत्रालय	स्वीकृत	Highways	Voted	0.01	0.01	0.02	50
ग्रामीण विकास विभाग		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT	roteu	0.01	0.01	0.02	50
82. ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	82. Department of Rural Development	Voted	0.06		0.06	51
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOL		0.00	•••	0.00	51
84. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	84. Department of Science and Technology	Voted	0.01		0.01	53
85. जैविकी प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	85. Department of Biotechnology	Voted	0.01		0.01	54
86. वैज्ञानिक और औद्योगिक		86. Department of Scientific and Industrial		0.02		****	
अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	Research	Voted	0.01		0.01	55
पोत परिवहन मंत्रालय		MINISTRY OF SHIPPING	, 0.00	0.01		0.01	
87. पोत परिवहन मंत्रालय	स्वीकृत	87. Ministry of Shipping	Voted	0.01		0.01	56
सामाजिक न्याय और		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND		0.02		****	
अधिकारिता विभाग		EMPOWERMENT					
89. सामाजिक न्याय और		89. Department of Social Justice and					
अधिकारिता विभाग	स्वीकृत	Empowerment	Voted	0.01		0.01	57
90. दिव्यांगजन सशक्तिकरण	c	90. Department of Empowerment of					
विभाग	स्वीकृत	Persons with Disabilities	Voted	0.01		0.01	58
अंतरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE					
91. अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	91. Department of Space	Voted	0.01	0.01	0.02	59
सांख्यिकी और कार्यक्रम	C	MINISTRY OF STATISTICS AND					
कार्यान्वयन मंत्रालय		PROGRAMME IMPLEMENTATION					
92. सांख्यिकी और कार्यक्रम		92. Ministry of Statistics and Programme					
कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	Implementation	Voted	0.01		0.01	60
कपड़ा मंत्रालय	Č	MINISTRY OF TEXTILES					
94. कपड़ा मंत्रालय	भारित	94. Ministry of Textiles	Charged		12.00	12.00	61
	स्वीकृत		Voted	0.04		0.04	
पर्यटन मंत्रालय		MINISTRY OF TOURISM					
95. पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत	95. Ministry of Tourism	Voted	0.01		0.01	63
जनजाति कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
96. जनजाति कार्य मंत्रालय	भारित	96. Ministry of Tribal Affairs	Charged	0.01		0.01	64
	स्वीकृत		Voted	3.14	•••	3.14	
शहरी विकास मंत्रालय		MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT					
97. शहरी विकास मंत्रालय	भारित	97. Ministry of Urban Development	Charged	4.00	•••	4.00	65
	स्वीकृत		Voted	0.03	0.01	0.04	
जल संसाधन, नदी विकास		MINISTRY OF WATER RESOURCES,					
और गंगा संरक्षण		RIVER DEVELOPMENT AND					
मंत्रालय		GANGA REJUVENATION					
98. जल संसाधन, नदी विकास और		98. Ministry of Water Resources, River					
संरक्षण मंत्रालय	स्वीकृत	Development and Ganga Rejuvenation	Voted	93.42	•••	93.42	66
महिला और बाल		MINISTRY OF WOMEN AND					
विकास मंत्रालय		CHILD DEVELOPMENT					
99. महिला और बाल	_	99. Ministry of Women and Child					
विकास मंत्रालय	स्वीकृत	Development	Voted	0.04		0.04	67
युवा मामले और खेल		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS					
मंत्रालय	0	AND SPORTS					
100. युवा मामले और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	100. Ministry of Youth Affairs and Sports	Voted	0.02		0.02	68
कुल जोड़		GRAND TOTAL	a.	11,383.32		11166.18	
	भारित		Charged	4.02	92.68	96.70	
	स्वीकृत		Voted	10379.30	690.18	11069.48	

कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS' WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड Charged Voted Total I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अन्दान: राजस्व 52575.57 52575.57 Revenue पुंजी Capital 79.43 79.43 जोद 52655.00 52655.00 Total Supplementary Estimate of the amount now इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: required: 0.05 0.05 राजस्व Revenue पूंजी Capital 12.85 12.85 Total 12.90 12.90 जोड़ (मूल और पूरक) 52667.90 52667.90 Total (Original plus Supplementary) राजस्व Revenue 52575.62 52575.62 पुंजी Capital 92.28 92.28 ॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: भारित स्वीकृत जॉड Charged Voted Total REVENUE SECTION राजस्व भाग म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2401-कृषि कार्य 0.01 (**क**a) 0.01 2401-Crop Husbandry 2435-अन्य कृषि कार्यक्रम 2435-Other Agricultural Programmes (खb) 0.01 0.01 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0.01 (गc) 0.01 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Governments 0.01 (घd) 0.01 3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता 3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments (ਤe) 0.01 0.01 अनुदान जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.05 0.05 पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 4401-फसल कार्य पर पूंजी परिव्यय 4401-Capital Outlay on Crop Husbandry 12.85 12.85 (चf) जोड़ (पूरक) 12.90 Total (Supplementary) 12.90

(a)

(b)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- The supplementary grants are required for:
- हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना के तहत कपास विकास निदेशालय के लघु कार्य (₹ 0.43 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए
 - हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना के तहत राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (ii) प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 7.90 करोड़) के लिए
 - हरित क्रांति-कृषोन्नजति योजना के तहत परम्परागत कृषि विकास योजना के (iii) अंतर्गत अतिरिक्त सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 16 करोड़) के लिए
 - हरित क्रांति- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्वच्छता कार्य योजना के (iv) अंतर्गत अतिरिक्त सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 11.50 करोड़) के लिए
 - अनुदान के इस खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, एक सांकेतिक अनुपूरक की मांग की जाती है।
- हरित क्रांति-कृषोन्नाति योजना के तहत स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत (ख) सामान्य घटक (₹ 22 करोड़), अनु सूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹ 5 करोड़) और आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (₹ 3 करोड़) के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान-सामान्य प्रदान करने के लिए ।
 - अन्दान के इस खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक अन् पूरक की मांग की जाती है।

- providing additional funds under Minor Works of Directorate of (i) Cotton Development under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹ 0.43 crore)
- (ii) releasing additional Grants in aid General under National Project on Management of Soil Health and Fertility under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹ 7.90 crore)
- providing additional Grants-in-aid-General under Paramparagat Krishi Vikas Yojna under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹ 16 crore)
- providing additional Grants-in-aid-General for Swachhta Action Plan under Green Revolution-Rashtriya Krishi Vikas Yojna (₹ 11.50 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - providing additional Grants-in-aid-General for General Component (₹ 22 crore), for Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 5 crore) and for Tribal Area Sub-Plan (₹ 3 crore) under Swachhta Action Plan of Green Revolution-Krishonnati Yojna.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d)

- (ग) (i) हरित क्रांति-कृषोन्नित योजना के तहत समेकित बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 100 करोइ) प्रदान करने के लिए
 - (ii) हरित क्रांति- कृषोन्नित योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 15 करोड़) प्रदान करने के लिए
 - (iii) हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना के तहत राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 28.22 करोड़) प्रदान करने के लिए
 - (iv) हरित क्रांति- कृषोन्नित योजना के तहत तिलहन और आयलपाम प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 9.05 करोड) प्रदान करने के लिए
 - हिरत क्रांति- कृषोन्नित योजना के तहत कृषि विस्तातर उप-मिशन के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान-सामान्य
 (₹ 30 करोड) प्रदान करने के लिए
 - अनुदान के इस खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए एक सांकेतिक अनुपूरक की मांग की जाती है।
- (घ) (i) डीजल आर्थिक सहायता के तहत सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 21.35 करोड़) प्रदान करने के लिए
 - हिरत क्रांति-कृषोन्नित योजना के तहत समेकित कृषि संगणना एवं सांख्यिकी योजना के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 125.60 करोड़) प्रदान करने के लिए
 - (iii) हरित क्रांति-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्वच्छता कार्य योजना के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 36 करोड़) प्रदान करने के लिए ।
 - अनुदान के इस खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, एक सांकेतिक अनुपूरक की मांग की जाती है।
- (इ) हरित क्रांति-कृषोन्नित योजना के तहत समेकित कृषि संगणना एवं सांख्यिकी योजना के कार्यान्वतयन के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 0.90 करोइ) प्रदान करने के लिए ।
 - अनुदान के इस खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक अनुपूरक की मांग की जाती है।
- (च) (i) पौध संरक्षण एवं पौध संघरोध उपिमशन के तहत मशीनरी एवं उपकरण (₹
 12.85 करोड) के अंतर्गत अतिरिकृत निधियां प्रदान करने के लिए
 - पौध संरक्षण एवं पौध संघरोध उपिमशन के तहत मोटर वाहन (₹ 2.02 करोड़)
 के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ।
 - अनुदान के राजस्व खंड में उपलब्ध बचत को वापस लौटाने को ध्यान में रखते हु ए और अनुदान के इस खंड में बचत के उपयोग के बाद उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (i) providing additional Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under Mission for Integrated Development of Horticulture under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹ 100 crore).
- (ii) providing additional Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under National Food Security Mission under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹ 15 crore).
- (iii) providing additional Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under National Mission for Sustainable Agriculture under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹ 28.22 crore).
- (iv) providing additional Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under Technology Mission of Oilseeds and Oil Palm under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹ 9.05 crore).
- (v) providing additional Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under Sub-Mission on Agriculture Extension under Green Revolution-Krishonnati Yoina (₹ 30 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) providing Grants-in-aid General under Diesel Subsidy (₹ 21.35 crore).
 - (ii) providing Grants-in-aid General for implementation of Integrated Scheme on Agriculture Census and Statistics under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹ 125.60 crore).
 - (iii) providing additional Grants-in-aid General for Swachhta Action
 Plan under Green Revolution-Rashtriya Krishi Vikas Yojna
 (₹ 36 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - providing Grants-in-aid General for implementation of Integrated Scheme on Agriculture Census and Statistics under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹ 0.90 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - (i) providing additional funds under Machinery and Equipment under Sub-Mission on Plant Protection and Plant Quarantine (₹ 12.85 crore)
 - (ii) meeting additional requirement under Motor Vehicles under Sub-Mission on Plant Protection and Plant Quarantine (₹ 2.02 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(\ 4)	(I) (III (CIUI C S)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		6800.00	6800.00
पूंजी	Capital	***		***
जोड़	Total		6800.00	6800.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:		
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		6800.01	6800.01
राजस्व	Revenue		6800.01	6800.01
पूंजी	Capital			
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के उ	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u		:	
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2415-कृषि अनु संधान और शिक्षा	2415-Agricultural Research and Education		0.01	0.01
-				

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारतीय कृषि अनु संधान परिषद को स्वच्छता कार्य योजना (₹ 0.01 करोड़) के लिए आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन योजना के तहत अतिरिक्त सहायता अनु दान-सामान्य उपलब्ध कराने के लिए।

अनुदान के उसी खंड के अंतर्गत उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है। The supplementary grants is required for:

providing additional Grants-in-aid-General under the scheme ICAR Headquarter Administration for Swachhta Action Plan (\mathfrak{T} 0.01 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

पशु पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

				(₹ करोड़ ,) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		2877.48		2877.48
पूंजी	Capital		43.52		43.52
जोड़	Total		2921.00		2921.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.04		0.04
पूंजी	Capital	***	0.01		0.01
जोड़	Total		0.05		0.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	2921.05		2921.05
राजस्व	Revenue	•••	2877.52		2877.52
प्ंजी	Capital		43.53		43.53
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्ग	र्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under		or Heads:		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2404-डेयरी विकास	2404-Dairy Development		0.01	(कa)	0.01
2405-मत्स्य पालन	2405-Fisheries		0.01	(खb)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(गc)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		0.01	(घd)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.04		0.04
<u></u>	CAPITAL SECTION				
पूंजी भाग					
<i>पूजा भाग</i> मूख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
••			0.01	(ਤe)	0.01

आइ (सूरक)	Total (Supplementally)		0.03 0.03
ਸਫ਼ ਸਾੜ ਮ ਤ	عرب المعرض ا	The augus	alamantary grouts are varying fay
यह पूरक अनु	दान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	rne supp	plementary grants are required for:
(क)	डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास योजना (₹ 37 करोड़) के अंतर्गत। सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए ।	(a)	providing Grants-in-aid General under the scheme of Dairy Processing and Infrastructure Development Funds (₹ 37 crore).
	अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत को देखते हु ए सांकेतिक अनुप्एक मांगा गया है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(평)	स्वच्छ कार्य योजना (₹ 1 करोड़) के अंतर्गत राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए ।	(b)	providing Grants-in-aid General to National Fishery Development Board under Swachhta Action Plan ($\ref{thm:prop}$ 1 crore).
	अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत को देखते हु ए सांकेतिक अनुप्एक मांगा गया है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	पशुधन संगणना तथा एकीकृत नम्ला सर्वेक्षण योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 21 करोड़) तथा एससीएसपी के अंतर्गत अनुदान (₹ 5.50 करोड़) प्रदान करने के लिए ।	(c)	providing Grants-in-aid General (₹ 21 crore) and Grants under SCSP (₹ 5.50 crore) under the scheme of Livestock Census and Integrated Sample Survey.
	अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत को देखते हु ए सांकेतिक अनुप्एक मांगा गया है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ঘ)	पशुधन संगणना तथा एकीकृत नम्ला सर्वेक्षण योजना (₹ 1 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए ।	(d)	providing Grants-in-aid General under the scheme of Livestock Census and Integrated Sample Survey (\mathfrak{T} 1 crore).
	अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत को देखते हु ए सांकेतिक अनुप्एक मांगा गया है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(롱)	स्वच्छता कार्य योजना के लिए (i) छोटे पशुधन संस्थानों (₹ 1.50 करोड़) तथा (ii) नस्ल सुधार संस्थानों (₹ 2.40 करोड़) की योजना में मुख्य कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए ।	(e)	providing additional funds under Major Works in the scheme of (i) Small Livestock Institutes (₹ 1.50 crore) and (ii) Breed Improvement Institutes (₹ 2.40 crore) for Swachhta Action Plan.
	अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत को देखते हु ए सांकेतिक अनुपूरक मांगा गया है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 देखिये)

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(· · · · · · / / (· · ·		
		भारित	स्वीकृत	ऒड़	
		Charged	Voted	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		1425.35	1425.35	
पूंजी	Capital		3.30	3.30	
जोड़	Total		1428.65	1428.65	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1428.66	1428.66	
राजस्व	Revenue		1425.36	1425.36	
पूंजी	Capital		3.30	3.30	
	II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u		l:		
		भारित	स्वीकृत	ऒड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) "राष्ट्रीय होम्योपपैथी संस्थान, कोलकाता" स्कीम के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' (₹ 28 करोड़)। (ii) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्था्न, बैंगलोर" स्कीम के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' (₹ 28 करोड़)। (iii) "राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर" स्कीम के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' (₹ 24 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक अनुपूरक मांगा जाता है। The supplementary grants is required for:

providing Grants for creation of capital assets under (i) National Institute of Homoeopathy, Kolkata, (₹ 28 crore) (ii) National Institute of Unani Medicine, Bangaluru, (₹ 28 crore) and (iii) National Institute of Ayurveda, Jaipur (₹ 24 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

		((4)(15)	, (III C CIOI	1 65)
	भारित	स्वीकृत		जॊड़	
	Charged	Voted		Total	
I. ORIGINAL GRANT:					
Revenue		273.39		273.39	
Capital		24.61		24.61	
Total		298.00		298.00	
Supplementary Estimate of the amount now required:					
Revenue		0.01		0.01	
Capital		360.26		360.26	
Total		360.27		360.27	
Total (Original plus Supplementary)		658.27		658.27	
Revenue		273.40		273.40	
Capital		384.87		384.87	
II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिख	गया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the for	llowing Major Hea	ads:			
	भारित	स्वीकृत		जॊड़	
	Charged	Voted		Total	
REVENUE SECTION					
MAJOR HEAD					
2852-Industries		0.01	(कa)	0.01	
CAPITAL SECTION					
MAJOR HEAD					
6857-Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries		360.26	(खb)	360.26	
Total (Supplementary)		360.27		360.27	
	Revenue Capital Total Supplementary Estimate of the amount now required: Revenue Capital Total Total (Original plus Supplementary) Revenue Capital II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिख II. This Supplementary Grant will be accounted for under the for REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2852-Industries CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 6857-Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries	ChargedI. ORIGINAL GRANT:RevenueCapitalSupplementary Estimate of the amount now required:RevenueCapitalTotal (Original plus Supplementary)RevenueCapitalII. इस पूक अनुदान का हिसाब निम्नित्यित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major HealerAREVENUE SECTIONMAJOR HEAD2852-IndustriesCAPITAL SECTIONMAJOR HEAD6857-Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries	श्रारित स्वीकृत Charged Voted I. ORIGINAL GRANT: Revenue	श्रापित स्वीकृत Voted	Charged Voted Total

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है	5:
--	----

(क) स्वच्छता कार्य योजना के लिए नया शीर्ष खोलने के लिए (₹ 0.16 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान

मांगा जाता है।

(ख)

मैसर्स हिंदुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लि.(एचओसीएल) को पूर्ति ऋण (i) सरकार के गारंटिकृत बांड की वापसी अदायगी अगस्त एवं सितंबर 2017 में देय है (₹ 250 करोड़)(ii) कर्मचारियों/प्रदाताओं आदि को देय का भुगतान (₹ 110.26

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा ।

The supplementary grants are required for:

(a) Opening new head for Swacchta Action Plan(₹ 0.16 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Bridge Loan to M/s. Hindustan Organic Chemicals Ltd (HOCL) towards (i) repayment of the Government Guaranteed Bonds due in August & September, 2017 (₹ 250 crore) (ii) payment of dues to employees/suppliers etc.(₹ 110.26 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

		(\ 4)(1)		rkiş / (iii x ci bi es	3)
		भारित	स्वीकृत	ऒड़	
		Charged	Voted	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	74264.67	74264.67	
पूंजी	Capital		0.04	0.04	
जोड़	Total		74264.71	74264.71	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		74264.72	74264.72	
राजस्व	Revenue		74264.68	74264.68	
पूंजी	Capital		0.04	0.04	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u		ad:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	2852-Industries	***	0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

उर्वरक सब्सिडी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का कार्यान्वयन (i) पेशेवर सेवाओं के लिए (₹ 4.10 करोड़) और (ii) आईटी संबंधी व्यय के लिए (₹ 22.20 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary grants is required for:

implementing Direct Benefit Transfer (DBT) in fertilisers subsidy (i) for Professional Services (\mathfrak{F} 4.10 crore) and (ii) for IT related expenditure (\mathfrak{F} 22.20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		781.34		781.34
पूंजी	Capital		1920.70		1920.70
जोड़	Total		2702.04		2702.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.02		0.02
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2702.06		2702.06
राजस्व	Revenue		781.36		781.36
प्ंजी	Capital		1920.70		1920.70
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the	ne following Majo	r Heads:		
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225-अनु सूचित जाति, अनु सूचित जनजाति, अन्य	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes,		0.01	(कa)	0.01
पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Other Backward Classes and Minorities			, ,	
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02		0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(ख)

The supplementary grants are required for:

(क)	विशेष संचालनों हेतु सब्सिडी (₹ 200 करोड़) के अन्तर्गत नया शीर्ष खोलने और इसमें इस प्रावधान को अन्तरित करने के लिए।
	अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

क्षेत्रीय अनुयोजकता योजना (₹ 200 करोड़) के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के स्जन हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए।

अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (a) opening of new head and transfer of provision thereof under "Subsidy for Special Operation" (₹ 200 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

providing Grants for creation of Capital Assets under Regional Connectivity Scheme (₹ 200 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			() (III CIUI es)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मू ल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	0.06	4314.55		4314.61
पूंजी	Capital		151.22		151.22
जोड़	Total	0.06	4465.77		4465.83
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		40.00		40.00
पूंजी	Capital	***	1.39		1.39
जोड़	Total		41.39		41.39
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.06	4507.16		4507.22
राजस्व	Revenue	0.06	4354.55		4354.61
प्ंजी	Capital	•••	152.61		152.61
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under		r Heads:		
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2057-आपूर्ति और निपटान	2057-Supplies and Disposals		40.00	(क a)	40.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन पर पूंजी	5453-Capital Outlay on Foreign Trade and Export		1.39	(खb)	1.39
परिव्यय	Promotion				
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	•••	41.39		41.39

यह प्रक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for: इायता (a) Meeting additional required

(b)

(क) जीइएम एसपीवी कम्पनी के संचलनात्मक व्यय को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान सामान्य के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 40 करोड़) को पूरा करने के लिए।

उपरोक्त पर नकद व्यय होगा।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण कोलकता को प्रमुख कार्यों के भुगतान के अन्तर्गत वाणिज्यिक सूचना और साख्यकी महानिदेशालय की अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 1.39 करोइ) को पूरा करने के लिए ।

> अनुदान के भारित/राजस्व में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्तव्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

Meeting additional requirement (₹ 40 crore) as "Grants in Aid General" for meeting operational expenses of Government e-Marketplace Special Purpose Vehicle (GeM SPV) Company.

The above expenditure will entail a cash outgo;

Meeting additional requirement (₹ 1.39 crore) of Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics under Major Works towards payment to CPWD, Kolkata.

Taking into account the surrender of savings available in the Voted/Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करॉड़) (In ₹ crores)

				(t 4 t 1 5)	(III & CTOI	es)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
I. मू <i>ल अनुदान</i> :	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		3599.19		3599.19	
पूंजी	Capital	•••	9.68		9.68	
जोड़	Total		3608.87		3608.87	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		2000.00		2000.00	
पूंजी	Capital					
जोड़	Total		2000.00		2000.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		5608.87		5608.87	
राजस्व	Revenue		5599.19		5599.19	
पूंजी	Capital		9.68		9.68	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर	र्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for unde	r the following Major I	Heads:			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2552-पूर्वीत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		200.00	(क a)	200.00	
2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries and Minerals	***	1800.00	(खb)	1800.00	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	···	2000.00		2000.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

 (क) जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित यूनिटों को वस्तु और सेवा कर क्षेत्र में बजटीय सहायता स्कीम के तहत आवश्यकताएँ पूरा करना।

इसमें ₹ 200 करोड़. का नकद व्यय होगा ।

- (ख) (i) जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित यूनिटों को वस्तु और सेवा कर क्षेत्र में बजटीय सहायता स्कीम के तहत आवश्यकताएँ पूरा करना (₹ 1800 करोड़)।
 - (ii) राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास और कार्यान्वायन न्यास (एनआईसीडीआईटी) के तहत प्ंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिएअतिरिक्त आवश्यकता (₹ 10 करोड़ रुपए) को पूरा करने के लिए।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर इसमें ₹ 1800 करोड़ का नकद व्यय होगा।

Meeting the requirements under the scheme of Budgetary support under Goods and Service Tax Regime to the units located in State of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North

Eastern States including Sikkim.

This will entail a cash outgo of ₹ 200 crore.

- (i) Meeting the requirements (₹ 1800 crore) under the scheme of Budgetary support under Goods and Service Tax Regime to the units located in State of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim.
- Meeting additional requirement (₹ 10 crore) towards Grants for creation of Capital Assets under National Industrial Corridors Development and Implementation Trust (NICDIT).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 1800 crore.

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)

(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

				/ (,
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		3723.10	3723.10	
पूंजी	Capital		21.35	21.35	
जोड़	Total		3744.45	3744.45	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:			
राजस्व	Revenue	***	500.00	500.00	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		500.00	500.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4244.45	4244.45	
राजस्व	Revenue		4223.10	4223.10	
प्ंजी	Capital	•••	21.35	21.35	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u	under the following Major Head	l:		
		भारित	स्वीकृत	जॏड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3 456-नागरिक आपूर्ति	3456-Civil Supplies		500.00	500.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants is required for:

मूल्य स्थरीकरण निधि (₹ 500 करोड़) के अन्तर्गत दालों की खरीद के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।

उपरोक्त पर नकद व्यय होगा।

providing Grants-in-aid General for procurement of pulses under the scheme of Price Stabilisation Fund (₹ 500 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

				(₹ करोड़) (In ₹ c
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
जस्व	Revenue		150952.64	150952.64
जी	Capital		50523.05	50523.05
ोड़	Total		201475.69	201475.69
र समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:		
क अनुमान:				
ज स् व	Revenue		52.11	52.11
जी	Capital			
इ	Total		52.11	52.11
ोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		201527.80	201527.80
जस्व	Revenue		151004.75	151004.75
जी	Capital		50523.05	50523.05
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों वे	न अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for		ads:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
जस्व भाग	REVENUE SECTION	_		
ज्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
१०८-खाद्य भंडारण और	2408-Food Storage and Warehousing		29.46	(कa) 29.46
ाण्डागारण				
ाण्डागारण 552-पूर्वीत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		22.65	(खb) 22.65

राजस्व भाग REVENUE SECTION

2408-खाद्य **अंडारण और** 2408-Food Storage and Warehousing ... (-)29.46 (-)29.46

भाण्डागारण

	हितु अपेक्षित है:

- (क) (i) चीनी कारखानों को उदार शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने संबंधी योजना, 2015 के तहत ब्याज के लिम्बत दावों को समाप्त करने के लिए सब्सिडी देने के लिए (₹ 6.36 करोड)।
 - चीनी मिलों को गन्ने के लागत क्षतिपूर्ति और किसानों को गन्ना मूल्य देयों का समय पर भुगतान सरल बनाने के लिए उत्पादन सब्सिडी प्रदान करने के लिए (₹ 23.10 करोड़)
 - चीनी विकास निधि से समान वसूली के मिलान को देखते हु ए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नगद व्यय नहीं होगा।
- (ख) खाद्य भण्डारण गोदामों का निर्माण करने के लिए पूंजी आस्तियों का सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना (₹ 22.65 करोड़)

अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध बचत को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (i) providing subsidy to clear the pending claims of interest subvention under the Scheme for Extending Soft Loan to Sugar Mills, 2015 (₹ 6.36 crore).
 - (ii) providing production subsidy to Sugar Mills to offset cost of cane and facilitate timely payment of cane price dues of farmers (₹ 23.10 crore).

Taking into account the matching recovery from Sugar Development Fund, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

providing Grants for creation of Capital Assets for Construction of Food Storage Godowns (₹ 22.65 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 देखिये)

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

				(t 4 t 1 5) (III & Crore	25)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		478.54	4	478.54	
पूंजी	Capital		29.50		29.50	
जोड़	Total	***	508.04	;	508.04	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue	***	40.01		40.01	
पूंजी	Capital					
जोड़	Total	***	40.01		40.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	548.05		548.05	
राजस्व	Revenue		518.55		518.55	
पूंजी	Capital		29.50		29.50	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर	र्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for unde	er the following Major He	ads:			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		40.00	(कa)	40.00	
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services		0.01	(खb)	0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		40.01		40.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(₹ 0.40 crore)

- (क) (i) 'स्वच्छता कार्य योजना' के लिए नया लेखा शीर्ष खोलने के लिए (₹ 0.40 करोड़) I
 - (ii) अन्य प्रभारों के अन्तर्गत निवेशक की शिक्षा और संरक्षण निधि(₹ 40 करोइ) ।
 - इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 0.40 करोड़ की बचत के मद्देनजर इस पर ₹ 40 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (ख) 'स्वच्छता कार्य योजना' के लिए नया लेखा शीर्ष खोलने के लिए (₹ 0.10 करोड़)।
 - अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (i) Opening of new Head of Account 'Swachhta Action Plan'
 - (ii) Investor's Education and Protection Fund under Other Charges ($\stackrel{\scriptstyle \leftarrow}{}$ 40 crore).

Taking into account the savings of $\stackrel{?}{_{\sim}}$ 0.40 crore available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of $\stackrel{?}{_{\sim}}$ 40 crore.

Opening of new Head of Account 'Swachhta Action Plan' (\mathfrak{T} 0.10 crore)

संस्कृति मंत्रालय MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 देखिये) (See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोंद) (In ₹ crores)

				(₹ कराड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		2661.79		2661.79
पूंजी	Capital		76.68		76.68
जोड़	Total		2738.47		2738.47
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue	***	0.03		0.03
पूंजी	Capital	***	0.01		0.01
जोड़	Total		0.04		0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2738.51		2738.51
राजस्व	Revenue	•••	2661.82		2661.82
पूंजी	Capital		76.69		76.69
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	न दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under		r Heads:		
	,	भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251-Secretariat-Social Services		0.01	(क a)	0.01
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture		0.01	(खb)	0.01
2552-पूर्वीत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.03		0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
्र मृख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and		0.01	(ঘd)	0.01
परिव्यय	Culture			· - /	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	•••	0.04		0.04
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) स्वच्छता कार्य योजना पर व्यय पूरा करना (i) सचिवालय (₹ 0.10 करोड़)(ii) केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय (₹ 0.02 करोड़) ।
 - अनुदान के उसी खण्ड में उपलब्ध बचत को दृष्टिगत रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा गया है।
- सहायता अनुदान सामान्य निम्नलिखित के लिए अपेक्षित है :- (i) संग्रहालयों (ख) (1) को सहायता (₹ 27.97 करोड़) - राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और संस्कृति मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित 2017-18 के समझौता ज्ञापन के अनुसार तथा विभिनन संग्रहालयों के लिए एसएपी के अंतर्गत सवचछता प्रयोजन के लिए (₹ 0.25 करोड़)। (ii) अकादिमयों को सहायता (₹ 23 करोड़) - थियेटर ओलिम्पिकस 2018 तथा राषटीय नाटय विदयालय दवारा सार्क देशों में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यशालाओं, रंगमंचों, महोत्सवों के लिए तथा विभिन्न अकादमियों और क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों को एसएपी के अंतर्गत स्वच्छता प्रयोजन के लिए (₹ 0.75 करोड़)। (iii) बौद्ध तिब्बती संस्थाएं और स्मारक (₹ 0.75 करोड़) बौद्ध तिब्बती संस्थाएं और स्मारकों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न संगठनों को एसएपी के अंतर्गत स्वच्छता प्रयोजन हेतु। (iv) पुस्तकालयों को सहायता (₹ 0.50 करोड़) - विभिन्न पुस्तकालयों को एसएपी के अंतर्गत स्वच्छता प्रयोजन हेत्। (v) कला संस्कृति विकास योजना (₹ 150 करोड़) - वित्त मंत्रालय द्वारा "राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण एवं रोडमैप मिशन" नामक नई अन्मोदित परियोजना के लिए।
 - (II) पूंजीगत परिसंपतियों के सृजनार्थ निम्नलिखित के लिए अपेक्षित हैः (i) अकादिमियों को सहायता (₹ 32.92 करोड़) (ii) संग्रहालयों को सहायता (₹ 20.81 करोड़)।
 - (III) विदेश यात्रा व्यय निम्नलिखित के लिए अपेक्षित है: सीईपी और प्रदर्शिनियों पर भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के तहत विदेशी यात्रा व्यय के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (र 0.15 करोड़)।
 - (IV) एसएपी के अंतर्गत स्वच्छता प्रयोजन के लिए (i) राष्ट्रीय अभिलेखागार (₹ 0.05 करोड़)। (ii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (₹ 0.25 करोड़)।

- a) For meeting expenditure on Swachhta Action Plan of (i) Secretariat (₹ 0.10 crore) and (ii) Central Secretariat Library (₹ 0.02 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (I) Providing additional Grant-in-aid General to:- (i) National Council of Science Museums (₹ 27.97 crore) and Swachhta Action Plan to various Museums(₹ 0.25 crore), (ii) Support to Academies for Theatre Olympics 2018 and various workshops, theatres, festivals to be organized in SAARC Countries by National School of Drama(₹ 23 crore) and for Swachhta Action Plan to various Academies and Zonal Cultural Centres(₹ 0.75 crore), (iii) for Swachhta Action Plan to various organisations falling under Buddhist Tibetan Institutions and Memorials(₹ 0.75 crore), (iv) For Swachhta Action Plan to various Libraries under the scheme support to Libraries (Rs0.50 crore), (v) Kala Sanskriti Vikas Yojana for newly approved project "National Mission on Cultural Mapping & Roadmap" (₹ 150 crore).
 - (II) For providing Grants for creation of capital assets to (i). Support to Akademies (₹ 32.92 crore) (ii) Support to Museums (₹ 20.81 crore).
 - (III) For meeting additional expenditure under Foreign Travel Expenses under National Archives of India for on-going visit on CEP and exhibitions (₹ 0.15 crore).
 - (IV) For meeting expenditure under SAP of (i) National Archive of India (₹ 0.05 crore), (ii) Archaeological Survey of India

(iii) राष्ट्रीय पुस्तकालय (₹ 0.05 करोड़)। (iv) भारतीय मानविवज्ञान सर्वेक्षण (₹ 0.05 करोड़)- एसएपी के अंतर्गत स्वच्छता प्रयोजन के लिए। (v) राष्ट्रीय संग्रहालय (₹ 0.05 करोड़)। (vi) राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला (₹ 0.05 करोड़)। (vii) राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (₹ 0.05 करोड़)। (viii) केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय (₹ 0.08 करोड़)।

अनुदान के उसी खण्ड में उपलब्ध बचत को दृष्टिगत रखते हुए, सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा गया है।

(ग) सहायता अनुदान सामान्य निम्नलिखित के लिए अपेक्षित है :- राष्ट्रीय अभिलेखागार (2 करोड़ रु.) - पूर्वीत्तर क्षेत्र में प्रदर्शनी/संगोष्ठियों के आयोजन हेता

> अनुदान के उसी खण्ड में उपलब्ध बचत को दृष्टिगत रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा गया है।

(घ) मुख्य कार्य निम्निलिखित के लिए अपेक्षित है :- कला संस्कृति विकास (योजना (₹ 20 करोड़) दांडी स्मारक के निर्माण कार्य के लिए ।

> अनुदान के उसी खण्ड में उपलब्ध बचत को दृष्टिगत रखते हुए, सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा गया है।

(₹ 0.25 crore), (iii) National Library (₹ 0.05 crore), (iv) Anthropological Survey of India (₹ 0.05 crore), (v) National Museum (₹ 0.05 crore) (vi) National Research Laboratory for Conservation of Cultural property (₹ 0.05 crore), (vii) National Gallery of Modern Arts (₹ 0.05 crore) and (viii) Central Reference Library (₹ 0.08 crore.).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

For providing Grant-in-aid General under the Scheme National Archives of India for holding exhibitions/seminars in NER (₹ 2 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

For providing additional funds under Major Works under the Scheme Kala Sanskriti Vikas Yojana for construction of Dandi Memorial (₹ 20 crore)

रक्षा मंत्रालय (विविध)

MINISTRY OF DEFENCE (MISC.)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)

(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(, ,	(11) (11) (CI OI CS)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मू <i>ल अनुदान</i> :	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.76	27743.95	27744.71
पूंजी	Capital	35.00	5488.69	5523.69
जोड़	Total	<i>35.76</i>	33232.64	33268.40
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:		
राजस्व	Revenue	***	36.82	36.82
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	***	36.82	36.82
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>35.76</i>	33269.46	33305.22
राजस्व	Revenue	0.76	27780.77	27781.53
प्ंजी	Capital	35.00	5488.69	5523.69
	II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के .	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u	under the following Major Hea	ad:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services		36.82	36.82

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

छावनी बोर्ड वाराणसी के अन्तर्गत फुलवारिया मार्ग बनाने और/उसे चौड़ा करने के लिए रक्षा सम्पदा संगठन के तहत छावनी बोर्ड को ₹ 36.82 करोड़ की पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए।

उपरोक्त पर नकद व्यय होगा।

The supplementary grants is required for:

providing additional grants for creation of Capital Assets of ₹ 36.82 crore to Cantonment Boards under Defence Estates Organisation towards construction/widening of Phulwaria Marg under Cantonment Board, Varanasi.

The above expenditure will entail a cash outgo;

रक्षा सेवा (राजस्व)

DEFENCE SERVICES (REVENUE)

Supplementary Estimate of the amount now required:

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)

(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

Capital

Revenue

Revenue

Capital

Capital

Total

Total

I. ORIGINAL GRANT:

Total (Original plus Supplementary)

2077-Defence Services - Navy

(₹ करोड़) (In ₹ crores) स्वीकृत जॊड Voted Total 195309.04 195416.38 195309.04 195416.38 0.01 0.01 0.01 0.01 195309.05 195416.39 195309.05 195416.39

0.01

II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

भारित स्वीकृत जोड़ Charged Voted Total

0.01

राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD

The supplementary grants is required for:

भारित

Charged

107.34

107.34

107.34

107.34

providing Grants in aid (₹ 1.50 crore) to National Maritime

Foundation.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, this will not entail cash outgo.

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:

।. मूल अनुदान:

जोड़ (मूल और पूरक)

2077-रक्षा सेवाएं-नौ सेना

राजस्व

राजस्व

पूंजी

जोड़

राजस्व

पूंजी

पूंजी

राष्ट्रीय समुद्रीय फांउडेशन को (₹ 1.50 करोड़) सहायता अनुदान प्रदान करना।

इस अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को देखते हु ए, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 देखिये)

(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(\ 4	$\gamma(i \neq j)$ (iii χ Ci Oi ϵ	<i>5</i> 3/
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
I. मू ल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	***		
पूंजी	Capital	148.06	86339.95	86488.01	
जोड़	Total	148.06	86339.95	86488.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue				
पूंजी	Capital	80.00		80.00	
जोड़	Total	80.00		80.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	228.06	86339.95	86568.01	
राजस्व	Revenue				
पूंजी	Capital	228.06	86339.95	86568.01	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	नर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for unc		ad:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4076-Capital Outlay on Defence Services	80.00		80.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants is required for:

लोक अदालत, कोलार से उद् भूत भूमि अधिग्रहण हेतु भुगतान। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा चूंकि इस अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध समतुल्य बचतों द्वारा इसका मिलान किया जाएगा। payment towards land acquisition arising out of Lok Adalat, Kolar.

This will not entail cash outgo as the same will be matched by equivalent savings available in voted section of the Grant.

पूर्वीतृतर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 देखिये)

(ग)

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

\ 10	,	,			
				(₹ करॉड़) (In ₹ crores
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मू ल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	2084.45		2084.45
पूंजी	Capital	***	708.00		708.00
जोड़	Total		2792.45		2792.45
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue	***	0.03		0.03
पूंजी	Capital				•••
जोड़	Total		0.03		0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	2792.48		2792.48
राजस्व	Revenue		2084.48		2084.48
पूंजी	Capital		708.00		708.00
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for unc		eads:		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	2250-Other Social Services		0.01	(कa)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)			0.03		0.03

यह पूरक अन्	<u> द</u> ान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supple	mentary grants are required for:
(क)	क्षमता निर्माण और प्रचार स्कीम के अंतर्गत स्वच्छता कार्य योजना के कारण ₹ 7 करोड़ का व्यय पूरा करना।	(a)	meeting the expenditure of ₹ 7 crore on account of Swachhta Action Plan under the scheme Capacity Building & Publicity.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु एसांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(평)	निम्नलिखित के अंतर्गत स्वच्छता कार्य योजना के लिए ₹ 18.66 करोड़ प्रदान करना (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र आजीविका परियोजना (₹ 5 करोड़), (ii) पूर्वोत्तर सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना (₹ 5 करोड़) और पूर्वोत्तर परिषद (₹ 8.66 करोड़)।	(b)	providing funds of ₹ 18.66 crore for Swachh Action Plan under (i) North East Rural Livelihood Project (NERLP) (₹ 5 crore), (ii) North Eastern Community Resource Management Project (NERCORM) (₹ 5 crore) and (iii) North Eastern Council (NEC) (₹ 8.66 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु एसांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

केन्द्रीय पूल के अव्यपगत संसाधन-राज्य के अंतर्गत स्वच्छता कार्य योजना हेत् providing funds of ₹ 80 crore for Swachhta Action Plan under Non-₹ 80 करोड़ निधि प्रदान करना। Lapsable Central Pool of Resources - State (NLCPR -State). अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

			(, ,,	(14) (11) (6) 61 65)	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		3690.00	3690.00	
पूंजी	Capital		349.00	349.00	
जोड़	Total	•••	4039.00	4039.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:			
राजस्व	Revenue		100.00	100.00	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		100.00	100.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4139.00	4139.00	
राजस्व	Revenue		3790.00	3790.00	
पूंजी	Capital		349.00	349.00	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के :	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u	inder the following Major Head	l:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	2852-Industries		100.00	100.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित के लिए व्यय पूरा करना (i) भीम के जरिए डिजीटल भुगतान को बढ़ावा देना (₹ 50 करोड़) (ii) प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजीटल साक्षरता अभियान (₹ 50 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary grants is required for:

meeting expenditure towards (i) promotion of digital payment through BHIM (₹ 50 crore) (ii) Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA) (₹ 50 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

	·	,	('₹ करोंड) (In ₹ cro
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	•		
ाजस्व	Revenue		4002.69	4002.69
र् रुजी	Capital		40.03	40.03
गोड़	Total	•••	4042.72	4042.72
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now req	uired:		
ज स् व	Revenue		0.03	0.03
ं जी	Capital	0.67		0.67
गेड़	Total	0.67	0.03	0.70
नोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.67	4042.75	4043.42
ा जस् व	Revenue		4002.72	4002.72
 र्जी	Capital	0.67	40.03	40.70
	II. This Supplementary Grant will be accounted f	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जৌ ड़ Total
गजस्व भाग	REVENUE SECTION	Charged	VOLGU	iotai
गुरुय शीर्ष	MAJOR HEAD			
४०६-वानिकी और वन्य जीवन	2406-Forestry and Wild Life		0.01	(कa) 0.01
435-पारिस्थितीकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment		0.01	(खb) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(गc) 0.01
नोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	0.03	0.03
पूंजी भाग (विकास कार्या कार्य	CAPITAL SECTION			
^ मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3 1406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिवयय	4406-Capital Outlay on Forestry and Wild Life	<i>0.67</i> (ঘd)		0.67
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.67	0.03	0.70
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplen	nentary grants are required for:		
	के लिए (i) भारतीय वानिकी अनुसंधान (a)	meeting expenditure toward	ds (i) Grants-	in-aid-Salaries to I
	ाता अनुदान व्यय को पूरा करने के लिए	Council of Forestry Researc	h and Education	on (₹ 15 crore)(ii) G
(₹ 15 करोड) (ii) अण्डमान एवं निव	नोबार दवीप वन वक्षारोपण विकास निगम	in-aid-Salaries to Andaman	& Nicobar Is	lands Forests Plan

	(₹ 15 करोड़) (ii) अण्डमान एवं निकोबार द्वीप वन वृक्षारोपण विकास निगम को वेतन सहायता अनुदान (₹ 125.72 करोड़) और (iii) भारतीय वन्य जीव संस्थान के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए (₹ 1.70 करोड़)	
	अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	
(ख)	जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 5 करोड़)	(b)
	अनुदानके उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखकर सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है	
(ग)	वन्यजीवों के प्राकृतवास के एकीकृत विकास (ईएपी) में सामान्य सहायता अनुदान सामान्य के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 10 करोड़)	(c)
	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है	
(ঘ)	मध्यस्थता पंचाट हेतु राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के लिए मुख्य कार्यों का व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.67 करोड़)	(d)
	उपर्युक्त पर नकद व्यय होगा।	

meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid-Salaries to Indian Council of Forestry Research and Education (₹ 15 crore)(ii) Grants-in-aid-Salaries to Andaman & Nicobar Islands Forests Plantation Development Corporation (₹ 125.72 crore) and (iii) Grants for creation of capital assets to wildlife Institute of India (₹ 1.70 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards Grants for creation of capital assets under Climate Change Action Plan ($\stackrel{?}{\scriptstyle{\leftarrow}}$ 5 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards Grants-in-aid-General to Integrated Development of Wildlife Habitats (EAP) (₹ 10 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards Major works for National Zoological Park for arbitration award (\mathfrak{T} 0.67 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 देखिये) (See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(5	orants of Gentral Government	, , ,	,		(₹ करोड़	ਰ) (In ₹ crores
				भारित	स्वीकृत		जॊड़
				Charged	Voted		Total
।. मूल अनु	[दान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue			4302.79		4302.79
पूंजी		Capital			11153.05		11153.05
जोड़		Total			15455.84		15455.84
इस समय अ	।।वश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the am	ount now req	quired:			
राजस्व		Revenue		···	98.46		98.46
पूंजी		Capital			0.01		0.01
जोड़		Total		•••	98.47		98.47
जोड़ (मूल अं	ौर पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	15554.31		15554.31
राजस्व	•	Revenue			4401.25		4401.25
पूंजी		Capital			11153.06		11153.06
•		॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलि	खित सख्य शीर	" र्षों के भंतर्गत दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be	-		leads.		
		ii. This capplementary craft will be	c accounted	भारित	 स्वीकृत		जॊड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भा	चा	REVENUE SECTION		Onarged	Volca		Total
राजस्य मा म्ख्य शीर्ष	-7	MAJOR HEAD					
-	वालय-सामान्य सेवाएं				0.01	(T a)	0.04
	गलय-सामान्य सवाए ध सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services			0.01	(कa)	0.01
	•	2075-Miscellaneous General Services	ces		0.01	(खb)	0.01
	ा सामाजिक सेवाएं इंटरीय के क्षेत्र संस्थानं				64.43	(गc)	64.43
	ष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	3466-International Financial Institut			34.00	(ਬd)	34.00
	। देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक	3605-Technical and Economic Co- Countries	operation wit	n Other	0.01	(ਭ e)	0.01
सहयोग - भेड (सम्बद्ध	- 4-r-m\				98.46		98.46
जोड़ (राजस्व <i>मंनी</i> क्यू	a and)	Total (Revenue Section)		•••	90.40		96.46
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				(—n	
	ारी कर्मचारियों आदि को ऋण	7610-Loans to Government Servar	its, etc.		0.01	(चf)	0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		···	98.47		98.47
यह पूरक अव	नुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supple	ementary grants are required for	or:		
(क)	स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) । अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।	के कार्यान्वयन के लिए ₹ 0.25 करोड़ की	(a)	An additional amount of ₹ of Swachhta Action Plan(\$		required t	for implementation
	अनुदान के इसी भाग के उपलब्ध मांगा जाता है।	बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान		As savings are available i supplementary is being so		ection of	the Grant, a toke
(ख)	एमडीआर प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लि	ाए ₹ 200 करोड़ राशि की आवश्यक है।	(b)	An amount of ₹ 200 crore	e is required	towards I	Reimbursement o
	अनुदान के इसी भाग के उपलब्ध मांगा जाता है।	बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान		As savings are available i supplementary is being so		ection of	the Grant, a toke
(ग)	वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि को करने की आवश्यकता है।	₹ 64.43 करोड़ की अतिरिक्त राशि अंतरित	(c)	Additional amount of ₹ 64 Senior Citizen Welfare Fu		equired to	be transferred t
	भारत के समेकित निधि में जमा वि को ध्यान में रखते हु ए उपरोक्त पर	केए गए दावा न किए गए धन की प्राप्तियों नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the re Consolidated Fund of India	-		
(ঘ)	अफ्रीकी विकास कोष (एएफडीएफ) लिए ₹ 34 करोड़ की आवश्यकता है	के लिए सदस्यता के लिए अतिरिक्त राशि के I	(d)	Additional amount of ₹ 34 African Development Fund	-	red towar	ds Subscription t
	उपरोक्त पर नकद व्यय नहीं होगा खाएगा।	। यह प्रतिभूतियों के रूप में रसीदों से मेल		There will be no cash out the form of securities.	go as this will	be matc	hed by receipts i
(롱)	भारत- जर्मन द्विपक्षीय विकास सा लिए ₹ 8 करोड़ की प्रतिपूर्ति ।	हयोग के अन्तर्गत जीआईजेड में सेवा कर के	(e)	reimbursement of ₹ 8 cro Indo-German Bilateral De			
	•	बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान		Taking into account the sthe Grant, a token suppler	savings availa	ble in the	
(च)	सांसदों के लिए मोटर कन्वेंश आदि ₹ 0.24 करोड़ की आवश्यकता है।	की खरीद के लिए अग्रिम के लिए अतिरिक्त	(f)	Additional amount of ₹ (0.24 crore is	required	for Advances for
	•	बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान		As savings are available token supplementary is so	within the sa		on of the grant,
	THE SHOW OF			token supplementary is so	agiit.		

व्यय विभाग

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 देखिये)

(See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करॉड़) (In ₹ crores)

			(14 / (111 (610165	-/
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		480.00	480.00	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		480.00	480.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		2.00	2.00	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		2.00	2.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		482.00	482.00	
राजस्व	Revenue		482.00	482.00	
पूंजी	Capital				
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत '	दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the	e following Major Head:			
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services		2.00	2.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants is required for:

व्यय विभाग के सम्मेलन कक्षों का नवीकरण और मरम्मत कार्य (₹ 2 करोड़)।

repair and renovation of Conference Halls of D/o Expenditure

(₹ 2 crore

उपरोक्त पर नकद व्यय होगा ।

The above expenditure will entail a cash outgo;

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 देखिये)

(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मू <i>ल</i> अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	834.83	834.85
पूंजी	Capital		2.43	2.43
जोड़	Total	0.02	837.26	837.28
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
प्ंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	837.27	837.29
राजस्व	Revenue	0.02	834.84	834.86
पूंजी	Capital	•••	2.43	2.43
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर	ति दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for unde	r the following Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

केन्द्र सरकार के विरुद्ध वोडाफोन, कैर्न और वेदान्त द्वारा किए गए अन्तरराष्ट्रीय मध्यस्था मामलों को प्रारंभ करने के लिए ₹ 42 करोड़ के व्यय को पूरा करने के विगः।

अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। The supplementary grants is required for:

meeting the expenditure of ₹ 42 crore in pursuing international arbitration case instituted by Vodafone, Cairn and Vedanta against Union Government.

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

						(₹ करोड़	r) (In ₹ crores)
				भारित	स्वीकृत		ऒड़
				Charged	Voted		Total
I. मू <i>ल अनुदान</i> :		I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue			5881.85		5881.85
पूंजी		Capital		***	228.79		228.79
जोड़		Total			6110.64		6110.64
इस समय आवश्यक रकम क	ा प्रक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amou	unt now require	ed:			
राजस्व		Revenue					***
पूंजी		Capital			0.02		0.02
जोड़		Total		***	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			6110.66		6110.66
राजस्व		Revenue			5881.85		5881.85
पूंजी		Capital			228.81		228.81
		II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखि	वेत म्ख्य शीर्षी वे	न अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be	-		eads:		
				भारित	स्वीकृत		जॊड़
				Charged	Voted		Total
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
 मृख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4059-लोक निर्माण कार्यो पर	र पूंजी परिवयय	4059-Capital Outlay on Public Works	3	***	0.01	(कa)	0.01
4216-आवास पर पूंजी परिव्	यय	4216-Capital Outlay on Housing			0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)		Total (Capital Section)			0.02		0.02
यह पूरक अनुदान निम्नलिरि	खेत हेतु अपेक्षित है:		The supplem	entary grants are required for	or:		
कोची में क		र्माण (₹ 20 करोड़ रुपए) और इर्नाकुलम र्ग (₹ 7.30 करोड़ रुपए) और की अतिरिक्त	(a)	additional expenditure to Lucknow (₹ 20 crore) a Ernakulam, Kochi (₹ 7.30 c	and construct		•

अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) मज़्रा गेट, सूरत में 58 आवासीय क्वार्टर और सामुदायिक भवन के निर्माण (₹ 5.97 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।

> अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

additional expenditure towards construction of 58 residential quarters and community hall, Majura Gate, Surat (₹ 5.97 crore)

अप्रत्यक्ष कर **INDIRECT TAXES**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)

करोड़)।

उपरोक्त पर नकद व्यय होगा।

(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

								(₹ करोड़	ਭ) (In ₹ crores)
						भारित	स्वीकृत		जॏड़
						Charged	Voted		Total
।. मूल	। अनुदा	न:	I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व	•		Revenue			0.50	5861.44		5861.94
पूंजी			Capital				228.07		228.07
जोड़			Total			0.50	6089.51		6090.01
इस स	मय आवः	१यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amo	unt no	w requir	ed:			
राजस्व	Ŧ		Revenue				386.43		386.43
पूंजी			Capital				163.57		163.57
जोड़			Total			•••	550.00		550.00
जोड़ (ग	मूल और	पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			0.50	6639.51		6640.01
राजस्व	ī		Revenue			0.50	6247.87		6248.37
पूंजी			Capital				391.64		391.64
"			॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नर्लि	खेत मख	य शीर्षों वे	के अंतर्गत दिखाया जायेगाः			
			II. This Supplementary Grant will be	_			eads:		
						भारित	स्वीकृत		ਗੋਤ
						Charged	Voted		Total
राजस	व भाग		REVENUE SECTION			•			
म्ख्य	शीर्ष		MAJOR HEAD						
		उत्पाद शुल्क	2038-Union Excise Duties				386.43	(कa)	386.43
पूंजी ह		3.5.	CAPITAL SECTION					()	
मुख्य			MAJOR HEAD						
-		ार पूंजी परिवयय	4216-Capital Outlay on Housing				163.57	(खb)	163.57
जोड़ (प		10 10 110 444	Total (Supplementary)				550.00	(GD)	550.00
) ڊانو	K ")		roan (cappionionally)			•••	000.00		000.00
यह पूर	क अनुद			The	supplem	nentary grants are required for	or:		
(क)	(i)		प्रभावशाली तरीके से प्रचार करने के लिए	(a)	(i)	₹ 250 crore for effective p	ublicity for GS	ST aware	ness.
		₹ 250 करोड़ रुपए ।							
	(ii)	जीएसटीएन को अग्रिम प्रयोक्ता	प्रभार के भ्गतान के लिए डीजी सिस्टम हेत्		(ii)	meeting expenditure amo	unting to ₹ 9	9.34 cror	e for DG Systems
	. ,		धान मुख्य लेखा नियंत्रक सीबीईसी के लिए			for payment of Advance U	Jser Charges	to GSTN	and ₹ 37.09 crore
			लेए ₹ 37.09 करोड़ का व्यय पूरा करना।			for Accounting Portal of G	-		
		उपरोक्त पर नकद व्यय होगा।				The above expenditure wil	II entail a cast	n outgo;	
(ख)		खरगर मंबर्द में मीभार्ददीमीभो मे	तैयार रिहायशी क्वार्टरों की खरीद (₹ 163.57	(b)		purchase of ready built	residential	quarters	from CIDCO at
(G)		27:17 27 27 71 711211 71	(1-100.01) pite 17 and 17 100.01	(0)		parariase or ready built	. rosideritiai	quartors	nom orboo at

Kharghar Mumbai (₹ 163.57 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

संख्या NO 38 (विनियोग)(APPROPRIATION)

ऋण की वापसी अदायगी REPAYMENT OF DEBT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करॉड़) (In ₹ crores)

			, ,	1. (14) / (11) (610) 65)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
।.विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	···		
पूंजी	Capital	5085304.76		5085304.76
जोड़	Total	5085304.76		5085304.76
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:		
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital	0.01		0.01
जोड़	Total	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>5085304.77</i>		5085304.77
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital	5085304.77		5085304.77
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Appropriation will be account		jor Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6001-केन्द्र सरकार का आन्तरिक ऋण	6001-Internal Debt of Central Government	0.01		0.01

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) नकद प्रबन्धन हु ण्डियों की वापसी अदायगी हेतु (₹ 150000 करोड़) की भविष्टिक्त गिष्ठा
- (ii) बाजार स्थिरीकरण हुं डियोंबांडों के तहत राजकोषीय हुं डियोंनकदी प्रबंधन हुं डियों के लिए ₹ 100000 करोड़ की अतिरिक्त राशि।
 - अनुदान के इस खंड में उपलब्ध बचत को देखते हु एसांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary appropriation is required for:

- (i) additional amount of ₹ 150000 crore for repayment of Cash Management Bills.
- (ii) additional amount of ₹ 100000 crore for repayment of Treasury Bills/ Cash Management Bills under Market Stabilisation Bills / Bonds.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

राज्यों को अंतरण

TRANSFERS TO STATES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(1	47(15) (111 \ CI OI ES)
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	103101.38	35500.00	138601.38
पूंजी	Capital	18600.00		18600.00
जोड़	Total	121701.38	35500.00	157201.38
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमानः	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	121701.38	35500.01	157201.39
राजस्व	Revenue	103101.38	35500.01	138601.39
पूंजी	Capital	18600.00		18600.00
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	r the following Major He	ad:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants is required for:

संविधान के भाग ।X और भाग।Xक द्वारा शामिल न किए गए क्षेत्रों को अनुदान स्कीम के तहत निधियां प्रदान करना (₹ 500 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 500 करोड़ की बचत को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। Providing funds under the scheme- 'Grants to areas not covered by Part IX and Part IXA of the constitution' (₹ 500 crore)

Taking into account the savings of $\ref{thmspace}$ 500 crore available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		(, , , ,	9 / (111 (610165)
	भारित	स्वीकृत	जॏड़
	Charged	Voted	Total
GINAL GRANT:			
e		800.00	800.00
		800.00	800.00
mentary Estimate of the amount now required:			
e		0.01	0.01
	•••	0.01	0.01
Priginal plus Supplementary)		800.01	800.01
ie .	•••	800.01	800.01
	•••		
रक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाय	ा जायेगा:		
Supplementary Grant will be accounted for under the follo	owing Major Head:		
	भारित	स्वीकृत	जॊड़
	Charged	Voted	Total
NUE SECTION			
RHEAD			
ood Storage and Warehousing	***	0.01	0.01
		Charged GINAL GRANT: le mentary Estimate of the amount now required: le Driginal plus Supplementary) le एक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आरित Charged NUE SECTION R HEAD	Charged Voted GINAL GRANT: Ite

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) वर्ल्ड फूड इंडिया संस्था, 2017 के लिए मानव संसाधन एवं संस्था स्कीम के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान देना (₹ 15.75 करोड़) ।
- (ii) मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के लिए स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के कार्यान्वयन हेतु 'अन्य प्रभार' के लिए निधियां उपलब्ध कराना (₹ 0.07 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनज़र सांकेतिक पूरक प्रार्थित है

The supplementary grants is required for:

- (i) providing additional Grants-in-aid-General to Scheme for Human Resource and Institutions for World Food India, 2017 (₹ 15.75 crore).
- (ii) providing funds for implementation of Swachhta Action Plan(SAP) under 'Other Charges' of various Schemes (₹ 0.07 crore).

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 देखिये)

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(occ page 40 of the Demands for G	ranto di denti ai doverninenti foi trie year 2017 20	,10)			
				(₹ करोड़	t) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मू <i>ल अनुदान</i> :	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		47033.65		47033.65
पूंजी	Capital		3508.81		3508.81
जोड़	Total		50542.46		50542.46
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now				
	required:				
राजस्व	Revenue				
पूंजी	Capital		132.91		132.91
जोड़	Total		132.91		132.91
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		50675.37		50675.37
राजस्व	Revenue		47033.65		47033.65
प्ंजी	Capital		3641.72		3641.72
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under				
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health		0.01	(क a)	0.01
परिव्यय					
4552-पूर्वीत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas		132.90	(खb)	132.90
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		132.91		132.91

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) एम्स की तरह के सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पीटल-सह शिक्षण संस्थान के स्थापना-पीएमएसएसवाई और मशीनो और उपकरणों को खरीदकर राज्य सरकार के हास्पीटलों को उन्नयन करने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 400 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) एम्स की तरह के सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पीटल-सह शिक्षण संस्थान के स्थापना-पीएमएसएसवाई, और सरकारी हास्पीटलों को अपग्रेड करने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 132.90 करोड़)।

> इस अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर उपरोक्त पर कोई नकद व्यय नहीं होगा।

a) For meeting additional expenditure under the PMSSY Establishment of AlIMS type Super-Speciality Hospitals-cumTeaching Institutions and Upgrading of State Govt. Hospitals for
procurement of Machinery & Equipment(₹ 400 Crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

For meeting additional expenditure towards PMSSY- Establishment of AIIMS type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals (₹ 132.90 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			1	(14) (11) (610165)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.03	4777.00	4777.03
पूंजी	Capital		322.97	322.97
जोड़	Total	0.03	5099.97	5100.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:		
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.03	5099.98	5100.01
राजस्व	Revenue	0.03	4777.01	4777.04
प्ंजी	Capital		322.97	322.97
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के .	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u	inder the following Major Head	d:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	***	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

गृह मंत्रालय में परियोजना निगरानी एकक बनाने के लिए नया शीर्ष खोलने के

अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदानमांगा जाता है। The supplementary grants is required for:

opening of new head of account for setting up of Project Monitoring Unit (PMU) in MHA (₹ 0.50 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 47

मंत्रिमंडल CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 देखिये)

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करॉड़) (In ₹ crores)

			(19 / (111 (610165)	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		730.00	730.00	
पूंजी	Capital		•••		
जोड़	Total		730.00	730.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		730.01	730.01	
राजस्व	Revenue		730.01	730.01	
पूंजी	Capital			•••	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्ग	ति दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	r the following Major Head:			
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2013-मंत्रिपरिषद	2013-Council of Ministers		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सिनर्जी परियोजनाओं के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी करना

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary grants is required for:

Release of grants for creation of capital assets under Synergy Projects (\ref{eq} 25 crore)

पुलिस POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 देखिये)

(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

	,	,		(₹ करों.	ਫ਼) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मू ल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	8.34	67536.60		67544.94
पूंजी	Capital	6.72	11171.64		11178.36
जोड़	Total	15.06	78708.24		78723.30
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.01		0.01
पूंजी	Capital		0.01		0.01
जोड़	Total		0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>15.06</i>	78708.26		78723.32
राजस्व	Revenue	<i>8.34</i>	67536.61		67544.95
पूंजी	Capital	6.72	11171.65		11178.37
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the		Heads:		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2055-पुलिस	2055-Police		0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
न् मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
उ ४०५५-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	•••	0.02	` '	0.02

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) विधान सभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करना (सामान्य सहायता अनुदान) (₹ 0.56 करोड़) और मानव तस्कर विरोधी कार्यकलापों के लिए प्रशासनिक खर्चों के लिए (₹ 0.70 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (i) भारत-बांग्लादेश सीमा निर्माण कार्य के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में बाहरी सीमा चौकी निर्माण कार्य (₹ 200 करोड़ रुपए) (ii) सीआरपीएफ द्वारा कार्यालय भवन/आवासीय भवन (मुख्य निर्माण कार्य) के लिए स्वच्छता कार्य योजना (₹ 146.50 करोड़ रुपए)। (iii) सीएपीटी हेतु कार्यालय भवन (₹ 27.80 करोड़ रुपए) और (iv) बीपीआर एवं डी के लिए कार्यालय भवन (₹ 9.20 करोड़ रुपए)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary grants are required for:

) release of funds to UTs without legislature (GIA General) (₹ 0.56 crore) and for Administrative Expenses (OAE) (₹ 0.70 crore) for Anti Human Trafficking Activities .

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) construction of Border Out Posts Work in West Bengal under Indo-Bangladesh Border Works (₹ 200 crore) (ii) Swachchhata Action Plan for Office Building/Residence Building(major work) by CRPF(₹ 146.50 crore) (iii) office building for Central Academy for Police Training (₹ 27.80 crore) and for Bureau of Police Research and Development(₹ 9.20 crore).

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)

(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

			(, ,,	(14) (11) (6) 65)
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
I. मू <i>ल अनुदान</i> :	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.01	3736.68	3736.69
पूंजी	Capital		526.59	526.59
जोड़	Total	0.01	4263.27	4263.28
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	4263.28	4263.29
राजस्व	Revenue	0.01	3736.68	3736.69
पूंजी	Capital		526.60	526.60
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अं	तर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for und	der the following Major Head	d:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5053-नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय	5053-Capital Outlay on Civil Aviation	•••	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

"पोर्ट ब्लेयर में 1524 मीटर (500 फीट) रन-वे का विस्तार" (₹ 7.08 करोड़) संबंधी कार्य के लिए मध्यस्थता पंचाट हेतु व्यय की पूर्ति ।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूक्त अनुदान की मांग की जाती है। The supplementary grants is required for:

Meeting expenditure towards Arbitration Awards in respect of work "Extension of Runway 1524 mtrs (500 ft) at Port Blair" (₹ 7.08 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 51 दादरा और नगर हवेली

DADRA AND NAGAR HAVELI

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 63 देखिये)

(See page 63 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		•		(₹ करॉड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	0.01	686.45		686.46
पूंजी	Capital		389.16		389.16
जोड़	Total	0.01	1075.61		1075.62
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		8.40		8.40
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		8.40		8.40
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	1084.01		1084.02
राजस्व	Revenue	0.01	694.85		694.86
पूंजी	Capital		389.16		389.16
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the	he following Major H	eads:		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development		5.00	(कa)	5.00
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare		2.00	(खb)	2.00
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries		1.40	(गc)	1.40
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		8.40		8.40

यह प्रक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन हेतु संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से के रूप में सिलवास नगर परिषद को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान जारी किए जाने संबंधी अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति ।

> अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु एउपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) अनुपूरक पोषण योजना हेतु खादय सामग्री के प्रापण, परिवहन तथा एकीकृत बाल विकास योजना कार्यकर्ताओं को अतिरिकृत मानदेय के भुगतान के लिए टॉपअप के रूप में पंचायतों को सहायता अनुदान जारी करने संबंधी अतिरिकृत जरूरतों की पूर्ति करना।

> अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु एउपर्युक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ग) निवेश संवर्धन योजना-2015 के तहत ब्याज सब्सिडी की सहायता जारी करने के लिए अतिरिक्त जरूरतों की पूर्ति ।

> अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु एउपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद नहीं होगा।

(a) Meeting additional expenditure for release of Grant-in-Aid for creation of Capital Asset to Silvassa Municipal Council as UT share for implementation of Pradhan Mantri Awas Yojna (Urban).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

Meeting additional requirement for release of Grants-in-Aid General to Panchayat as top up for supplementary nutrition scheme for procurement of food stuff, transportation and for additional honorarium to be paid to Integrated Child Development schemes functionaries.

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

Meeting additional requirement for release of assistance of interest subsidy under Investment Promotion Scheme-2015.

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

दमन और दीव DAMAN AND DIU

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 66 देखिये)

(See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

		(15) (111 \ C101 E3)
भारित	स्वीकृत	ऒड़
Charged	Voted	Total
0.02	1288.09	1288.11
	296.95	296.95
0.02	1585.04	1585.06
		•••
	0.01	0.01
	0.01	0.01
0.02	1585.05	1585.07
0.02	1288.09	1288.11
	296.96	296.96
ाया जायेगा:		
	ıd:	
भारित	स्वीकृत	ऒड़
Charged	Voted	Total
	0.01	0.01
	Charged 0.02 0.02 0.02 0.02 ।या जायेगा: bllowing Major Hea	Charged Voted 0.02 1288.09 296.95 0.02 1585.04 0.01 0.01 0.02 1288.09 296.96 ाया जायेगा: ollowing Major Head: भारित स्वीकृत Charged Voted

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

दीव जिले में प्रमुख कार्यों के तहत (₹ 3 करोड़) फीशिंग प्लेटफॉर्म तथा 92 मीटर लंबी पाइल जैट्टी के निर्माण संबंधी कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त जरूरतों की पर्ति।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary grants is required for:

Meeting the additional requirement under Major Works to carry out works for construction of Fishing Platform & construction of 92 mtrs long Pile Jetty at Diu District (₹ 3 crore).

पुडुचेरी को अंतरण

TRANSFERS TO PUDUCHERRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73 देखिये)

(See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		1411.01	1411.01
प्ंजी	Capital	***	72.00	72.00
जोड़	Total	•••	1483.01	1483.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		17.70	17.70
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		17.70	17.70
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1500.71	1500.71
राजस्व	Revenue		1428.71	1428.71
पूंजी	Capital		72.00	72.00
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under t	the following Major	Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		17.70	17.70

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants is required for:

वर्ष 2016-2017 में सूखे के परिणामस्वरूप पुडुचेरी के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल द्वारा सिफारिश किए गए मुआवजे के परिणामस्वरूप व्यय को वहन करने के लिए नए लेखा शीर्ष खोलने हेत्।

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

for opening of new head of account- to meet expenditure on account of compensation reccomended by Inter-Ministrial Central Team for Puducherry in wake of drought 2016-17.

The above expenditure will entail a cash outgo;

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 देखिये)

(See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

						भारित Charged	स्वीकृत Voted	,	जৗड़ Total
।. मूर	न अनुदा	न:	I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्य	व		Revenue				67459.05		67459.05
पूंजी			Capital						
जोड़			Total				67459.05		67459.05
इस स	मय आव	श्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the	e amou	nt now				
			required:						
राजस्व	व		Revenue				0.04		0.04
पूंजी			Capital			***			
जोड़			Total				0.04		0.04
जोड़ (व	मूल और	प्रक)	Total (Original plus Suppleme	ntary)			67459.09		67459.09
राजस्य	व		Revenue				67459.09		67459.09
पूंजी			Capital			***			
			II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निव II. This Supplementary Grant v		-				
						भारित	स्वीकृत		जॊड़
						Charged	Voted		Total
राजस	-व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य			MAJOR HEAD						
-	 -सामानय	र शिक्षा	2202-General Education				0.01	(कa)	0.01
	-पूर्वोत् <i>त</i> र		2552-North Eastern Areas			•••	0.01	(ন্যু) (खb)	0.01
		. ४.१७ रकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Go	overnme	ents	•••	0.01	(बं _{ट)}	0.01
		्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता	3602-Grants-in-aid to Union To			ments	0.01	(घd)	0.01
अनुदा		יין און איז אין	3002 Grants in aid to officin it	Ciritory	Covem		0.01	(40)	0.01
. •	राजस्व भ	तम)	Total (Revenue Section)				0.04		0.04
यह पूर	क अनुट	ान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The	supplen	nentary grants are required	for:		
(क)		नवोदय विद्यालय समिति स्कीम के अंत करना (₹ 300 करोड़) , और सर्व शिक्षा :		(a)		Providing Grants-in-Aid (Vidalaya Samiti (NVS) ((SSA) (₹ 117.19 crore)			-
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत माँगा जाता है	को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान			Taking into account the the Grant, a token supple	-		e same section of
(ख)	(i)	सामान्य सहायता अनुदान -एसएसए माध्यमिक शिक्षा अभियान (₹ 70 करोः		(b)	(i)	Providing Grants in Aid (₹ 283.44 crore) and (RMSA) (₹ 70 crore)			
	(ii)	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए	अनुदान-आरएमएसए (₹ 1.20 करोइ)		(ii)	Providing Grants for Creat of RMSA (₹ 1.20 crore)	ation of Capita	l Assets	under the Scheme
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत माँगा जाता है	को देखते हुए सांकेतिक प्रक अनुदान			Taking into account the the Grant, a token supple	-		e same section of
(ग)	(i)	सामान्य सहायता अनुदान -एसएसए (करोड़)	₹ 65 करोड़), आरएमएसए (₹ 14.90	(c)	(i)	Providing Grants in Aid (₹ 65 crore) and under the			
	(ii)	प्ंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए	अनुदान-आरएमएसए (₹ 7.13 करोड़)		(ii)	Providing Grants for Creat of RMSA (₹ 7.13 crore)	ation of Capita	l Assets	under the Scheme
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत माँगा जाता है	को देखते हुए सांकेतिक प्रक अनुदान			Taking into account the the Grant, a token supple	•		e same section of
(ঘ)		सामान्य सहायता अनुदान-एसएसए (₹	[•] 0.10 करोड़)	(d)		providing Grants in Aid (₹ 0.10 crore)	d General un	der the	Scheme of SSA
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत माँगा जाता है	को देखते हुए सांकेतिक प्रक अनुदान			Taking into account the the Grant, a token supple	•		e same section of

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 देखिये)

(566	e page	e ro of the Demands for	Grants of Central Government f	OI LITE	year .	2017-2010)			
								(₹ करो	ਫ਼) (In ₹ crores)
						भारित	स्वीकृत		जोड़ र-४-१
,		_	LODIOWAL OBANT			Charged	Voted		Total
• •	त्र अनुदाः -	न:	I. ORIGINAL GRANT:				22070 70		22270 70
राजस्व तंत्री	q		Revenue				33079.70 250.00		33079.70 250.00
पूंजी जो ड़			Capital Total			***	33329.70		250.00 33329.70
•	मरा भातः	श्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amou	int nov	v require	 	33329.70		33329.70
रा जस्य		CATE CATE AN TOTAL STORE	Revenue	110 v	v require	ou.	0.03		0.03
पूंजी			Capital						
जोड़			Total				0.03		0.03
	मूल और '	प्रक)	Total (Original plus Supplementary)			***	33329.73		33329.73
राजस्य			Revenue				33079.73		33079.73
पूंजी			Capital				250.00		250.00
			II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखि	ोत मख्र	य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
			II. This Supplementary Grant will be	9			leads:		
						भारित	स्वीकृत		जॊड़
						Charged	Voted		Total
राजस	-व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य	शीर्ष		MAJOR HEAD						
2202	-सामान्य	शिक्षा	2202-General Education				0.01	(कa)	0.01
2203-	-तकनीकी	ा शिक्षा	2203-Technical Education				0.01	(खb)	0.01
2552-	-पूर्वीत्तर	क्षेत्र	2552-North Eastern Areas				0.01	(गc)	0.01
जोड़ (र	राजस्व भ	ाग)	Total (Revenue Section)			···	0.03		0.03
यह पूर	रक अनुद	ान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The	supplem	nentary grants are required	for:		
(ক)	(i)	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अ (₹ 183.80 करोड़)	नुदान के अन्तर्गत सामान्य सहायता-अनुदान	(a)	(i)	Providing GIA Genera Universities (₹ 183.80 C		Scheme	Grant to Central
	(ii)	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृज करोड़)	न के लिए अनुदान-ऑरोविले प्रबंधन (₹ 10		(ii)	Providing Grant for cre Auroville Management (al assets	under the scheme
	(iii)	लघु कार्य, अनुरक्षण केन्द्रीय भा केन्द्र (भारतीय भाषा संस्थान)(₹	रतीय भाषा संस्थान, मैस्र और क्षेत्रीय भाषा 2 करोड़)		(iii)	Minor works, Maintenance for the Scheme Central Institute Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) at Regional Language Centers (₹ 2 Crore).			
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध मांगा जाता है।	बचत को देखते हुए सांकेतिक प्रक अनुदान			Taking into account the the Grant, a token supp	•		e same section of
(ख)	(i)		हायता प्रदान करना (i) राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी बंधन संस्थान को सहायता (₹ 80 करोड़) और 40 करोड़)।	(b)	(i)	Providing GIA General under the Scheme (i) National Testin Agency (₹ 11.45 Crore) (ii) Support to Indian Institutes Management (₹ 80 Crore) and (iii) Swachhta Action Plan (SA (₹1.40 Crore).			dian Institutes of
	(ii)		मों के स्ज़न हेतु अनुदान देना (i) राष्ट्रीय करोड़) और (ii) स्वच्छता कार्य योजना		(ii)	Providing Grants for cr (i) National Testing Age Plan (SAP) (₹ 1 Crore)	=		
	(iii)	ج برکت شخص سعوان برکین	भंतर्गत सहायता भन्नदान वेतन पटान करना		(iii)	Broylding Cront in old S	alariaa undar t	ha aaham	e National Testing

- (iii) राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन प्रदान करना (₹ 7 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हु ए इसमें सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) (i) भारतीय भाषाओं के विकास के लिए अनुदान स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के स्जन के लिए अनुदान -(₹ 12.15 करोड़)।
 - (ii) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 416.20 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (iii) Providing Grant in aid Salaries under the scheme National Testing Agency (₹ 7 Crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) Providing Grants for creation of capital assets under the scheme Grants for Promotion of Indian Languages (₹ 12.15 Crore)
- (ii) Providing Grant in aid Salaries under the scheme Grants to Central Universities (₹ 416.20 Crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

			·	भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करॉड़) (In ₹ crores) जॊड़ Total	
।. मूल अनु	दान:	I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व		Revenue			4379.90		4379.90	
पूंजी		Capital			29.10		29.10	
जोड़		Total			4409.00		4409.00	
इस समय आ	ावश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amo	ount now red	quired:				
राजस्व		Revenue			0.02		0.02	
पूंजी		Capital						
जोड़		Total		•••	0.02		0.02	
जोड़ (मूल औ	रि प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		···	4409.02		4409.02	
राजस्व		Revenue			4379.92		4379.92	
पूंजी		Capital			29.10		29.10	
		॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नर्लि	खेत मुख्य शी	र्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
		II. This Supplementary Grant will be	accounted	for under the following Major He	ads:			
				भारित	स्वीकृत		जॊड़	
				Charged	Voted		Total	
राजस्व भा	ग	REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2220-सूचना	और प्रचार	2220-Information and Publicity		***	0.01	(कa)	0.01	
2221-प्रसार	ण	2221-Broadcasting			0.01	(खb)	0.01	
जोड़ (राजस्व	r भाग)	Total (Revenue Section)			0.02		0.02	
यह पूरक अन्	नुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supp	elementary grants are required for	r:			
(क)				(a) opening of New Object head Grants-in-aid General for Autonomous Bodies (IIMC, PCI, CFSI, FTII & SRFTI) for Swachchata Action Plan(SAP) (₹ 0.22 Crore).				
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध अनुदानकी मांग की जाती है।	ा बचतों को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक		Taking into account the sathe Grant, a token supplem	-		same section of	
(ख)	प्रसार भारती के लिए नया प्रयोजन कार्य योजना (एसएपी) खोलने के ति	ा शीर्ष सहायता अनुदान सामान्य स्वच्छता त्रेए (₹ 0.10 करोड़)।	(b)	opening of New Object hea Action Plan(SAP) for Prasa				
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध अनुदानकी मांग की जाती है।	ा बचतों को देखते हुए सांकेतिक अनुप्रक		Taking into account the sathe Grant, a token supplem	-		same section of	

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 देखिये)

(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

			(, , , ,	(17) (11) (6) 61
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
I. मू <i>ल अनुदान</i> :	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		7355.53	7355.53
पूंजी	Capital	***	22.85	22.85
जोड़	Total	•••	7378.38	7378.38
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	***		
पूंजी	Capital	***	19.00	19.00
जोड़	Total	•••	19.00	19.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		7397.38	7397.38
राजस्व	Revenue		7355.53	7355.53
पूंजी	Capital		41.85	41.85
	II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर	ति दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for unde		ead:	
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services		19.00	19.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

प्रयोजन शीर्ष'मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत बेहतर सामाधान , निवारक मध्यस्थता, मुख्य श्रमायुक्त (कें.) के श्रम कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन की मशीनरी की योजना के अन्तर्गत (₹ 19 करोड़) की राशि की अतिरिक्त आवश्यकता को प्रस करने के लिए।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary grants is required for:

meeting the additional requirement (₹ 19 crore) under the scheme of 'Machinery for Better Conciliation, Preventive Mediation, Effective Enforcement of Labour Laws, Chief Labour Commissioner' under the object head Major Works.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 देखिये)

(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

				भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोंड़) (In ₹ crores) जोंड़ Total
1. मूल अ	नुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व		Revenue			6471.36	6471.36
पूंजी		Capital			10.60	10.60
जोड़		Total		•••	6481.96	6481.96
इस समय	आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amo	ount now re	quired:		
राजस्व		Revenue			0.02	0.02
पूंजी		Capital				
जोड़		Total			0.02	0.02
जोड़ (मूल	और पूरक)	Total (Original plus Supplementary))		6481.98	6481.98
राजस्व		Revenue			6471.38	6471.38
पूंजी		Capital		•••	10.60	10.60
		II. This Supplementary Grant will be	accounted	d for under the following Major H भारित Charged	eads: स्वीकृत Voted	जৌड़ Total
<i>राजस्व ६</i> मुख्य शीर्ष	Ť	REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
2552-पूर्वो		2552-North Eastern Areas			0.01	(कa) 0.01
	न एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries			0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राज	स्व भाग)	Total (Revenue Section)		···	0.02	0.02
यह पूरक	अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The sup	plementary grants are required f	or:	
(ক)	(क) ग्रामोद्योग अनुदान के त अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 24.75	तहत "सहायता अनुदान सामान्य" के रूप में 5 करोड़) को पूरा करना।	(a)	Meeting the additional re Aid General" under Villag		24.75 crore) as "Grants in Grant.
	अनुदान के इस भाग के उपलब्ध मांगा जाता है।	। बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान	Taking into account the savings available in the same sect the Grant, a token supplementary is sought.			
(ख)		करोड़) और एसटीघटक के तहत "सहायता ामोदयोग के अनुदान के तहत (₹ 8.80 करोड़) हरना।			-	
अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।			Taking into account the sthe Grant, a token suppler	-	able in the same section of aght.	

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			((47XI5) (III CLOIC
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		4025.48		4025.48
पूंजी	Capital		170.00		170.00
जोड़	Total		4195.48		4195.48
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.03		0.03
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.03		0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4195.51		4195.51
राजस्व	Revenue		4025.51		4025.51
पूंजी	Capital		170.00		170.00
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under t	he following Majo	r Heads:		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251-Secretariat-Social Services		0.01	(कa)	0.01
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes,		0.01	(खb)	0.01
पेछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Other Backward Classes and Minorities				
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare		0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.03		0.03

(c)

यह पूरक अनुदान	\sim	1 - 10 4
राद परक भन्न टान	गलम्लालाग्वट	ग्दन भपाक्षन द∙
ati Kan Sietaie	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ו פון טו זומונו פ.

The supplementary grants are required for:

(क)	स्वच्छता कार्य योजना के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.10
	करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदानकी मांग की जाती है।

(ख) स्वच्छता कार्य योजना के लिए व्यय को पूरा करने के लिए मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सामान्य सहायता अनुदान (र 10 करोड़) प्रदान करने के लिए।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदानकी मांग की जाती है।

(ग) स्वच्छता कार्य योजना के लिए व्यय को पूरा करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत अनुपूक्त अनुदान अपेक्षित हैं:- मीडिया अभियान (₹ 0.30 करोड़) तथा अनुसंधान अध्ययन मॉनीटरिंग तथा योजनाओं का मूल्यांकन (₹ 0.20 करोड़)।

> अनुदान के इसी अनुभाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक अनुपूरक की मांग की जाती है।

 For Meeting additional expenditure under the Swatchhta Action Plan (₹ 0.10 crore).

> Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

> providing Grant in Aid General under the Scheme of Maulana Azad Education Foundation for meeting expenditure under Sawachhta Action Plan(₹ 10 crore)

> Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

For Meeting expenditure on Swachhta Action Plan under Media Campaign (₹ 0.30 crore) and Research Studies Monitoring and Evaluation of schemes (₹ 0.20 crore).

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 देखिये) (See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

				_	_	() (In a crores)
				भारित	स्वीकृत		जोड़
				Charged	Voted		Total
।. मूल अनुद	ान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue		4.49	1266.60		1271.09
पूंजी		Capital		2.00	149.91		151.91
जोड़		Total		6.49	1416.51		1423.00
इस समय आव	११यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amo	unt now requir	red:			
राजस्व		Revenue			0.05		0.05
पूंजी		Capital			0.08		0.08
जोड़		Total			0.13		0.13
जोड़ (मूल और	:पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		<i>6.49</i>	1416.64		1423.13
राजस्व	•	Revenue		4.49	1266.65		1271.14
पूंजी		Capital		2.00	149.99		151.99
^		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिरि	वित्र सम्बर्ग शीर्षों वं				
		II. This Supplementary Grant will be			ads:		
		,		भारित	स्वीकृत		ऒड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	•	REVENUE SECTION					
म्ख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2052-सचिवा	त्रय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services			0.01	(क a)	0.01
2014-न्याय प्र		2014-Administration of Justice			0.01	(खb)	0.01
2051-लोक से		2051-Public Service Commission			0.01	(गc)	0.01
2055-पुलिस	41 311 414	2055-Police			0.01	(घd)	0.01
9	ाशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services			0.01	(ਤਰ) (ਤe)	0.01
जोड़ (राजस्व ध		Total (Revenue Section)		•••	0.05	(30)	0.05
	ni•i)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•••	0.03		0.03
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
	र्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Work	S	•••	0.08	(चf)	0.08
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			0.13		0.13
	दान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:			nentary grants are required fo			
(क)		रकार के कर्मचारियों का रिकार्ड के अंतर्गत	(a)	(i) Making provision unde			
		गैर (ii) डीपीओटीडीएआरपीजी और पेंशन एवं	Govt. employees" (₹ 27				
	पी डब्ल्यू विभाग के सबध में स्वच	च्छता कार्य योजना के लिए प्रावधान करना।		Swachhta Action Plan in re			=
				Deptt. of Administrative Re	forms & Publ	lic Grievan	ces and Deptt. of
		*		Pensions & Pensioners We			
		। बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान		Taking into account the sa	-		same section of
	मांगा जाता है			the Grant, a token supplem	entary is sou	ıght.	
(ख)		रण द्वारा स्वच्छता कार्य योजना के लिए	(b)	making provision for the	Swachhta	Action Pl	an by Central
	प्रावधान करना (₹ 0.25 करोड़)			Administrative Tribunal (₹ 0).25 crore).		
		। बचतों को देखते हु ए सांकेतिक प्रूक अनुदान		Taking into account the sa	avings availa	ble in the	same section of
	मांगा जाता है।			the Grant, a token supplem	entary is sou	ıght.	
(ग)	एसएससी द्वारा स्वच्छता व	कार्य योजना के लिए प्रावधान करना।	(c)	Making provision for Sw	achhta Actio	n Plan by	/ Staff Selection
	(₹ 0.30 करोड़)।			Commission (₹ 0.30 crore).			
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध	। बचतों को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान		Taking into account the sa	avings availa	ble in the	same section of
	मांगा जाता है			the Grant, a token supplem	entary is sou	ıght.	
(ঘ)	सी.बी.आई द्वारा स्वच्छता कार	र्य योजना के लिए प्रावधान करना। (₹ 0.80	(d)	making provision for Swac	chta Action	Plan by C	Central Bureau of
	करोड़)।			Investigation (₹ 0.80 crore)			
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध	। बचतों को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान		Taking into account the sa	avings availa	ble in the	same section of
	मांगा जाता है			the Grant, a token supplem	entary is sou	ıght.	
(롱)	एन सी जी जी को अनुदान संबंधी	नया लेखा शीर्ष ((i) सामान्य सहायता अनुदान	(e)	I. New Head of Accounts i	n respect of	Grants to	National Centre
		दान वेतन (₹ 5 करोड़) ((iii) पूंजी आस्ति के		for Good Governance (i)	GIA General	(₹ 3 crore)	(ii) GIA Salaries
		8.70 करोड़) II. आईएसटीएम सीआईसी		(₹ 5 crore) and (iii) GIA for	creation of	capital ass	set (₹ 8.70 crore)
	एलबीएसएनएए और पीएसईबी के			II. making provision for	Swacchta A	ction Plan	for Institute of
				Secretariat Training &	Manageme	ent, Cen	tral Information
				Commission, Lal Baha	_		
				Administration and Public E			=
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध	। बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान		Taking into account the sa	-		
	मांगा जाता है	9 % 34.		of the Grant, Token supple			
(핍)	एसएससी के लिए कार्यालय आवा	स की खरीद (₹ 0.8 करोड़)।	(f)	purchase of office accomm			tion Commission
V -7			V-7	(₹ 0.08 crore).			
	अनदान के राजस्व/पंजी भाग मे	में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए		Taking into account the	surrender of	fsavings	available in the
	उपर्युक्त व्यय में कोई नकद व्यय			Revenue/Capital Section of		_	
	2.3	V V: :::		and and a second state of the	Crumt,		

not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO 71 (विनियोग)(APPROPRIATION)

केंद्रीय सतर्कता आयोग

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 देखिये)

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
।.विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:				
राजस्व	Revenue	27.68	***	27.68	
पूंजी	Capital		•••		
जोड़	Total	27.68		27.68	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue	0.01		0.01	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total	0.01		0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	27.69		27.69	
राजस्व	Revenue	27.69		27.69	
पूंजी	Capital			•••	
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2062-सतर्कता	2062-Vigilance	0.01		0.01	

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary appropriation is required for:

भारतीय प्रबन्धन संस्थान अहमदाबाद दवारा चलाई गई सरकारी एकीकृत सूचकांक संगठन परियोजना के विकास के लिए (र 1 करोड़)। Development of Integrity Index for Public Organisation Project undertaken by Indian Institute of Management , Ahmadabad (\mathfrak{F} 1 crore)

अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदानकी मांग की जाती है।

मांग संख्या DEMAND NO 72 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 देखिये)

(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(\ 47\(\frac{15}{2}\) (III\ CI UI E3)		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	25310.37	25310.37	
पूंजी	Capital		3847.20	3847.20	
जोड़	Total	•••	29157.57	29157.57	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		7000.00	7000.00	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		7000.00	7000.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	36157.57	36157.57	
राजस्व	Revenue		32310.37	32310.37	
पूंजी	Capital		3847.20	3847.20	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		7000.00	7000.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

विशेष सहायता के रूप में "राज्य सरकारों को भिन्न रोयल्टी का भुगतान" योजना के अन्तर्गत बकाया राशि के भुगतान के लिए राज्य सरकार को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 7000 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए।

उपरोक्त पर नकद व्यय होगा।

The supplementary grants is required for:

meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 7000 crore) to State Governments for the payment of outstanding amount under the scheme "Payment of Differential Royalty to State Governments" as special assistance.

The above expenditure will entail a cash outgo;

योजना मंत्रालय

MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 देखिये)

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मू <i>ल</i> अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	252.09	252.09
पूंजी	Capital	•••	0.43	0.43
जोड़	Total	•••	252.52	252.52
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	•••	0.01	0.01
प्ंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		252.53	252.53
राजस्व	Revenue		252.10	252.10
पूंजी	Capital	•••	0.43	0.43
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दि	देखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the			
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेत्) सहित अटल नव परिवर्तन मिशन (एआईएम) (र 20 करोड़) (ii) यूएनडीपी सहायता प्राप्त परियोजना "विकेन्द्रीकृत क्षमता सृहढ़ीकरण योजना" (र 0.25 करोड़)

अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है। The supplementary grants is required for:

Meeting additional expenditure towards Grants in aid General for (i) Atal Innovation Mission (AIM) including Self Employment and Talent Utilization (SETU) (₹ 20 crore)(ii) UNDP assisted project "Strengthening Capacities for Decentralized Planning" (₹ 0.25 crore).

राज्य सभा RAJYA SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 देखिये)

(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

		भारित	स्वीकृत	जॏड़	•	
		Charged	Voted	Total		
I. मू ल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue	1.02	386.38	387.40		
पूंजी	Capital	***		***		
जोड़	Total	1.02	386.38	387.40		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		0.01	0.01		
प्ंजी	Capital					
जोड़	Total		0.01	0.01		
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.02	386.39	387.41		
राजस्व	Revenue	1.02	386.39	387.41		
प्ंजी	Capital					
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the		ad:			
		भारित	स्वीकृत	जॊड़		
		Charged	Voted	Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	2011-Parliament/State/Union Territory Legislatures		0.01	0.01		

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) 'सदस्य', 'सचिवालय' और 'राज्य सभा टेलीविजन (आरएसटीवी)' उप-शीर्षों के तहत सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े घटकों के लिए "सूचना प्रौद्योगिकी (अन्य प्रभार)" पर व्यय की पूर्ति हेत् (₹ 3.72 करोड़)।
- (ii) 'सदस्य' और 'प्रतिपक्षी नेता' उप-शीर्षों के तहत 'चिकित्सा उपचार' पर व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 1.55 करोड़)।
- (iii) सचिवालय' और 'राज्य सभा टेलीविजन (आरएसटीवी)' उप-शीर्षों के तहत "विज्ञापन और प्रचार" पर व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 8.50 करोइ)।
- (iv) 'राज्य सभा टेलीविजन (आरएसटीवी)' उप-शीर्ष के तहत "किराया, दरों एवं करों" पर व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 28 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध 'बचत' को ध्यान में रखते हु ए पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grants is required for:

- (i) meeting expenditure on "Information Technology (Other Charges)" for IT related components under sub-heads "Members', Secretariat and 'Rajya Sabha Television (RSTV)' (₹ 3.72 crore).
- (ii) meeting expenditure on 'Medical Treatment' under sub-heads 'Members' an 'Leader of Opposition' (₹ 1.55 crore).
- (iii) meeting expenditure on 'Advertisement and Publicity " under the sub-heads 'Secretariat' and 'Rajya Sabha Television (RSTV)' (₹ 8.50 crore).
- (iv) meeting expenditure on 'Rent, Rates & and Taxes' under Sub-head 'Rajya Sabha Television (RSTV)'(₹ 28 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 98 देखिये)

(See page 98 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
I. मू <i>ल अनुदान</i> :	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	158.23	236461.18	236619.41
पूंजी	Capital	38.01	194303.45	194341.46
जोड़	Total	<i>196.24</i>	430764.63	430960.87
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue			
प्ंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	196.24	430764.64	430960.88
राजस्व	Revenue	<i>158.23</i>	236461.18	236619.41
पूंजी	Capital	38.01	194303.46	194341.47
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत टि	देखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the	following Major	Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5002-भारतीय रेलवे वाणिज्य और सामरिक लाइन पर पूंजी परिव्यय (5002 और 5003)	5002-Capital Outlay on Indian Railways - Commercial and Strategic Lines (5002 and 5003)		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (i) बनासवाडी मुख्य लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट रेक हेतु अनुरक्षण सुविधाओं की संवृद्धि, लागत ₹ 5.23 करोड़ और सरकारी निजी भागीदारी परियोजना (₹ 20.91करोइ)- पूंजी शीर्ष के अंतर्गत, दक्षिण पश्चिम रेलवे हेतु – कारखाने उत्पादन इकाइयों सहित ।
- सालारपुर-मालगाड़ी टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकास, लागत ₹ 130.83
 करोड़-पूंजी शीर्ष के अंतर्गत, उत्तर रेलवे हेतु यातायात सुविधाएं यार्ड के ढांचे में परिवर्तन सहित।
- (iii) वस्तु एवं सेवा कर मॉड्यूल के कार्यान्वयन के लिए अभिकल्प, विकास व कंप्यूटरीकरण, लागत ₹ 41.72 करोड़ (विकास निधि के तहत)- पूंजी शीर्ष के अंतर्गत, उत्तर रेलवे हेतु संगणकीकरण ।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है ।

The supplementary grants is required for:

- (i) Banaswadi Enhancement of maintenance facilities for Mainline Electrical Multiple Unit rakes costing ₹ 5.23 crore and Public Private Partnership project (₹ 20.91crore)-under capital head -Workshops including Production Units for South Western Railway.
- (ii) Salarpur Development as freight terminal station costing ₹ 130.83 crore under Capital head - Traffic Facilities-Yard Remodelling and Others for Northern Railway.
- (iii) Design, development and computerisation towards implementation of Goods and Service Tax module costing ₹ 41.72 crore (through Development Fund) under capital head – Computerisation for Northern Railway

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 100 देखिये)

(See page 100 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		भारित	स्वीकृत	(₹ करें	ोड़) (In ₹ crore. जॊड
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	J			
राजस्व	Revenue		19903.48		19903.48
पूंजी	Capital	10.00	100455.66		100465.66
 जोड़	Total	10.00	120359.14		120369.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:	:			
ाजस्व	Revenue		0.01		0.01
<u>र</u> ंजी	Capital		0.01		0.01
 जोड़	Total		0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10.00	120359.16		120369.16
ाजस्व	Revenue		19903.49		19903.49
ट ुंजी	Capital	10.00	100455.67		100465.67
•	॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के 3	नंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for un		Heads:		
	,	भारित	स्वीकृत		ਗੋਤ
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	· ·			
नुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3 3054-सड़क और पूल	3054-Roads and Bridges	•••	0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			(- /	
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3 5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.02	(45)	0.02
	(···	3.42		
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplement	entary grants are requir	ed for:		
(क) केन्द्रीय सड़क निधि को अंत	र खाता अंतरण ₹ 7237.78 करोड़ ।	Inter Account Trans	fer to Central R	oad Fund	d (CRF) (₹ 7237.7

क) केन्द्रीय सड़क निधि को अंतर खाता अंतरण ₹ 7237.78 करोड़ ।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हु ए, एक सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।

- (ख) (i) प्रमुख 'राष्ट्रीय राजमार्ग मूल काम' के तहत प्रमुख कार्यों पर (₹ 3,000 करोड़)
 के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए ।
 - (ii) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत विश्व बैंक, राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर-संपर्क सुधार कार्यक्रम के मुख्य- कार्यों पर (₹ 175 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए ।
 - (iii) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं विश्व बैंक, एनएचआईआईपी के तहत व्यावसायिक सेवाओं के मुख्यों कार्यों पर (₹ 50 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए ।
 - (iv) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत एशियाई विकास बैंक के मुख्य कार्यों पर(₹ 145 करोड़) रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए ।
 - (v) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं के तहत जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के मुख्य कार्यों पर (₹ 250 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए ।
 - (vi) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए काउंटरपार्ट फंड के तहत विश्व बैंक, राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर- संपर्क सुधार कार्यक्रम के मुख्य कार्यों पर (₹ 123 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए ।
 - (vii) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए काउंटरपार्ट फंड के तहत- एशियाई विकास बैंक के मुख्य कार्यों पर (₹ 147 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए ।
 - (viii) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए काउंटरपार्ट फंड के अंतर्गत जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के मुख्य कार्यों पर (₹ 83 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए ।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।

Inter Account Transfer to Central Road Fund (CRF) (₹ 7237.7)
 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) meeting additional expenditure on Major Works under 'National Highways Original Works' (₹ 3000 crore).
 - (ii) meeting additional expenditure on Major Works under the World Bank Externally Aided Schemes of National Highway Interconnectivity Improvement Programme(NHIP) (₹ 175 crore).
 - (iii) meeting additional expenditure on Professional Services under the World Bank Externally Aided Schemes under NHIIP (₹ 50 crore).
 - (iv) meeting additional expenditure on Major Works under the Asian Development Bank Externally Aided Schemes (₹ 145 crore).
 - (v) meeting additional expenditure of on Major Works under the Japan International Cooperation Agency Externally Aided Schemes (₹ 250 crore).
 - (vi) meeting additional expenditure on Major Works under the Counterpart Fund for World Bank Externally Aided Schemes of NHIIP (₹ 123 crore).
 - (vii) meeting additional expenditure on Major Works under the Counterpart Fund for Asian Development Bank Externally Aided Schemes (₹ 147 crore).
 - (viii) meeting additional expenditure on Major Works under the Counterpart Fund for Japan International Cooperation Agency Externally Aided Schemes (₹ 83 crore).

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 101 देखिये)

(go	r Grants of Central Government for the year	. 2011 2010)		(₹ करें	ੀਂਤ) (In ₹ crores
			भारित	स्वीकृत	(, , ,	,५ <i>) (,,,, र ७,०,०</i> . जॉड
			Charged	Voted		Total
।. मूल अनु	[दान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व		Revenue		170436.63		170436.63
पूंजी		Capital		5.25		5.25
जोड़		Total		170441.88		170441.88
इस समय अ	।।वश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:			
राजस्व	· -	Revenue		0.06		0.06
पूंजी		Capital				
जोड़		Total		0.06		0.06
जोड़ (मूल अं	ौर पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		170441.94		170441.94
राजस्व		Revenue		170436.69		170436.69
पूंजी		Capital		5.25		5.25
•		॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जायेगाः			
		II. This Supplementary Grant will be accounted for u		Heads:		
			भारित	स्वीकृत		ऒॾ
			Charged	Voted		Total
राजस्व भा	ग	REVENUE SECTION	_			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2216-आवाः	स	2216-Housing		0.01	(क a)	0.01
2235-सामा	जिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare		0.01	(खb)	0.01
2501-ग्रामी	ण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-Special Programmes for Rural Development		0.01	(गc)	0.01
2505-ग्रामी	ण रोजगार	2505-Rural Employment		0.01	(घd)	0.01
2515-अन्य	। ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes		0.01	(ਭ e)	0.01
3054-सड़क	और पुल	3054-Roads and Bridges		0.01	(चf)	0.01
जोड़ (राजस्व	व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	0.06		0.06
यह परक अव	नुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplem	nentary grants are requir	ed for:		
(क)	· ·	भन्तर्गत आन्तरिक लेखा परीक्षा और स्वच्छ (a)	meeting expenditure		Swachhta	Action Plan (SΔI
(7')	कार्य योजना के व्यय को पूरा क	(-)	and Internal Audit (₹ 2 crore).			,
			(

10 10 10 31-341	arrive and exportance (me cappioni	ortary granto are required for.
(क)	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आन्तरिक लेखा परीक्षा और स्वच्छ कार्य योजना के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 2 करोड़)।	(a)	meeting expenditure on account of Swachhta Action Plan (SAP) and Internal Audit under Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) (\mathfrak{F} 2 crore).
	अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्क्रम के अन्तर्गत आन्तरिक लेखा परीक्षा और स्वच्छता कार्य योजना के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.02 करोड़)।	(b)	meeting expenditure on account of Swachhta Action Plan (SAP) and Internal Audit under National Social Assistance Program(NSAP) (₹ 0.02 crore).

(c)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत ग्रामीण विकास विशेष कार्यक्रम हेत् सामान्य सहायता अन्दान प्रदान करने के लिए (₹ 42.50 करोड़)।

अन्दान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक अन्पूरक

- providing Grants-in-aid-General for Special Programme for Rural (i) Development under Rural Self Employment Training Institute (RSETI) under the scheme National Rural Livelihood Mission (₹ 42.50 crore);
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्कीम के अन्तर्गत किराया दर और कर (ii) (₹ 6.50 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान की मांग की जाती है।

(ग)

(ঘ)

(i)

- meeting expenditure under Rent, Rate and Taxes under the scheme National Rural Livelihood Mission (₹ 6.50 crore);
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्कीम के अन्तर्गत विदेशी सहायता प्राप्त (iii) परियोजना घटक के लिए सामान्य सहायता अन्दान (₹ 50 करोड़)।
- providing Grant-in-aid-General for externally aided projects (EAP) (iii) component under the scheme National Rural Livelihood Mission (₹ 50 crore);
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्कीम के अन्तर्गत कार्यालय व्यय (सूचना (iv) प्रौद्योगिकी) (₹ 4.80 करोड़) को पूरा करने के लिए।
- meeting Office Expenses (Information Technology) under the scheme National Rural Livelihood Mission (₹ 4.80 crore):
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्कीम के अन्तर्गत आन्तरिक लेखा परीक्षा (v)
- meeting expenditure on account of Swachhta Action Plan (SAP) and Internal Audit under the scheme National Rural Livelihood
- और स्वच्छता कार्य योजना के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 1.01 करोड़)।
- Taking into account the savings available in the same section of
- अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- the Grant, a token supplementary is sought. meeting expenditure on account of Swachhta Action Plan (SAP)
- महातमा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्तरिक लेखा परीक्षा और स्वच्छ कार्य योजना के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 1.01 करोड़)।
- and Internal Audit under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme (MGNREGP)(₹ 1.01 crore)

अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।

- (इ) (i) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य ग्रामीण विकास संस्थान विसतारित प्रशिक्षण केन्द्रों का सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (र 30 करोड)।
 - (ii) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अन्दान प्रदान करने के लिए (₹ 70 करोड़)।
 - (iii) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यालय व्यय (सूचना प्रोदयोगिकी) को पूरा करने के लिए (₹ 0.01 करोड़)।
 - (iv) श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के अन्तर्गत आन्तरिक लेखा परीक्षा और स्वच्छता कार्य योजना पर व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 2 करोड़)।

अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।

(च) प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के अन्तर्गत आन्तरिक लेखा परीक्षा और (f) स्वच्छता कार्य योजना पर व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.15 करोड़)।

अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदानकी मांग की जाती है। Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) providing Grants-in-aid-General to State Institutes of Rural Development (SIRDs) / Extension Training Centres (ETCs) under other Rural Development Programme (₹ 30 crore);
- (ii) providing Grants-in-aid for creation of capital assets under other Rural Development Programme (₹ 70 crore)
- (iii) meeting Office expenses (Information Technology) under other Rural Development Programme (₹ 0.01 crore)
- (iv) meeting expenditure on account of Swachhta Action Plan (SAP) and Internal Audit under Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission (₹ 2 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure on account of Swachhta Action Plan (SAP) and Internal Audit under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna (PMGSY) (\mathfrak{T} 0.15 crore).

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 103 देखिये)

(See page 103 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(, ,	114 / (111 1 61016	-5)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	0.02	4821.76	4821.78	
पूंजी	Capital		15.59	15.59	
जोड़	Total	0.02	4837.35	4837.37	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	4837.36	4837.38	
राजस्व	Revenue	0.02	4821.77	4821.79	
पूंजी	Capital		15.59	15.59	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u	under the following Major Head	d:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3425-अन्य वैज्ञानिक अनु संधान	3425-Other Scientific Research		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

"विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण" के "अनुस्चित जनजाति के घटक" के अंतर्गत 'अनुदान सहायता सामान्य' (₹ 6 करोड़ रूपए) व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनज़र सांकेतिक पूरक अनुदान प्रार्थित है। The supplementary grants is required for:

meeting expenditure towards providing 'Grants-in-aid General' (₹ 6 crore) under "Scheduled Tribe Component" of "Science and Technology Institutional and Human Capacity Building".

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 104 देखिये)

(See page 104 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करॉड़) (In ₹ crores)

			1	(19) (111 (610165)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		2222.11	2222.11
पूंजी	Capital		•••	***
जोड़	Total	•••	2222.11	2222.11
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	i :		
राजस्व	Revenue	***	0.01	0.01
पूंजी	Capital		•••	***
जोड़	Total	•••	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	2222.12	2222.12
राजस्व	Revenue		2222.12	2222.12
पूंजी	Capital			•••
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	भंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for un	nder the following Major Head	l :	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3 3425-अन्य वैज्ञानिक अनु संधान	3425-Other Scientific Research	***	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants is required for:

स्वच्छता कार्य योजना (₹ 2.25 करोड़) का क्रियान्वयन।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है। Implementation of Swachhta Action Plan (₹ 2.25 crore).

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 105 देखिये)

(See page 105 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

			1	(19) (111 (610165)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
।. मू ल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		4439.25	4439.25
पूंजी	Capital		6.75	6.75
जोड़	Total		4446.00	4446.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	i :		
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4446.01	4446.01
राजस्व	Revenue		4439.26	4439.26
पूंजी	Capital		6.75	6.75
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	भंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for ur	nder the following Major Head	l :	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास योजना के पेटेन्ट अर्जन और सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रौद्दीगिकी विकास (पेस) के अंतर्गत (एक नये प्रयोजन शीर्ष) 'सब्सिडीज' पर ₹ 0.25 करोड़ व्यय के लिए ।

अनुदानके इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grants is required for:

meeting expenditure towards 'Subsidies' (new object head) under Patent Acquisition and Collaborative Research and Technology Development (PACE) of Industrial Research and Development Scheme (₹ 0.25 crore).

पोत परिवहन मंत्रालय MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 106 देखिये)

(See page 106 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	1668.84	1668.84
पूंजी	Capital		440.66	440.66
जोड़	Total	•••	2109.50	2109.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2109.51	2109.51
राजस्व	Revenue		1668.85	1668.85
पूंजी	Capital	***	440.66	440.66
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	र्गित दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for und	der the following Major Head	:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3056-अंतर्देशीय जल परिवहन	3056-Inland Water Transport		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) 'जलमार्ग विकास परियोजना' (₹ 1 करोड़) के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान मुहैया कराने और नया शीर्ष खोलने के लिए।
- (ii) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की ब्याज देयता और अन्य व्यय के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 28.70 करोड़)
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक अनुपूरक मांगा जाता है।

The supplementary grants is required for:

- (i) opening of new head and providing Grants for creation of Capital Assets under 'Jal Marg Vikas Project' (₹ 1 crore).
- (ii) providing Grants-in-aid General for interest liability and other expenses to Inland Waterway Authority of India (₹ 28.70 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 108 देखिये)

(See page 108 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

			(1 7/1	روی ادارا در داران ر چا
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मू <i>ल अनुदान</i> :	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		6589.78	6589.78
पूंजी	Capital	***	318.22	318.22
जोड़	Total	•••	6908.00	6908.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital	***	***	
जोड़	Total	•••	0.01	0.01
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	6908.01	6908.01
राजस्व	Revenue	•••	6589.79	6589.79
पूंजी	Capital	•••	318.22	318.22
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the	e following Major I	Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225-अन् सूचित जाति, अन् सूचित जनजाति, अन्य	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes,		0.01	0.01
पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Other Backward Classes and Minorities			

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants is required for:

बालक छात्रावास की योजना में (₹ 10 करोड़) की पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त अनुदान जारी करने हेतु

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को देखते हु ए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान प्रार्थित है। Providing additional Grants for creation of capital Assets under the Scheme of Boys Hostel (₹ 10 Crore).

विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग

DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 109 देखिये)

(See page 109 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

		भारित	स्वीकृत	, , , जोड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		822.26	822.26
पूंजी	Capital		32.74	32.74
जोड़	Total		855.00	855.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	855.01	855.01
राजस्व	Revenue	•••	822.27	822.27
प्ंजी	Capital		32.74	32.74
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्ग	ति दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	r the following Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

हिष्टिहीन, बिधर, मानसिक मंदता तथा अस्थि विकलांग राष्ट्रीय संस्थानों के विस्तार एवं सुधार की योजना के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता जारी करने के लिए स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के संबंध में किया गया व्यय (₹ 0.90 करोड़)।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक अनुपूरक अपेक्षित है। The supplementary grants is required for:

Providing GIA-General under the Scheme of Expansion and Improvement of National Institutes for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and the Orthopedically Handicapped under Swachhta Action Plan (SAP) (₹ 0.90 crore) .

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 110 देखिये)

(See page 110 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

	•	•		(₹ करोड़	r) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		, जोड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	0.60	4937.73		4938.33
पूंजी	Capital	0.40	4154.98		4155.38
जोड़	Total	1.00	9092.71		9093.71
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:			
राजस्व	Revenue	***	0.01		0.01
पूंजी	Capital	***	0.01		0.01
जोड़	Total	•••	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.00	9092.73		9093.73
राजस्व	Revenue	0.60	4937.74		4938.34
पूंजी	Capital	0.40	4154.99		4155.39
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों वे	न अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for		eads:		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3402-अंतरिक्ष अन् संधान	3402-Space Research		0.01	(क a)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5 5402-अंतरिक्ष अनु संधान पर पूंजी परिव्यय	5402-Capital Outlay on Space Research	•••	0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	•••	0.02	` '	0.02

(b)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) एनई-सेक योजना के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों को स्जन के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 12 करोड़)।

> अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) इस स्कीम के अन्तर्गत 'मशीनरी और उपकरण' के अतिरिक्त ट्यय को पूरा करने के लिए (i) स्केटसेट परियोजना (₹ 4.89 करोड़) (ii) रिसोर्स सेट-2ए परियोजना (₹ 0.66 करोड़) (iii) जीसेट-19 परियोजना (₹ 2.35 करोड़) और (iv) सूचना प्रोद्योगिकी के अन्तर्गत अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (₹ 36.50 करोड़)।

> अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

 providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme NE-SAC (₹ 12 crore).

> Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

> meeting additional expenditure on 'Machinery and equipment' under the scheme (i) Scattsat Project (₹ 4.89 crore) (ii) Resourcesat-2A Project (₹ 0.66 crore) (iii) GSAT-19 Project (₹ 2.35 crore) and (iv) Space Applications Centre under Information Technology (₹ 36.50 crore).

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 111 देखिये)

(See page 111 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

			1, 1,	(17) (11) (610) 65)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
।. मू ल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	4767.49	4767.49
पूंजी	Capital		28.25	28.25
जोड़	Total		4795.74	4795.74
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4795.75	4795.75
राजस्व	Revenue		4767.50	4767.50
पूंजी	Capital		28.25	28.25
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under t	he following Major Head	d:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2553-सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	2553-MPs Local Area Development Scheme		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants is required for:

मांग मंत्रालय की 'व्यावसायिक सेवाओं' के तहत एमपीएलएडीएस की तीसरी पार्टी की निगरानी की आवश्यकता (₹ 5 करोड़) के लिए की गई है।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक की मांग की जाती है। meeting requirement for third party monitoring of MPLADS under 'Professional Services' of Ministry (\P 5 crore).

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 113 देखिये)

(See page 113 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹	ं करोड)	(In	₹	crores))

				(t 97 (15)	I (III & CI OI ES
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		6190.98		6190.98
पूंजी	Capital		35.52		35.52
जोड़	Total		6226.50		6226.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now requi	red:			
राजस्व	Revenue		0.04		0.04
पूंजी	Capital	12.00			12.00
जोड़	Total	12.00	0.04		12.04
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)	12.00	6226.54		6238.54
राजस्व	Revenue		6191.02		6191.02
पूंजी	Capital	12.00	35.52		47.52
•	॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षो	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for		or Heads:		
	, ,	भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	•			
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		0.01	(कa)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb)	0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries		0.01	(गc)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries		0.01	(घd)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	***	0.04	, ,	0.04
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
ू मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
6860-उपभोकता उदयोगों के लिए ऋण	6860-Loans for Consumer Industries	12.00	(롱e)		12.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) कार्यालय व्यय (₹ 0.10 करोड़) के तहत सचिवालय स्थापना को स्वच्छता कार्यान्वन योजना हेतु अतिरिक्त जरूरत प्री करना
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु एसांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) (i) पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के रूप में साधारण विद्वत करघा की स्वस्थाने उन्नयन योजना हेतु अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹ 1 करोड़)
 - (ii) सामान्य सहायता अनुदान के तहत (₹ 3.80 करोड़) एवं अन्य प्रभार के तहत
 (₹ 0.20 करोड़) डिजाइन और तकनीकी उन्नयन योजना हेतु अतिरिक्त जरूरत पूरी करना
 - (iii) सामान्य सहायता अनुदान के तहत (₹ 0.20 करोड़) एवं अन्य प्रभार के तहत (₹ 1.80 करोड़) हस्तिशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजनाएं हेतु अतिरिक्त जरूरत पूरी करना
 - (iv) सामान्य सहायता अनुदान के तहत (₹ 1.80 करोड़) एवं अन्य प्रभार के तहत (₹ 0.20 करोड़) बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प योजना हेतु अतिरिक्त जरूरत परी करता
 - (v) विज्ञापन एवं प्रचार में विपणन सहायता एवं सेवा (₹ 0.30 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान के तहत (₹ 9.40 करोड़) एवं अन्य प्रभार के तहत (₹ 0.30 करोड़) हेत् अतिरिक्त जरूरत पूरी करना
 - (vi) विज्ञापन एवं प्रचार के तहत (₹ 0.30 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान के तहत (₹ 4.40 करोड़) एवं अन्य प्रभार के तहत (₹ 0.30 करोड़) अनुसंधान एवं विकास हेत् अतिरिक्त जरूरत पूरी करना
 - (vii) सामान्य सहायता अनुदान के तहत (₹ 2.40 करोड़) एवं अन्य प्रभार के तहत(₹ 1.60 करोड़) मानव संसाधन विकास हेतु अतिरिक्त जरूरत पूरी करना

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु एसांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary grants are required for:

- (a) Meeting additional requirement (₹ 0.10 crore) for Secretariat Establishment for Swachata Action Plan (SAP).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Meeting additional requirement (₹ 1 crore) in Scheme for In-Situ Up-gradation of Plain Powerloom as Grants for creation of Capital Assets.
 - (ii) Meeting additional requirement in Design and Technical Upgradation Scheme as Grants-in-Aid General (₹ 3.80 crore) and Other Charges (₹ 0.20 crore).
 - (iii) Meeting additional requirement in Handicraft Artisans Comprehensive Welfare Scheme as Advertising and Publicity (₹ 0.20 crore) and Other Charges (₹ 1.80 crore).
 - (iv) Meeting additional requirement in Baba Sahab Ambedkar Hastshilp Yojna as Grants-in-Aid General (₹ 1.80 crore) and Other Charges (₹ 0.20 crore).
 - (v) Meeting additional requirement in Marketing Support and Services as Advertising and Publicity (₹ 0.30 crore), Grants-in-Aid General (₹ 9.40 crore) and Other Charges (₹ 0.30 crore).
 - (vi) Meeting additional requirement in Research and Development as Advertising and Publicity (₹ 0.30 crore), Grants-in-Aid General (₹ 4.40 crore) and Other Charges (₹ 0.30 crore).
 - (vii) Meeting additional requirement in Human Research Development as Grants-in-Aid General (₹ 2.40 crore) and Other Charges (₹ 1.60 crore).

- (ग) (i) सामान्य सहायता अनुदान के रूप में (₹ 25.09 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के स्जन के लिए अनुदान (₹ 3.41 करोड़), वेतन सहायता अनुदान के तहत (₹ 3.50 करोड़) एवं सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.50 करोड़) स्वच्छता कार्यान्वन योजना के तहत एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹ 0.20 करोड़)
 - (ii) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोड़) के तहत रेशम उद्योग के विकास के लिए अनुदान के लिए स्वच्छता कार्यान्वन योजना हेतु अतिरिक्त जरूरत प्री करना
 - (iii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (रु 8 करोड़), लघु निर्माण कार्य के तहत (₹ 0.85 करोड़) एवं सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.20 करोड़) स्वच्छता कार्यान्वन योजना के तहत विद्धुत करघा क्षेत्र के विकास के लिए एकीकृत योजना हेत् अतिरिक्त जरूरत पूरी करना
 - (iv) पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (रु 6 करोड़), एवं सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.10 करोड़) स्वच्छता कार्यान्वन योजना के तहत साधारण विद्धुत करघा की स्वस्थाने उन्नयन योजना हेतु अतिरिक्त जरूरत परी करना
 - (v) कार्यालय व्यय (₹ 0.15 करोड़) के तहत विकास आयुक्त हथकरघा को स्वच्छता कार्य योजना हेत् अतिरिक्त जरूरत पूरी करना
 - (vi) कार्यालय व्यय (₹ 0.10 करोड़) के तहत विकास आयुक्त हस्तिशिल्प को स्वच्छता कार्यान्वन योजना हेत् अतिरिक्त जरूरत पूरी करना

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (घ) (i) कार्यालय व्यय (₹ 0.10 करोड़) के तहत वस्त्र आयुक्त को स्वच्छता कार्य योजना हेत् अतिरिक्त जरूरत पूरी करना
 - (ii) कार्यालय व्यय (₹ 0.10 करोड़) के तहत पटसन आयुक्त को स्वच्छता कार्य योजना हेत् अतिरिक्त जरूरत पूरी करना
 - (iii) आर्थिक सहायता (र 6.78 करोड़) के तहत मूल्य समर्थन के लिए भारतीय जूट निगम को सब्सिडी हेत् अतिरिक्त जरूरत पूरी करना

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु एसांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(इ) दिनांक 26.9.2001 के माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के कारण अपने कामगारों को संशोधित मजदूरी के भुगतान के वजह से ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड की संस्वीकृत (₹ 12.00 करोड़) के आकस्मिक अग्रिम का समायोजन के लिए। अनुदान के स्वीकृत/राजस्व भाग में समतल्य निधि अभ्यर्पित की जाएगी।

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय नहीं होगा।

- (i) Meeting requirement amount in Integrated Wool Development Programme as Grants-in-Aid General (₹ 25.09 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 3.41 crore) Grants-in-aid Salaries (₹ 3.50 crore) and Grans-in-aid General for Swachata Action Plan (SAP) (₹ 0.20 crore).
- Meeting additional requirement (₹ 0.50 crore) for Grants towards
 Development of Silk Industry under Grans-in-aid General for
 Swachata Action Plan (SAP).
- (iii) Meeting additional requirement in Integrated Scheme for Powerloom Sector Development as Grants for Creation of Capital Assets (₹ 8 crore), Minor Works (₹ 0.85 crore) and Grans-in-aid General for Swachata Action Plan (SAP) (₹ 0.20 crore).
- (iv) Meeting additional requirement in Scheme for In-situ Upgradation of Plain Powerloom as Grants for Creation of Capital Assets (₹ 6 crore) and Grans-in-aid General for Swachata Action Plan (SAP) (₹ 0.10 crore).
- Meeting additional requirement (₹ 0.15 crore) for Development Commissioner for Handloom as Office Expenses for Swachata Action Plan (SAP).
- (vi) Meeting additional requirement (₹ 0.10 crore) for Development Commissioner for Handicraft as Office Expenses for Swachata Action Plan (SAP).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- Meeting additional requirement (₹ 0.10 crore) for Textile Commissioner as Office Expenses for Swachata Action Plan (SAP).
- (ii) Meeting additional requirement (₹ 0.10 crore) for Jute Commissioner as Office Expenses for Swachata Action Plan (SAP).
- (iii) Meeting additional requirement (₹ 6.78 crore) for Subsidy to Jute Corporation of India towards Price Support.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

For recoupment of Contingency Advance (₹ 12 crore) sanctioned to British India Corporation Limited on account of payment of revised wages to its workers arising out of the Hon'ble Allahabad High Court order dated 26.9.2001. An equivalent amount of funds would be surrendered from the Voted/Revenue section of the Grant.

The above expenditure will not entail a cash outgo;

पर्यटन मंत्रालय

MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 114 देखिये)

(See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मू <i>ल अनुदान</i> :	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		1839.69	1839.69
पूंजी	Capital		1.08	1.08
जोड़	Total		1840.77	1840.77
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:	:		
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
प्ंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1840.78	1840.78
राजस्व	Revenue		1839.70	1839.70
प्ंजी	Capital		1.08	1.08
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अं	तर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for un-	der the following Major Head		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3452-पर्यटन	3452-Tourism		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित स्कीमों के अन्तर्गत स्वच्छता कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए ₹ 43.20 करोड़ की अतिरिक्त निधि प्रदान करना (i) स्वदेश दर्शन ₹ 18 करोड़ (ii) प्रसाद- तीर्थ पुनरुद्धार और आध्यत्मिक बढ़ावा अभियान ₹ 3.60 करोड़ (iii) आतिथ्य सिहत घरेलू प्रचार और प्रोत्साहन ₹ 3.60 करोड़ (iv) सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण ₹ 18 करोड़।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary grants is required for:

providing funds of ₹ 43.20 Crore for implementation of Swachhta Action Plan (SAP) under schemes (I) Swadesh Darshan - ₹ 18 Crore (II) PRASAD - Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive - ₹ 3.60 Crore (III) Domestic Publicity & Promotion including Hospitality - ₹ 3.60 Crore (IV) Capacity Building for Service Providers - ₹ 18 Crore.

जनजातीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 देखिये)

(See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

				(4/(15)	(III COO	C3)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue	4136.09	1133.23		5269.32	
पूंजी	Capital		60.00		60.00	
जोड़	Total	4136.09	1193.23		5329.32	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now					
	required:					
राजस्व	Revenue	0.01	3.14		3.15	
पूंजी	Capital					
जोड़	Total	0.01	3.14		3.15	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4136.10	1196.37		5332.47	
राजस्व	Revenue	4136.10	1136.37		5272.47	
प्ंजी	Capital		60.00		60.00	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जाये	π:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	er the following I	Major Heads:			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2225-अन् सूचित जाति, अन् सूचित जनजाति, अन्य	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled		3.14	(कa)	3.14	
पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Tribes, Other Backward Classes and Minorities					
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	0.01	(खb)		0.01	
अनुदान						
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.01	3.14		3.15	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- The supplementary grants are required for:
- (क) (i) विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समृहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.04 करोड रु.), मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (₹ 0.10 करोड रु.), मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹ 0.50 करोड रु.)
 - (ii) विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना के तहत पूंजीगत संपत्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 0.50 करोड रु.), के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना |
 - अनुदान के राजस्व/प्रभारित भाग में उपलब्ध बचत- अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु एउपर्युक्त व्यय किसी भी अतिरिक्त नकद निकासी को लागू नहीं करेगा ।
- (ख) (i) मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजनाओं के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड रु.) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना , मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजनाओं के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड रु.) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना |
 - अनुदान के इसी अनुभाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु एएक सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।

- (i) Providing Grants-in-aid General under the schemes of Development of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs)
 (₹ 2.04 crore), Pre Matric Scholarship (₹ 0.10 crore), Post Martic Scholarship (₹ 0.50 crore)
 - (ii) Grants for creation of capital assets under the scheme of Development of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) (₹ 0.50 crore).
 - Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Charged Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (i) Providing Grants-in-aid General under the schemes of Pre Matric Scholarship (₹ 0.01 crore) and under Post Martic Scholarship (₹ 0.01 crore).

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 116 देखिये)

(See pa	age 116 of the Demands f	or Grants of Central Government	for the y	year 2017-2018)			
						(₹ करो	ਭ) (In ₹ crores)
				भारित	स्वीकृत		जॊड़
				Charged	Voted		Total
1. मूल अन्	नुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue		88.30	17356.59		17444.89
पूंजी		Capital		90.00	19242.81		19332.81
जोड़		Total		178.30	36599.40		36777.70
इस समय ३	आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amour	nt now requ	uired:			
राजस्व		Revenue		4.00	0.03		4.03
पूंजी		Capital		***	0.01		0.01
जोड़		Total		4.00	0.04		4.04
जोड़ (मूल ३	और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		<i>182.30</i>	36599.44		36781.74
राजस्व		Revenue		92.30	17356.62		17448.92
पूंजी		Capital		90.00	19242.82		19332.82
•		॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित	न मख्य शीष	ों के अंतर्गत दिखाया जायेगा [.]			
		II. This Supplementary Grant will be a			eads:		
		ii. This supplementary stant will be a	ooodinod n	भारित	_{प्यवण} स्वीकृत		जॊड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भ	nar	REVENUE SECTION		Onlarged	VOIGU		Total
	1-1						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			0.04	(-)	0.04
	न सामग्री और छपाई	2058-Stationery and Printing			0.01	(कa)	0.01
2216-आव		2216-Housing		<i>4.00</i> (ख	•	(गc)	4.01
2217-शहरी		2217-Urban Development			0.01	(ਬd)	0.01
जोड़ (राजस	-	Total (Revenue Section)		4.00	0.03		4.03
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	_	MAJOR HEAD					
	निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works			0.01	(ਭ e)	0.01
जोड़ (पूरक))	Total (Supplementary)		4.00	0.04		4.04
यह पूरक अ	मनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The sup	plementary grants are required	d for:		
(क)	भारत सरकार स्टेशनरी कार्याल सेवाओं को खोलना।	य (₹ 0.01 करोड़) हेतु नए प्रयोजन शीर्ष पेशेवर	(a)	Opening of new object India Stationery Office(₹		ional Ser	vices for Govt. of
	अनुदान के इसी भाग में उपबल अनुपूरक की मांग की जाती है।	ध बचत को ध्यान में रखते हु ए एक सांकेतिक		Taking into account the the Grant, a token supp			e same section of
(ख)		गालियों के रखरखाव और एमएसीपी, डीए और नन वृद्धि से संबंधित व्यय को पूरा करना (₹ 4	(b)	Meeting the expenditure related to maintenance of special systems in Auditorium and payment of arrears of MACP, Daincrement of work charged Staff(₹ 4 crore).			•
	अनुदान के राजस्व/पूंजी खंड उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त	में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए, 1 नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the Revenue/Capital Section not entail any additional	n of the Grant,		
(ग)	बेदखल निरीक्षकों द्वारा भाई में नए प्रयोजन शीर्ष को खोलना (₹	में लिए गए श्रमिकों को भुगतान करने के लिए 0.05 करोड़)।	(c)	Opening of new object liby Eviction Inspectors (-	paymen	t to labourers hired
	अनुदान के इसी भाग में उपबल अनुपूरक की मांग की जाती है।	ध बचत को ध्यान में रखते हु ए एक सांकेतिक		Taking into account the the Grant, a token supp	_		e same section of
(ঘ)		ने वाले अंतरण के तहत उपलब्ध कराए गए पेत सकल बजटीय सहायता से मिलान करने हेतु	(d)	rectification to match the Swachh Bharat Mission reserve funds heads(₹ 3	with funds pro		

(क) भारत के संविधान क्लब का जीर्णोधार (₹ 1 करोड़) (ख) भारत सरकार प्रेस का जीर्णोधार (₹ 5 करोड़) (ग) वित्त (राजस्व) और लेखा के चल रहे कार्यों हेतु आवश्यकता (₹ 130 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपबल्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक

अनुदान के इसी भाग में उपबल्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए एक सांकेतिक

अनु पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

अनु पूरक अनु दान की मांग की जाती है।

(롱)

(i) Re-development of Constitution Club of India (₹ 1 crore) (ii) Re-development of Government of India Press (₹ 5 crore)

Taking into account the savings available in the same section of

the Grant, a token supplementary is sought.

(iii) On-going works of Finance (Revenue) and Audit(₹ 130 crore).

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 118 देखिये)

(See page 118 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(/				
				(₹ करौड़	') (In ₹ cror	res)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue	1.00	8405.99		8406.99	
पूंजी	Capital	4.00	799.29		803.29	
जोड़	Total	5.00	9205.28		9210.28	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		93.42		93.42	
पूंजी	Capital		•••			
जोड़	Total		93.42		93.42	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5.00	9298.70		9303.70	
राजस्व	Revenue	1.00	8499.41		8500.41	
पूंजी	Capital	4.00	799.29		803.29	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गर	त दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	the following Major H	eads:			
		भारित	स्वीकृत		ऒड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2552-पूर्वीत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	***	8.00	(क a)	8.00	
2701-वृहत और मध्यम सिंचाई	2701-Major and Medium Irrigation	***	85.42	(खb)	85.42	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	***	93.42		93.42	

2701 4001 011 011 414 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		T-4-1 (D				00.12	(45)	00.12
जोड़ (राजस्व 8	HIJI)	Total (Revenue Section)			<i></i>	93.42		93.42
यह पूरक अनु	पन निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है) .	The s	upplen	mentary grants are required for	r:		
(क)	राष्ट्रीय जल विज्ञान पा (₹ 8 करोड़) प्रदान करना।	रियोजना के तहत सामान्य सहायता अनुद गर्डध बचत के अभ्यर्पण को देखते हु एउपर्युक्त व्			providing Grants-in-aid Ge (₹ 8 crore). Taking into account the Capital Section of the Gra any additional cash outgo:	surrender of	savings	available in the
(평) (i)	,,	ग्रोजना (ईएपी घटक) के तहत सहायता-अनुव पूंजी आस्तियों (₹ 36.71 करोड़) के सृजन	. ,	(i)	providing Grant-in-aid Gen of Capital Assets (₹ 36.71 (EAP Component).		-	
(ii)	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियो सामान्य (₹ 6 करोड़) और अनुदान प्रदान करता।	जना (कार्यक्रम घटक) के तहत सहायता-अनुह ' पूंजी आस्तियों (₹ 36.71 करोड़) के सृजन : नलब्ध बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपयुः द ट्यय नहीं होगा।	हेतु	(ii)	providing Grant-in-aid Gen of Capital Assets (₹ 36.71 (Programme Component). Taking into account the Capital Section of the Gra any additional cash outgo:	crore) under	National F	Hydrology Project

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 120 देखिये)

(See page 120 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करॉड़) (In ₹ crores)

				(र कराड़	(in a crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मू <i>ल अनुदान</i> :	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	22556.02		22556.02
पूंजी	Capital		38.65		38.65
जोड़	Total		22594.67		22594.67
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now				
	required:				
राजस्व	Revenue		0.04		0.04
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.04		0.04
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		22594.71		22594.71
राजस्व	Revenue		22556.06		22556.06
पूंजी	Capital		38.65		38.65
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्ग	र्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	r the following Ma	jor Heads:		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	***	0.01	(क a)	0.01
2552-पूर्वीत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	***	0.01	(खb)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(गc)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		0.01	(घd)	0.01
अनुदान					
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.04		0.04

(b)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- The supplementary grants are required for:
- (क) (i) स्वच्छता कार्य योजना के तहत (क) आंगनबाड़ी सेवाओं के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु (₹ 2 करोड़) और बाल संरक्षण योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.80 करोड़)
 - (ii) अन्य व्यय के तहत राज्यों/संध शासित क्षेत्रों के निलंब खाते में लिधि के अंतरण हेतु मातृत्व लाभ कार्यक्रम के लिए व्यय को पूरा करना (₹ 9.70 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1946 करोड़)
 - (iii) लघु शीर्ष-789 एससी घटक के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान नया प्रयोजन शीर्ष खोलने के लिए ₹ 221.40 करोइ) ।
 - (iv) किशोर बालिकाओं के लिए योजना के अन्तर्गत नया शीर्ष-व्यावसायिक सेवाएं खोलने के लिए (₹ 0.11 करोड़) ।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए , सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) सहायता कार्य योजना के तहत (i) आंगनबाड़ी सेवाओं के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु (₹ 5.92 करोड़) और बाल संरक्षण योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.20 करोड़)
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए , सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) सहायता कार्य योजना के तहत (i) आंगनबाड़ी सेवाओं के तहत पूंजी आस्तियों के सुजन हेतु (₹ 54 करोड़) और बाल संरक्षण योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8 करोड़)
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए , सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) सहायता कार्य योजना के तहत (i) आंगनबाड़ी सेवाओं के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु (₹ 3.60 करोड़) और बाल संरक्षण योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1 करोड़)
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए , सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- For Swatchhta Action Plan under (a) grant for creation of capital assets under Anganwadi Services (₹ 2 crore) and (b) GIA General under Child Protection Scheme (₹ 1.80 crore).
 - (ii) For meeting expenditure towards Maternity Benefit Programme for transfer of fund to Escrow account of States/UTs under OE (₹ 9.70 crore) and GIA General (₹ 1946 crore).
 - (iii) For opening new object head-GIA General under Minor head-789 SC component.(₹ 221.40 crore).
 - (iv) For opening of new head-Professional Services under scheme for Adolescent Girls(₹ 0.11 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

for Swachhta Action Plan under (i) grant for creation of capital assets under Anganwadi Services (₹ 5.92 crore) and GIA General under Child Protection Scheme (₹ 1.20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

for Swachhta Action Plan under (i) grant for creation of capital assets under Anganwadi Services (₹ 54 crore) and GIA General under Child Protection Scheme(₹ 8 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

for Swachhta Action Plan under (i) grant for creation of capital assets under Anganwadi Services (₹ 3.60 crore) and (ii) GIA General under Child Protection Scheme(₹ 1 crore).

अन्दानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 100

युवा मामले और खेल मंत्रालय MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 121 देखिये)

(See page 121 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

` · ·		•		
				(₹ करोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	1888.46	1888.46
पूंजी	Capital		54.75	54.75
जोड़	Total		1943.21	1943.21
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:		
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1943.23	1943.23
राजस्व	Revenue		1888.48	1888.48
प्ंजी	Capital		54.75	54.75
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों वे	न अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for	under the following Major H	eads:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2204-खेल और युवा मामले	2204-Sports and Youth Services		0.01	(क a) 0.01
2552-पूर्वीत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02	0.02

(a)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

मांगा जाता है।

- (क) (I) युवा छात्रावास योजना के तहत छात्रावास प्रबंधक और वॉर्डन के मानदेय के लिए अन्य श्ल्क (₹ 0.20 करोड़) I
 - (II) राष्ट्रीय खेल संघों के लिए सहायता योजना के तहत पूंजी आस्ति के स्जन हेतु अनुदान शीर्ष (₹ 80 करोड़) के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्रों में महत्वपूर्ण ढांचागत अंतराल को भरने के लिए निर्माण हेतु अतिरिक्त अनदान प्रदान करना ।
 - (III) खेलों मे मानव संसाधन विकास योजना के तहत अतिरिक्त स्कॉलरिशप/ स्टाइपेंड (₹ 0.40 करोड़) प्रदान करना।
 - (IV) भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (i) 7वं वेतन आयोग के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान वेतन घटक (₹ 74 करोड़) (ii) चल रही पूंजी परियोजनाओं / नई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 80 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय खेल अकादमी / प्रशिक्षण केंद्र चलाने के लिए सामान्य श्रेणी के सहायता अनुदान सामान्य श्रेणी (₹ 10 करोड़), अनुस्चित जाति घटक के अंतर्गत सहायता अनुदान सामान्य शीर्ष (₹ 15 करोड़) और अनुस्चित जनजाति घटक के अंतर्गत सहायता अनुदान सामान्य शीर्ष (₹ 10 करोड़)।
 - (V) खेलो इंडिया योजना के पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹150 करोड़ रुपये) पूंजीगत घटक के तहत अवसंरचना पिरयोजनाओं, चल रहे पूंजी पिरयोजनाओं / नई पिरयोजनाओं को पूरा करने के लिए अनुदान। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु एसांकेतिक पूरक अनुदान
- (ख) (I) भारतीय खेल प्राधिकरण को निम्नलिखित के अंतर्गत अतिरिक्त राशि देगा (i) 7वे वेतन आयोग के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान वेतन (₹ 5 करोड़) (ii) चल रही पूंजी परियोजनाओं / नई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पूंजी आस्ति के स्जन हेतु अनुदान के अंतर्गत (₹10 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय खेल अकादमी / प्रशिक्षण केंद्र चलाने के लिए सामान्य श्रेणी के अंतर्गत अतिरिक्त राशि प्रदान करना (₹ 5 करोड)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु एसांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary grants are required for:

- (I) Other Charges for providing Honoraria to the Hostel Managers and Wardens under Youth Hostel Scheme (₹0.20 crore).
 - (II) Providing Grants for creation of capital assets head to fill up the critical infrastructural gaps at Sports Authority of India regional centres under the scheme of Assistance to National Sports Federations(₹ 80 crore).
 - (III) Providing additional Scholarship/ Stipend under the Scheme of Human Resource Development in Sports(₹ 0.40 crore).
 - (IV) For meeting additional requirement under Sports Authority of India for (i) 7th CPC under GIA Salaries component (₹ 74 crore), (ii) completion of ongoing capital projects/ new projects under Grants for creation of capital assets component (₹ 80 crore) and (iii) to run the National Sports Academies/ training Centers providing additional GIA General head under General category (₹10 crore), providing additional GIA General head under SC category (₹15 crore) & providing additional GIA General head under ST category (₹10 crore).
 - (V) Providing Grants for creation of Capital Assets under the Scheme of Khelo India for Infra projects, completion of ongoing capital projects/ new projects under capital component(₹ 150 crore). Taking into account the savings available in the same section of
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (I) Providing additionality for Sports Authority of India under (i) GIA Salaries component on account of the 7th CPC (₹ 5 crore), (ii) completion of ongoing capital projects/ new projects under Grants for creation of capital assets component (₹ 10 crore) and (iii) providing additionality under GIA General head under General category to run the National Sports Academies/ training Centers (₹ 5 crore).